राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १] द्वितीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९५७ का ३४वां दिवस [संख्या २२

सोमवार, २७ मई, १९५७

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.६ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न

भीलवाड़ा की गृह निर्माण समिति के हिसाब-किताब की जांच

३७७. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा में कोई गृह-निर्माण समिति है ?

(ख) यदि हां, तो इस समिति की स्थापना कब हुई और इस समिति के सदस्य कौन कौन हैं ?

(ग) स्थापना के बाद इस समिति ने अब तक कितना रुपया खर्च किया है तथा अब तक सरकार की ओर से कितनी सहायता मिल चुकी है ?

(घ) क्या सरकार ने इस समिति के हिसाब-किताब की कभी जांच भी कराई है ? यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

(ङ) क्या यह सही है कि इस समिति द्वारा बनाये गये मकानों को किराये दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और किस हिसाब से ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) हां।

(ख) इस समिति की स्थापना २७-५-५५ को हुई थी। इस समिति के ६५ सदस्य हैं और उनकी नामावली सदन की मेज पर रख दी गई है।

माननीय सदस्य को मिल गई है। नहीं मिली हो तो मैं पढ़ रहा हूं। I have sent it but still I will read it.

श्री भैरोंसिंह : यह रक्खी है या नहीं, यही मालूम हो जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, रक्खी है।

श्री सरदारसिंह : यह तो शिकायत हमेशा ही बनी रहती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : रक्खी हो तो मत पढ़िये।

श्री दामोदरलाल व्यास : (ग) इस समिति के ३६ सदस्यों को १९५५-५६ व १९५६-५७ में २,२५,०००) रुपये दिये गये। यह रकम व इसकी २० प्रतिशत से भी अधिक रकम खर्च की गई है।

(घ) नहीं।

(ङ) हां, गृह निर्माण समिति द्वारा जिन मकानों का निर्माण किया गया है उनमें से कुछ सदस्यों के मकानों में समिति की प्रबन्धकारिणी की स्वीकृति से स्वयं के निवास-स्थान के अतिरिक्त बचे हुए कुछ भाग को किराये पर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरोंसिंह (१४) : हिसाब की जांच क्यों नहीं करवाई गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन से हिसाब की जांच ?

श्री भैरोंसिंह (१४) : इस समिति के हिसाब की जांच।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैने अर्ज किया, कुल जितना रुपया दिया गया उसके २० प्रतिशत से भी अधिक रकम उनकी खर्च हुई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : और डिस्ट्रिक्ट्स हैं।

श्री भैरोंसिंह: मेरा प्रश्न यह था, "क्या सरकार ने समिति के हिसाब-किताब की कभी जांच कराई है?" इसका उत्तर दिया गया, "ना"। तो क्या इसकी कभी जांच भी नहीं हुई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कौनसा ?

श्री भैरोंसिंह : 'घ'।

"**श्री दामोदरलाल व्यास** : 'ग' यह है कि, स्थापना के बाद इस समिति ने अब तक कितना रुपया खर्च किया है ?"

श्री भैरोंसिंह : 'घ'।

श्री दामोदरलाल व्यास : 'घ' का जवाब 'ना' दिया।

श्री भैरोंसिंह : जब समिति को रुपय दिया तो उनके एग्रीमेन्ट फॉर्म में यह श‍र नहीं थी कि जो मकान बनाया जायगा उसको स्वयं काम में लेंगे और उसको किराये प नहीं दिया जायगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : उल्लेख य है। इसको गलत समझने की जरूरत न है। जयपुर शहर में भी मकान बने हैं तो य नहीं मान लिया जाय कि उनको किराये पर नहीं दे सकते हैं। इसकी मंशा यही है कि खुद रहें और बच जांय तो उनको किराये पर दें। लो इनकम ग्रूप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत भी यह है।

श्री भैरोंसिंह : एग्रीमेन्ट में यह शर्त है या नहीं, प्रश्न यह है. एग्रीमेन्ट में यह है कि किराये पर नहीं देगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो लो इनकम ग्रूप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत है वह इस एग्रीमेन्ट में है। जो कन्डीशन्स उसमें लेड डाउन की गई हैं वे ही इसमें हैं।

श्री भैरोंसिंह : इस सोसाइटी के एग्री-मेन्ट में वह शामिल है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास: क्या शामिल है ?

श्री भैरोंसिंह : किराये पर न देने की उस एग्रीमेन्ट में शर्त है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसी शर्त मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या जो रुपया दिया गया है उसकी सिक्योरिटी ली गई है कि काम पूरा करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस स्कीम में जो रुपया दिया गया है उसमें शर्त होती है कि २० पर्सेन्ट अपने पास से लगाये। बाकी का खर्चा किश्तों में दिया जाता है। जब पर्सेन्टेज खत्म कर लेते हैं तो उसके बाद दूसरी किश्त दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

व्यापारिक प्रतिष्ठानों को शेयर्स अथवा ऋण के रूप में दी गई धन-राशि

३७८. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या वित्त मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान बनने से दो साल पहले तथा बाद में किन किन व्यापारिक प्रतिष्ठानों (बिज़नेस कन्सर्न्स) को कब कब कितनी कितनी धन-राशि शेयर्स अथवा ऋण के तौर पर दी गई ?

(ख) उपरोक्त प्रतिष्ठानों में से कितने बन्द हो चुके है एवं उनमें लगी सरकारी पूंजी का क्या हुआ ?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) (क) व्यापारिक प्रतिष्ठानों के शेयर्स में १-४-५७ को कुल २,३६,६५,४४३-४-४ रुपयों की पूंजी लगी हुई थी। इनमें से रु० १,२५,१०,३८३-५-४ के मूल्य के शेयर्स भूतपूर्व राज्यों से राजस्थान बनने पर लिए गये थे। ५०,४४,३०० रु० भूतपूर्व रियासतों द्वारा किये गए वचनों की पूर्ति में दिये गए थे। रु० १,८०,३०६-१५-० के मूल्य के शेयर्स लावा के चीफ, डूंगरपुर महाराज तथा खेतड़ी के राजा से लिए गये थे एवं रु० ६२,६०,४५० की पूंजी बाद में जो कि अधिकतर राजस्थान फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन तथा सहकारी संस्थाओं में है, पंच वर्षीय आयोजना के अन्तर्गत लगाई गई है।

यह तो हुआ शेयर्स के बारे में।

(ख) १४ प्रतिष्ठान बन्द हैं, जिनकी सूची संलग्न है। उनमें जो पूंजी लगी हुई है उसकी स्थिति सूची में बताई गई है।

प्रतिष्ठानों को ऋण देने सम्बन्धी सूची अभी उपलब्ध नहीं है।

(विराम)

सूची मिल गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भीमसेन : नहीं मिली है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं पढ़ दूं ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : लावा के शेयर्स बताये वे कितने के थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गार्जियन्स ज्यादा जानते हैं ?

(विराम)

श्री अध्यक्ष : आप सूची देख लें।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सूची तैयार नहीं मालूम होती है।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

इटावा (त० कोटा) में आग से हुई अप्रेल, १६५७ में क्षति

३७४. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि दिनांक २४-४-५७ को ग्राम इटावा (तहसील केन्द्र) जिला कोटा में आग लग जाने से २०-२२ खलिहान जलकर नष्ट हो गये ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम इटावा की फसल मार्च सन् ५७ में हुई ओला वृष्टि से पहिले ही बहुत नष्ट हो चुकी थी। और इस कारण अब उनके पास कुछ नहीं रहा है ?

(३) सरकार इन क्षतिग्रस्त किसानों को राहत पहुंचाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हाँ।

(२) जी हां। किसी हद तक यह ठीक है।

(३) सहायता कार्य खोले जा रहे है। तकावी लोन एवं निःशुल्क सहायता दिये जाने की नियमानुसार व्यवस्था की जा रही है। राजस्व लगान में सहायता देने हेतु रिलीफ खैतानियां तैयार हो रही हैं और यथा सम्भव लगान में भी छूट आदि देने की कार्यवाही की जावेगी।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह कार्यवाही कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री सम्पतराम : यह जल्दी हो जायगा ?

प्रश्न संख्या ३८०

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कमलाकुमारी श्रोत्रिय।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

लालसोट व चाकसू में अगले वर्ष खुलने वाले विद्यालय

३८१. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

लालसोट तथा चाकसू तहसीलों में नए सेशन में किन किन स्थानों पर व कब तक नए स्कूल खोले जावेंगे ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द) : इस वर्ष जयपुर इन्सपेक्टोरेट में ३३ नयी प्राइमरी पाठशालाएं खोली जायेंगी। प्राथमिक पाठशाला खोलने का कार्य जिला विकास समिति की सिफारिश पर निर्भर है।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

महिला सदन खोलने हेतु दिल्ली तथा मद्रास भेजे गये व्यक्ति

३८२. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान में स्थान स्थान

(श्री दयाकृष्ण विजय)

पर महिला सदन खोलने के लिए तीन व्यक्ति दिल्ली तथा मद्रास प्रशिक्षण के हेतु भेजे गये हैं ? यदि हां, तो उनके नाम क्या क्या हैं ?

(ख) उक्त तीनों प्रशिक्षणार्थियों की क्या क्या योग्यताएं तथा इनका चयन किस आधार पर किया गया है ?

उप समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) राजस्थान के निम्न तीन व्यक्तियों को मद्रास तथा दिल्ली प्रशिक्षण हेतु भिजवाया गया है :

(१) श्रीमती सुमन त्रिपाठी, मद्रास स्कूल ऑफ सोशियल वर्क, मद्रास ।

(२) श्री जे. एम. कौल, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशियल वर्क, दिल्ली ।

(३) श्री विश्वनाथसिंह सिनसिनवार, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशियल वर्क, दिल्ली ।

(ख) प्रशिक्षणार्थियों की योग्यतायें संलग्न तालिका में दर्शायी गई हैं। चयन योग्यता के आधार पर किया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : इस कम्पीटीशन में कितने व्यक्ति शामिल हुए ?

श्री भीखाभाई : इसको फिर रिपीट किया जाय ।

श्री भैरोंसिंह : जिन आदमियों को शिक्षा के लिए भेजा गया था वे आदमी कितने आदमियों में कम्पीटीशन में सिलेक्ट होकर आये थे ?

श्री भीखाभाई : कम्पीटीशन का सवाल नहीं है। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने एप्लीकेशन्स इन्वाइट की थीं, २१ एप्लीकेशन्स आयीं । स्टेट शोशयल बोर्ड ने बुलाया और ११ आदमियों के नाम रिकमन्ड करके भेजे गये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या ये सेन्ट्रल सोशयल वेलफेयर बोर्ड को सबमिट की गईं ।

श्री भीखाभाई : सेन्ट्रल सोशयल वेलफेयर बोर्ड को ।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान सरकार को की गई थी ?

श्री भीखाभाई : राजस्थान सरकार का सवाल नहीं है । स्टेट सोशयल बोर्ड एक ओटोनोमस बोर्ड है । इन्टव्यू करने के बाद २१ में से ११ की सिफारिश की थी और केन्द्रीय बोर्ड ने सिर्फ ३ को चुना ।

प्रश्न संख्या ३८३

श्री अध्यक्ष : श्री मती गौरीपूनिया ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३८४

श्री रावतराम ।

(अनुपस्थित)

श्री तनसिंह ।

खूड, भगतपुरा, सामी व राजपुरा सीकर में वर्षा से हरिजन मकानों को क्षति

(प्रश्नकर्ता श्री तनसिंह की अनुपस्थिति में)

३८५. **श्री अनोपसिंह** : क्या समाज

Page No.6

(श्री तनसिंह)

कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या खूड़ ग्राम पंचायत, जिला सीकर से समाज कल्याण विभाग को इस आशय का प्रार्थना पत्र भेजा गया है कि खूड़ भगतपुरा, सामी और राजपुरा में ५० हरिजन परिवारों के मकान वर्षा से गिर गये हैं ?

(२) क्या किसी निरीक्षक को उन परिवारों की क्षति का पता लगाने भेजा गया ? यदि भेजा गया तो क्या सहायता दी गई और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उप समाज कल्याण मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) नहीं

(२) सूचना नहीं मिलने के कारण कोई निरीक्षक नहीं भेजा गया।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सतवंतकौर।

जिला गंगानगर में भूमि की रकम की शरणार्थियों द्वारा किश्तों में अदायगी

३८६ **श्रीमती सतवंत कौर** (करनपुर) : क्या पुनर्स्थापन मन्त्री निम्न प्रश्न देने का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सत्य है कि जिला गंगानगर में शरणार्थी भूमि की रकम की किश्तें अदा कर रहे हैं ?

(ख) यदि हां, तो फिर उनसे मालिकाना क्यों वसूल किया जा रहा है ?

पुनः संस्थापन मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : शरणार्थी अभी भूमि की कोई किश्तें अदा नहीं कर रहे हैं और न अभी कोई भूमि की रकम की किश्तें वसूल की जा रही है, इसलिए उनसे मालिकाना वसूल किया जा रहा है।

श्री धर्मपाल : सुनाई नहीं पड़ा।

श्री दामोदरलाल व्यास : शरणार्थी अभी भूमि की कोई किश्त अदा नहीं कर रहे हैं।

श्रीमती सतवंतकौर : आपने जांच की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रश्न जैसा आया वैसा ही जवाब दिया। कोई खास बात बतायेंगी तो उसका उत्तर दिया जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष, इस सवाल पर राजस्थान सरकार में आपस में बातचीत चल रही है। फाइनली तय नहीं हुआ है कि किश्त कितनी ली जावेगी। अभी पूरी स्टेज नहीं आयी है और इसलिए जवाब दिया था कि शरणार्थी भूमि की किश्त अदा नहीं कर रहे हैं।

श्री धर्मपाल : क्या यह समझा जाय कि मालिकाना वसूल हो रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मालिकाना जिस जमीन से वसूल होना चाहिए हो रहा होगा।

(विराम)

होना चाहिए, लेकिन अभी मेरे खयाल से लेवी कहीं २ नहीं किया ग।। है।

प्रश्न संख्या ३८७

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह खेजड़ला।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३८८

श्री लच्छूराम ।

(अनुपस्थित)

श्री तनसिंह ।

(अनुपस्थिति)

बाड़मेर नगर में मवेशियों हेतु गोचर भूमि

३८६. **श्री अनोपसिंह** : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) बाडमेर नगर में मवेशियों की संख्या क्या है ?

(ख) बाडमेर के आसपास कितनी गोचर भूमि छोड़ी गई है ?

(ग) क्या सरकार को विदित है कि यह भूमि अपर्याप्त है ? यदि हां, तो अधिक भूमि प्राप्त करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(क) ४८६८ है ।

(ख) पड़त भूमि गैर मुमकिन २३६३।।।) २ बीघा व काबिल काश्त ३३६४) ३ बीघा कुल ५७५८ बीघा पड़त भूमि है ।

(ग) जी नहीं । १/२ बीघा फी मवेशी के हिसाब से भूमि पर्याप्त है ।

राज्य बीमा विभाग में १६५४ से ५७ तक प्रत्येक वर्ष में रहा सस्पेन्स मनी

३४०. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या वित्त मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

राज्य बीमा विभाग में सन् १६५४–५५, ५५–५६ व ५६-५७ के अन्त में प्रत्येक वर्ष में कितना कितना सस्पेन्स मनी किन किन कारणों से रहा तथा उनकी पोलिसीज़ किस किस तारीख को इश्यू की गई ?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

(क) बीमा विभाग में निम्न वर्षों में उनके सामने की हुई राशियां सस्पेन्स में रखीं :

१६५४–५५ २,८६,०४१ रु० ४० नये पैसे
१६५५–५६ ४,४०,६६८ रु० २१ नये पैसे
१६५६–५७ ४,३६,२२० रु० ३१ नये पैसे

(ख) जिन खामियों से रकम सस्पेन्स में भेजी गई थी उनकी पूर्ति होने पर पालिसियां तुरन्त ही जारी कर दी गई हैं । ऐसी पोलिसियों की संख्या स्कीम के चालू होने से अत्यधिक होने के कारण, जारी करने की तारीख बताना संभव नहीं है ।

(ग) सस्पेन्स में रकमें रखने के निम्न कारण हैं :

१. जबकि डिपार्टमेंट अपने स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन (रिकवरी शिड्यूल) में पोलिसी की संख्या दर्ज नहीं करते हैं ।

२. प्रथम घोषणा पत्र प्राप्त नहीं होना ।

३. जबकि डिपार्टमेंट एक मुश्तरक में बगैर स्टेटमेन्ट ऑफ डिडक्शन भेजते हैं ।

४. घोषणापत्र में पाई गई कमियों की सूचना प्राप्त न होना यानी फेमिली हिस्ट्री, जन्म की तारीख इत्यादि न देने पर।

५. घोषणा पत्रों में विभागों द्वारा पूरा विवरण न आने पर।

६. विभागों द्वारा स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन में पोलिसी या घोषणा पत्र की संख्या गलत देने पर।

७. कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षा सम्बन्धी सूचना समय पर न आने के कारण।

८ पोलिसियां जारी होने के पहले ही राज्य-सेवा से अलग होने के कारण।

६. ५० वर्ष से अधिक की आयु के कारण जिनकी कोई पालिसी जारी नहीं की जा सकती है।

१०. कर्मचारी को बीमा के योग्य न पाये जाने से।

११. प्राइवेट कम्पनियों में बीमा होने की वजह से एग्ज़ेम्शन दिये जाने की वजह से

श्री भैरोंसिंह : कौन कौन से कारणों से कर्मचारियों को बीमा के योग्य नहीं समझा जाता है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बीमा के नियमों के अन्तर्गत जो बीमा के योग्य नहीं समझे जाते हैं उनको सस्पेन्स में देने के ११ कारण अभी मैंने बताये हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया कि कई कर्मचारी बीमा के योग्य नहीं होते हैं, तो कौन कौन कर्मचारी बीमा के योग्य नहीं समझे गये?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उनकी लिस्ट मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जिनकी मनी सस्पेन्स में रही उनकी पोलिसी कब जारी की गई।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह अलग प्रश्न है। लेकिन जिन कमियों से रकम सस्पेन्स में भेजी गई थी उनकी पूर्ति होने पर पोलिसीज़ तुरन्त जारी कर दी गईं। ऐसी पोलिसीज़ की संख्या अत्याधिक होने के कारण तुरन्त बताना संभव नहीं है क्योंकि लगभग ८०,००० पोलिसीज़ हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या ८०,००० पोलिसीज़ हैं?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी हां, ८० हजार पोलिसीज़ हैं और कर्मचारियों की संख्या १०,०८० है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह मानें कि पोलिसीज़ ८०,००० हैं?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरी जानकारी के अनुसार ८०,००० पोलिसीज़ जारी की गई हैं।

श्री भैरोंसिंह : जो सस्पेन्स में हैं उनके अगेन्स्ट में हैं, कितनी पोलिसीज़ जारी की गई हैं?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कुल ५००० बाकी हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि जो मनी सस्पेन्स में है उसके अगेन्स्ट में कितनी पोलिसीज़ जारी की गई हैं।

श्री अध्यक्ष : जो पोलिसीज़ सस्पेन्स में रखी गई हैं उनके बारे में पूछते हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपका प्रश्न यह है कि किस तारीख को इश्यू की गई? इसके उत्तर में मैं बताना चाहता हूँ कि ८०,००० पॉलिसीज़ हैं। तारीख की जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन जिनकी मनी सस्पेन्स में है उनमें से कितनी बाकी है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जिन कारणों से मनी सस्पेन्स में रही, क्या उनके बाबत हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट ने फाइनेन्स डिपार्टमेंट का ध्यान आकर्षित किया था?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

प्रश्न संख्या ३६१

श्री अध्यक्ष : श्री आनन्दसिंह।

(अनुपस्थित) कृपया आगे देखिये।

प्रश्न संख्या ३६२

श्री भंवरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री अनोपसिंह।

बालोतरा शासकीय उच्च विद्यालय में विज्ञान-कक्षाएं

३६३. **श्री अनोपसिंह** (बालोतरा): क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि बालोतरा (जिला बाड़मेर) सरकारी हाई स्कूल में विज्ञान की कक्षाएं खोलने के लिए जनता ने ५०००) रु० जमा करा दिये पर बराबर की सरकारी रकम न मिलने से कोई काम शुरू नहीं हुआ।

(ख) क्या अगले सत्र से विज्ञान की कक्षाएं खुलने का प्रबन्ध हो सकेगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी हां।

(ख) साइन्स ब्लाक बनाने के लिए विकास विभाग से ५०००) रु० सहायता देने के लिए मंजूर हो गए हैं और निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू हो जावेगा। विज्ञान की कक्षाएं आगामी सत्र से चालू करने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री अनोपसिंह : विचाराधीन कितने समय तक और रहेगा जब कि २-३ साल लग चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह अब जल्दी ही तय करेंगे।

प्रश्न संख्या ३६४

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

पटवारियों हेतु पटवार घरों की व्यवस्था

३६५. **श्री नत्थीसिंह** : (कामां) Will the Minister for Revenue be pleased to state:

(1) Are Patwaris required to live in their circles?

(2) If so, have Patwarghars been built in all the circles?

(श्री नत्थीसिंह)

(3) If not, has the Government provided any alternative accommodation for them to live in and to keep the record in a safe place?

(3) If not, will the existing orders for Patwaris to reside permanently in their circles be held in abeyance?

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (1) Yes.

(2) Not in all the circles.

(3) A sum of Rs. four per month as house-rent has been sanctioned to those Patwaris who have no Patwarkhanas in their circles.

(4) The order need not be held in abeyance because house-rent is allowed in lieu of the Patwarkhanas.

श्री नत्थीसिंह : देहातों में जहां मकान नहीं मिलते हैं वहां के लिए क्या उपाय किया गया है ?

श्री सम्पतराम : मकान अमूमन मिल जाते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जहां मकान दिये गये हैं वहां पटवारी नहीं मिलने का क्या कारण है ?

श्री सम्पतराम : आपके गांव में ऐसा हो तो पता नहीं। दूसरे गांवों में तो ऐसी बात नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जहां पर मकान दिये गये हैं क्या उनकी मरम्मत सरकार द्वारा कराई गई ?

श्री दामोदरलालव्यास : आपके मकानों की मरम्मत नहीं कराई जायेगी।

जोधपुर में फिदूसर और सूरसागर की पत्थर की खानें

३६६. **श्री सूरजमल** (फलौदी) : क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जोधपुर में फिदूसर व सूरसागर की पत्थर की खानों की कुल कितनी संख्या है ?

(ख) क्या उन खानों के लिए प्रति खान २००) रुपये मलबा हटाने के लिए, लिये जाते हैं ? यदि हां, तो अब तक कुल कितनी राशि जमा हो गई है तथा इन रुपयों का सरकार क्या उपयोग कर रही है और मलबा हटाने की क्या योजना कार्यान्वित की जा रही है ?

मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति में राजस्व मन्त्री)श्रीदामोदरलाल व्यास) : (क) २८११

(ख) हां।

(ग) १,७५,६००.

(घ) इन रुपयों को उपयोग में लाने के लिए ट्रक खरीदने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री सूरजमल : इन खानों में से कितनी चालू की गई हैं और कितनी बेकार पड़ी हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सवाल आप का यह था कि कुल कितनी खानें हैं उसका जवाब मैंने दिया २८११.

प्रश्न संख्या ३६७

पस्थित होने से ३६७ प्रश्न स्थगित किया गया

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

(अनुपस्थिति)

सचिवालय में इस वर्ष खस के पर्दों की व्यवस्था पर व्यय

३६८. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) सरकार ने इस वर्ष सचिवालय में खस के पर्दों (टाटे) की व्यवस्था करने में कितना व्यय किया है ?

(ख) यह इस कार्य को सम्पन्न करने के लिये किसी को ठेका दिया गया था ? यदि हां, तो किस को तथा यह कार्य कब तक पूरा होने को था व अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ है।

मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति में (श्री दामोदरलाल व्यास) : अब तक लगभग सात हजार रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

(ख) केवल खस के टट्टे तैयार करने की मजदूरी का ठेका दिया गया है।

(ग) यह कार्य अप्रेल के दूसरे सप्ताह में शुरू किया गया और जिस ठेकेदार को एक माह में पूरा करना था किन्तु खस प्राप्त करने में देरी होने के कारण कार्य रुका रहा।

श्री भैरोंसिंह : क्या खस के लिए टेन्डर इन्वाइट किये गये थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : टेन्डर इन्वाइट करने की जरूरत नहीं थी। खस डिपार्टमेंट से ही लिया गया है। डिपार्टमेण्ट की तरफ से जो ठेकेदार है उससे लिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : खस कहां से खरीदा गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : भरतपुर से खरीदा गया है। भरतपुर का ऐसा नियम था कि जो ठेकेदार था उसको खस राज्य को लागत पर ही देना पड़ता था। उसी नियम को लागू रखा गया और ७० मन के करीब खस २०) रु० मन के हिसाब से उसने दी लेकिन उसके बाद मजदूरों की कमी होने की वजह से उसने खस देने से इन्कार कर दिया है। अब २५ रु० मन के हिसाब से खस देने की व्यवस्था की है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कई ठेकेदार २५) रु० मन से कम देने को तैयार थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं। खस का बाजार भाव ४०), ४५) रु० मन है।

श्री भैरोंसिंह : अब यह भाव होगा, मैं उस समय की बात कह रहा हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : उस समय भी ४०), ४५) रु० मन का भाव था।

श्री मदनसिंह : यह खस क्यों खरीदा गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सचिवालय में टट्टियां लगाने के लिए।

श्री मदनसिंह : क्या इतनी ठण्ड होती है, उस समय भी टट्टियां लगाना जरूरी होता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ठंड लाने के लिए और गर्मी हटाने के लिए टट्टे लगाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या जवास के टट्टे नहीं हो सकते ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी राय ली जावेगी, इसके लिए।

त० कोटपुतली में गोचर भूमि कुछ व्यक्तियों को एलोट करना

३६६. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसील कोटपुतली में गोचर भूमि कुछ लोगों को अलाट की गई है ?

(ख) यदि हाँ, तो किस किस गांव में किन किन को दी गई है ? सूची मेज पर रखने की कृपा करें ?

(ग) क्या जिनको यह भूमि अलाट हुई है, उनके पास पहले भी जमीन थी ?

(घ) यदि हां, तो फिर उनको यह गोचर भूमि क्यों दी गई है ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) :
(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ४००

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुर सिंह।

(अनुपस्थित)

चाकसू में सुनवाई हेतु विचाराधीन फौजदारी मुकद्दमे

४०१. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील चाकसू में कितने फौजदारी मुकदमात सुनवाई के लिए विचाराधीन पड़े हुए हैं ?

(ख) क्या वर्तमान तहसीलदार चाकसू को उन मुकदमात की सुनवाई करने का अधिकार हासिल है ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) :
(क) १०

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

प्रश्न संख्या ४०२

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कमला श्रोत्रिय।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४०३

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुर सह

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष श्री मोहरसिंह।

राजस्थान में कृषकों को प्रदान किये गये खातेदारी अधिकार

४०४. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या

(श्री मोहरसिंह)

राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान काश्तकारी एक्ट, १९५६ की धारा १५ के अन्तर्गत अब तक राजस्थान में कुल कितने काश्तकारों को खातेदारी हक प्रदान किये गये ?

(२) क्या यह सही है कि अब तक हजारों किसानों को खातेदारी हक नहीं दिये गये हैं ?

(३) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में देरी क्यों की जा रही है ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) समस्त तहसीलों को आदेश दे दिये हैं कि वे नियमानुसार खातेदारी दर्ज करें। अभी समस्त जिलों को पूरी पूरी सूचना उपलब्ध नहीं हुई है ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहरसिंह : क्या यह सही है कि रेवेन्यु डिपार्टमेंट से एक ऑर्डिनेन्स जारी किया गया जिसकी वजह से धारा १५ के अन्तर्गत खातेदारी के हकूक देने में देरी हुई ?

श्री अध्यक्ष : क्या कोई आर्डिनेन्स निकाला गया है जिसकी वजह से देरी हुई ?

श्री सम्पतराम : राजस्थान टेनेन्सी एक्ट में जो प्रोवीजन है उसके मातहत खातेदारी के हकदार किसान ओटोमेटिकली बन जाते हैं, रिकॉर्ड मेन्टेन करने में देरी हो जाती है ।

श्री मोहरसिंह : खातेदारी के हक प्रदान करने में देरी के क्या कारण हैं? बीकानेर और चूरू जिले में १०० में से ५ को धारा १५ के अन्तर्गत खातेदारी के हक नहीं मिले हैं इसकी वजह क्या है ?

श्री सम्पतराम : इतना बड़ा राजस्थान है जिसमें अधिकांशतः काश्तकारों को खातेदार दर्ज कर लिया गया है लेकिन तहकीक रूप से नहीं कहा जा सकता है कि राजस्थान में सारे काश्तकारों को खातेदार दर्ज कर लिया गया है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि बहुत से काश्तकारों को इसलिए खातेदारी का हक नहीं मिला, क्योंकि उनकी जमीन छीन कर दूसरों को दे दी जायगी ?

श्री सम्पतराम : इसलिए नहीं मिला या उस लिए नहीं मिला, यह बात नहीं है। काश्तकारी एक्ट में जो प्रोवीजन है, उसके अनुसार जिनको मिलना चाहिये, उनको मिलेगा और जिनको नहीं मिलना चाहिये, उनको नहीं मिलेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस प्रश्न के भाग दो में आपने कहा, "जी नहीं" प्रश्न यह था कि हजारों किसानों को खातेदारी हक नहीं दिये गये हैं। यह "जी नहीं" किस आधार पर कहा ?

श्री सम्पतराम : I will draw your attention to section 15 of the Tenancy Act. You may please go through it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I have already gone through it.

Page No.14

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मेरा कथन यह है कि भाग दो में कहा कि खातेदारी के हक नहीं दिये गये हैं। आपने जो 'जी नहीं' कहा वह किस आधार पर कहा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सेक्शन १५ में जो प्रोवीजन है उसके अनुसार खातेदारी के हक मिल जायेंगे। हमने एग्जीक्युटिव ऑर्डर निकाले हैं, हिदायतें दी हैं कि खातेदारी के राइट्स दे देने चाहिये। अगर नहीं मिले हैं तो हमारे पास शिकायत करनी चाहिये। लेकिन कोई शिकायत नहीं आई। आप कह रहे हैं कि हजारों को खातेदारी हक नहीं दिये गये हैं। हम कह रहे हैं, 'नहीं'।

टिनेन्सी एक्ट में ऐसा प्रावीजन है कि यदि किसी को खातेदारी हक नहीं मिला है तो उसको राइट आफ अपील (right of appeal) दिया है। मैं नहीं समझता कि क्यों दिक्कत पैदा हो रही है? हमने पहले इसके लिए एक साल की मयाद रखी थी, अब वह बढ़ा दी गई है और यह हिदायत दे दी गई है कि टाइम के अन्दर दरख्वास्त करके खातेदारी के राइट्स हासिल कर लें। अब इसमें काश्तकारों को कहां दिक्कत है ?

श्री मोहरसिंह : आपने फर्माया कि दरख्वास्त देने का प्रोवीजन है इसलिए सरकार का जिम्मा नहीं है। जो अहलकार हैं, वे खातेदारी की पर्चियों को काश्तकारों को खुद दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि एग्जीक्युटिव ऑर्डर्स जारी कर दिये गये हैं कि खातेदारी के राइट्स दे दिये जायं। अगर किसी को नहीं मिला है तो उन केसेज़ को सरकार के ध्यान में लाना चाहिये।

श्री मोहरसिंह : कौन सी तारीख को ऑर्डर्स जारी हुए, ऑर्डर्स जारी हुए कितने दिन हो गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रेवेन्यू बोर्ड से जारी हुए हैं। करीब आठ–दस महीने हो गये हैं।

श्री भीमसेन : बीकानेर जिले में एक काश्तकार को भी खातेदारी हक नहीं दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बीकानेर जिले में, मैं ऐसा नहीं समझता। अगर हुए हैं तो आप हमें बतलायें।

श्री भीमसेन : ऐसा हुआ है।

श्री मोहरसिंह : ऐसा ही चूरू जिले में हुआ है। खातेदारी के अख्तियार नहीं मिले हैं।

श्री भीमसेन : इसकी क्या वजह है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

भूतपूर्व भरतपुर, अजमेर व जयपुर राज्य के कारखाने जात के कर्मचारियों के पेंशन के मामले

४०५. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : क्या वित्त मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भूतपूर्व भरतपुर तथा अजमेर राज्य के पटवारियों तथा जयपुर स्टेट के कारखाने-

Page No.15

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जात के कर्मचारियों के पेन्शन के मामले अब तक क्यों नहीं तय हुए हैं ?

(ख) कुल कितने मामले अब विचाराधीन हैं और उनके कब तक निर्णीत हो जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) भूतपूर्व भरतपुर व अजमेर के पटवारियों के पेन्शन का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

जयपुर राज्य कारखाने जात इसमें तीन प्रकार के मामले हैं :

(१) बेड़ाखवास चेलान : इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा आदेश जारी किये जा चुके हैं। जागीर कमिश्नर व कलेक्टर इस सम्बंध में भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

(२) रथखाना : इनकी पेन्शन देने का कोई नियम नहीं था।

(३) अन्य : इनके सर्विस रेकार्ड्स का पूरा प्राप्त न होना।

(ख) विचाराधीन मामलों की संख्या १३१ है। मार्च १९५८ तक तय हो जाने की आशा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जागीर कमिश्नर व कलेक्टर भरसक प्रयत्न किस दृष्टि से कर रहे हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बेड़ाखवास चेलान के सिलसिले में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भरसक प्रयत्न क्या कर रहे हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तय हुआ है कि जागीरदारी उन्मूलन एक्ट के बाद उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं रही है, उनको पेन्शन का भी अधिकार नहीं रहा है। उनमें कई अलग से जागीरदार भी हैं, उनको मुआवजा दिया जा सकता है। इसकी जानकारी कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने बतलाया कि जयपुर राज्य कारखाने के तीन तरह के मामले हैं। यह क्या जयपुर स्टेट से ताल्लुक रखता है या सिर्फ जयपुर से ताल्लुक रखता है ? इसमें क्या जयपुर राज्य के ठिकाने भी शामिल हैं ?

श्री भैरोंसिंह : क्या बेड़ा खवास चेलान को अलग अलग जागीरों में शुमार किया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जयपुर राज्य का सवाल है, केवल जयपुर का सवाल नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनियारा के कितने आदमियों के केसेज़ पेंडिंग हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने बतलाया कि १३१ मामले कुल हैं। उसमें बेड़ा खवास चेलान के ६२ मामले हैं, रथखाना के ३१ मामले हैं और अन्य के ३८ मामले हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ये खास जयपुर के हैं या इनमें ठिकाने भी शामिल हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो जयपुर राज्य में आ सकते हैं वे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या बेड़ा खवास चेलान को अलग अलग जागीरों में शुमार किया है ?

Page No.16

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरे पास जानकारी है उसके अनुसार इसके लिए आर्डर है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाय। बेडा खवास चेलान की भूमि खालसा की जा रही है। यह राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनःग्रहण एक्ट के कारण खत्म हो जाती है, तो उसका मुआवजा, पुनः स्थापन अनुदान देने का अधिकार है या नहीं? परन्तु यदि किसी व्यक्ति विशेष, जाति और हैसियत के नाम बेडाखवास चेलान की भूमि है तो उसको पुनः ग्रहण का मुआवजा पाने का अधिकार है या नहीं, इसकी जांच कर ली जाय? इसके लिए (पेंडिंग केसेज) जागीर कमिश्नर को भेजे गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : पेंडिग केसेज जागीर कमिश्नर को क्यों रेफर किये गये हैं?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : रेवेन्यु के अधिकार में माना गया है। वे ही जो जागीरें मिलती हैं उनके व्यक्तियों को सर्विस देते हैं एवज में।

श्री भैरोंसिंह : सरकार उनको जागीर में शुमार नहीं कर रही है तो उन्हें जागीर कमिश्नर को क्यों रेफर किया गया?

श्री अध्यक्ष : जो जागीर कमिश्नर को इसलिये भेजे जाते हैं कि जिससे पता चले कि जागीरदारों में उनका नाम आ सकता है या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : ये मामलात कितने हैं? आपने बताया कि केसेज जागीर कमीश्नर को रेफर किये गये, यदि चीज होती तो ऑब्जेक्शन किये जाते। लेकिन ऑब्जेक्शन किये नहीं, फिर जागीर कमिश्नर को क्यों रेफर किये गये हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : जागीर कमीश्नर के रेफर करने का कारण यह है कि वह हर :

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, ये कैसे जवाब दे रहे हैं, जब कि मिनिस्टर साहब इससे सम्बन्ध रखने वाले मौजूद हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह कोई बात नहीं है, हर एक मिनिस्टर दे सकता है।

श्री दामोदर लाल व्यास : यह जो प्रश्न किया गया है जागीर का सवाल है....

श्री भैरोंसिंह : क्या ये सुपरसीड करते हैं, उनकी एबिलिटी को?

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं, यह जागीर का सवाल है और मुझसे यह सम्बन्ध रखता है इसलिये मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। इसमें ऐसा है कि हर केस में देखना होता है कि यह जागीर है कि नहीं' and the Jagir Commissioner is the competent authority for that purpose. वो एग्जामिन करते हैं और एग्जामिन करने के बाद अगर जागीर है और जागीर रिज़म्प्शन एक्ट की तहत में आता है तो उन्हें कम्पेन्सेशन देते हैं और बाकी जो केसेज़ जागीर के नहीं हुए उनमें पेन्शन देते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : जब जागीरदार ही नहीं माना गया तो....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): माननीय सदस्य ने अगर जवाब गौर से सुना होता तो मालूम हो जाता कि किन केसेज में जिनको रिकोग्नाइज़ किया गया जागीर रिज़म्प्शन एक्ट में डील किया जायगा।

Page No.17

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि तोपखाना, रथखाना के नौकर हैं उनके मामले इसलिये पड़े हुये हैं कि उनको जागीरदारों का कर्मचारी नहीं माना गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह अलग प्रश्न है, अलग से पूछियेगा तो उत्तर दिया जायगा ।

प्रश्न संख्या ४०६

श्री अध्यक्ष : श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया ।

(अनुपस्थित)

श्री रामेश्वरदयल ।

सन् १९५५ से ५७ तक दिया गया इन्डस्ट्रियल लोन

४०७ श्री **रामेश्वरदयाल** (कोटा) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

सन् १९५५–५६ और १९५६–५७ में कोटा जिले में इन्डस्ट्रियल लोन किन किन को कितना कितना दिया गया ? सूचीमय कर्ज के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : सन् १९५५–५६ और १९५६–५७ में कोटा जिले में १६,००० रुपये व २५०० रुपये की धनराशि क्रमशः ऋण रूप में जिन इन्डस्ट्रीज को दी गई उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

आपको मिल गई कि नहीं ? नहीं मिली हो तो लिस्ट पढ़कर सुना देता हूं ।

सन् १९५५–५६

१. कोटा रबर इन्डीस्ट्रीज कोटा	५०० रु०
२. श्री सूरजमल वैद्य दाल मिल व चैक कटिंग फैक्टरी कोटा	२५०० रु०
३. श्री उम्मेदमल मेहता, प्रोप्राइटर जैन प्रिंटिंग प्रेस, कोटा	५००० रु०
४. श्री मदन लाल दक्षिणी, प्रोप्राइटर, दक्षी कॉटेज इन्डस्ट्रीज, मेन्युफेक्चरिंग सोप एन्ड हेअर ऑइल छींपा बड़ोद, डि० कोटा	३५०० रु०
कुल	१६,००० रु०

सन् १९५६–५७

१. कोटा मेन्युफेक्चरिंग सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी लि०, ग्राम पीथरिया, तहसील शाहबाद ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट कोटा	२५०० रु०

श्री रामेश्वरदयाल : क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में नियम बना रखे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी, नियम हैं ।

श्री रामेश्वरदयाल : कर्ज देने के बाद क्या सरकार इस बात की जांच करती है कि जो रकम कर्ज रूप में दी गई है उसका ठीक तरह से उपयोग हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, करती है ।

श्री रामेश्वरदयाल : सन् ५५–५६ और ५६–५७ में जो कर्ज दिया गया है क्या उनके सम्बन्ध में जांच की गई है कि उस

Page No.18

(श्री रामेश्वरदयाल)

कर्ज की रकम का ठीक तरह से उपयोग हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच की जानी चाहिये, जांच की गई है कि नहीं, यह तो मैं अभी नहीं कह सकता।

प्रश्न संख्या ४०८

श्री अध्यक्ष : श्री राजाराम।

(अनुपस्थित)

बाड़मेर जिले में रबी की फसल को हानि

४०६. **श्री अनोपसिंह** (बालोतरा) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या बाड़मेर जिले में कई जगह रबी की फसल को दाह, बेमौसमी वर्षा, ओलों और रोली से काफी नुकसान हुआ है ? अगर हां तो उन जगहों पर कृषि लगान में छूट (रिरेमिशन) देने के लिए सरकार ने कोई आदेश जारी किया है ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

उप राजस्व मन्त्री : (श्री सम्पतराम) जी नहीं। कुछ गाँवों में मामूली हानि हुई है। हानि रुपये में केवल दो आना होने के कारण लगान में छूट देने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : किस जगह हुआ, साहब ?

श्री सम्पतराम : आप जहां का पूछेंगे।

श्री अनोपसिंह : क्या आपके पास खबर आई है कि फलां फलां जगह इतना नुकसान हुआ है ?

श्री सम्पतराम : सिवाना तहसील के चार पांच गांवों में मामूली नुकसान हुआ है, पर ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिससे कि लगान में छूट देना आवश्यक है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : टोंक डिस्ट्रिक्ट में कहां कहां हुआ ?

श्री सम्पतराम : कहीं नहीं हुआ।

(हंसी)

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने ऐसी जानकारी लेने की कोशिश नहीं की है।

श्री सम्पतराम : हर सम्भव जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है।

श्री दामोदर लाल व्यास : मैं स्पष्ट कर दूं, जहां तक नुकसान का सम्बन्ध है नियम के माफिक कलेक्टर्स और रेवेन्यु इन्स्पेक्टर्स को जानकारी करनी चाहिए फिर भी हमने एतिहातन टेलीग्राम्स देकर और इन्वेस्टिगेशन करवा कर सब जगह की जानकारी प्राप्त कर ली है। बाड़मेर के मुतल्लिक जो तार का जवाब आया वही इन्वेस्टिगेशन से मालूम हुआ। उसी जानकारी के आधार पर यह उत्तर दिया गया है।

श्री अनोपसिंह : सिवाना तहसील में नुकसान हुआ है तो अभी तक वहां रिलीफ वर्क क्यों नहीं खोला गया व रेमिशन क्यों नहीं दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रिलीफ वर्क्स कब शुरू होता है, रेमिशन कब दिया जाता है; इसके रूल्स बने हुए हैं। माननीय सदस्य

Page No.19

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ने उन रूल्स के मुताल्लिक जानकारी नहीं की है। यह नुकसान उन रूल्स में कवर नहीं होता इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : दूणी तहसील की भी इत्तला है कि कितना नुकसान हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सारी जगह की इत्तला है।

रावराजा श्री सरदार सिंह : दूणी तहसील में जायल वगैरह गांव हैं, वहां की तहसील ने लिख दिया है कि यहां तो फसल बिलकुल बर्बाद हो गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां के एम० एल० ए० ने लिख कर नहीं भेजा ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : एम० एल० ए० के कहने से दें तो मैं ही दे दूं ?

श्री अध्यक्ष : आप ही हैं क्या वहां के एम० एल० ए० ?

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह।

सार्वजनिक स्थानों में विदेशी शासनाधिकारियों की मूर्त्तियां की स्थापना

४१०. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में किन किन सार्वजनिक स्थानों में किन किन विदेशी शासनाधिकारों की मूर्तियां स्थापित हैं ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) क्या सरकार ने १८५७ के स्वतन्त्रता शताब्दी समारोह के उपलक्ष में इन विदेशी शासकों की मूर्तियां हटा कर संग्रहालय में रखने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो यह कार्यवाही कब तक सम्पन्न हो जावेगी ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (k) Ajmer 3 ; (i) Statue of Lord Mayo in Mayo College.

(ii) Two busts in the componnd of Victoria Hospital.

Udaipur 1 : (i) Statue of Queen Victoria Gulab Bagh.

Jodhpur 1 : (i) Bust of Edward VII in the Jodhpur Museum.

Jaipur 1 : (i) Lord Mayo in Ram Niwas Garden.

(ख) इस विषय में भारत सरकार की नीति का पालन किया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या राजस्थान सरकार ने इस मामले में भारत सरकार की राय ली है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसी राय की आवश्यकता नहीं। दिल्ली जाते हैं तो देखते हैं कि वहां भी इस प्रकार की मूर्तियां लगी हुई हैं।

Page No.20

श्री भैरोंसिंह : क्या राजस्थान सरकार अब भी उचित समझती है कि उन साम्राज्य-वादी अंग्रेजों की मूर्तियों को सार्वजनिक स्थानों में रखा जाय ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसमें भारत सरकार जैसा समझेगी वैसा हम भी समझेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : क्या राजस्थान में राजस्थान की जनता की भावनाओं के बारे में भारत सरकार को जानकारी नहीं दी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसे मामलों में भावनाओं के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि जब चार –पांच लाख अंग्रेज भारत में मौजूद थे, उनसे भी हम नहीं डरे थे तो इन मृत चार–पांच अंग्रेज अफसरों के स्टेच्यूज से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है । इस सम्बन्ध में भारत सरकार की जो नीति होगी उसी प्रकार हमारी भी नीति होगी ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि इन मूर्तियों को न हटाया जाय ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नहीं, ऐसी नीति नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह समझा जाय कि इनको हटाने की नीति है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : भारत सरकार की नीति इस सम्बन्ध में रहेगी वही हमारी भी रहेगी ।

श्री मदनसिंह (दांता) : अगर हम हटा देंगे तो आप क्या सख्ती करेंगे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप नहीं हटा सकते, कानून को हाथ में लेकर नहीं हटा सकते ।

श्री मदनसिंह : यह क्या कानून है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कानून कानून है साहब ।

आर. ए. एस. के पदों पर शिड्यूल्ड कास्ट्स के व्यक्तियों की नियुक्ति

४११. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) इस बार आर. ए. एस. के पद पर कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये है ?

(ख) उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स के कितने लोग हैं ?

(ग) यदि नहीं तो क्यों ?

(घ) शिड्यूल्ड कास्ट्स की सुरक्षित सीटों पर अब शिड्यूल्ड कास्ट्स के कितने व्यक्ति लिये गये ? उनके नाम जाति सहित बतलाने की कृपा करें ?

(ङ) इन्हें सरकारी पदों पर शिड्यूल्ड कास्ट्स की सीटों पर लिये जाने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

(च) यह लोग इन पदों पर टेम्परेरी लिये गये हैं या परमानेन्ट ? हरिजनों की इन रिजर्व सीटों पर इनको टेम्परेरी लिया गया है, तो कितने अर्से के लिये ?

(छ) क्या यह सत्य है कि येन केन प्रकारेण इन सज्जनों को ऐसे स्थानों पर

Page No.21

(श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री)

इतने अर्से तक रखा जायेगा जब तक कि शिड्यूल्ड कास्ट्स का रिज़र्वेशन पीरियड समाप्त नहीं हो जावे ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) इस वर्ष अभी तक आर. ए. एस. में पदों पर कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किये गये। आर. ए. एस. में इमर्जेन्सी रिक्रूटमेन्ट का सिर्फ परीक्षाफल दिनांक २५ अप्रैल १९५७ को घोषित किया गया है।

(ख), (ग), (घ), (ङ), (च), और (छ). : प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : इस इम्तहान में शिड्यूल्ड कास्ट्स के कितने व्यक्ति हुए थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो इम्तिहान का सवाल है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : पिछले साल कितने शिड्यूल्ड कास्ट्स के व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : केवल दो।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : कौन कौन थे।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस सवाल का जवाब पिछली टर्न पर पूरा दिया जा चुका है। जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या उनके नाम व जाति बताने की कृपा करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय का प्रश्न है कि इस बार आर. ए. एस. के पद पर कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं ? इसका जवाब दे दिया गया है कि कोई नहीं। इसके बाद के सवाल पैदा ही नहीं होते। आपने यह नहीं पूछा कि कितने सिलेक्ट हुए। आपका प्रश्न पदों पर नियुक्ति करने का है। Noat single man has been appointed on any R. A. S. post this year.

श्री हरीशंकर सिद्धान्तशास्त्री : यह बताने की कृपा करें कि गत वर्ष शिड्यूल्ड कास्ट्स के कितने व्यक्तियों की आर. ए. एस. के पद पर नियुक्ति की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गत वर्ष के लिये अलग प्रश्न करें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कमला श्रोत्रिय।

(अनुपस्थित)

श्री रावतराम।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह खेजड़ला।

(अनुपस्थित)

श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

श्री आनन्दसिंह कछवाहा।

जोधपुर में जुलाई १९५७ में पोलिटेक्निक इन्सटीट्यूशन चालू करने की योजना

३९१. आनन्दसिंह कछवाहा (जोधपुर-प्रथम) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.22

(श्री आनन्दसिंह कछवाहा)

(क) क्या जोधपुर में जुलाई सन् १९५७ में पोलिटेक्निक इन्स्टीट्यूशन चालू करने की योजना थी ? यदि हां, तो उनके अब तक चालू न किए जाने क्या कारण हैं ?

(ख) इन योजना के अन्तर्गत सन् १९५६-५६ में जो ६,४० लाख रूपयों का प्रोवीजन रखा गया था, उसमें से अब तक कितने रुपये खर्च किये गये ?

(ग) इसी तरह क्या सन् ५७-५८ में भी इस योजना के अन्तर्गत १४.८३ लाख रुपयों का प्रोवीजन रखने का सरकार का कोई विचार था ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त प्रोवीजन रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) भारत सरकार ने पहिले वर्ष में जोधपुर में व दूसरे वर्ष दूसरी इन्स्टीट्यूट उदयपुर में खोलने की जो योजना बनाई थी उसमें क्या प्रगति की गई है ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द) : (क) जी हां, जोधपुर में भारत सरकार की आज्ञा से वर्तमान कॉलेज में डिग्री कोर्स की संख्या १४० तथा डिप्लोमा कोर्स की २१० तक बढ़ा दी है, जिस पर पोलीटेक्निक से १० लाख के मुकाबले में १४ लाख खर्च होंगे। भारत सरकार की राय है कि यह कार्य ज्यादा आवश्यक है और एक मायने में यही पोलीटेक्निक है। इस काम में भारत सरकार से शत-प्रतिशत सहायता प्राप्त होगी।

(ख) उस मद का रुपया इस मद में खर्च करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां, इस साल इस योजना के अन्तर्गत १० लाख रुपयों का प्रोविज़न रखा गया है।

(घ) राजस्थान में दूसरी पोलीटेक्निक उदयपुर में खोलने की योजना है। परन्तु इस वर्ष उदयपुर में भवन की सुविधा नहीं है, इसलिये उदयपुर पोलीटेक्निक के छात्र इस जोधपुर पोलीटेक्निक में भरती किये जायेंगे। आगामी वर्ष जुलाई ५८ से उदयपुर पोलीटेक्निक में स्थानान्तर कर दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : पुनः रिपीट किया जाता है।

श्री भंवरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री रावतराम।

(अनुपस्थित)

श्री बहादुर सिंह।

(अनुपस्थित)

श्रीमती कमला श्रोत्रिय।

(अनुपस्थित)

श्री बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया।

(अनुपस्थित)

श्री राजाराम।

(अनुपस्थित)

Page No.23

सदन की मेज पर रखे गये अतारांकित प्रश्नोत्तर

कल्याण कॉलेज (सीकर) के अध्यापकों को गत वर्ष वितरित वेतन

१. श्री जग्दीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) श्री कल्याण कॉलेज, सीकर के प्राध्यापकों को गत वर्ष सन् १९५६-५७ में हर माह का वेतन कब कब मिला ? सूचना की एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) उपरोक्त प्राध्यापकों के फिक्सेशन कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

उत्तर

(क) निम्नलिखित तारीखों को मिली :

(१) मार्च ५६ से जून ५६ तक की तनख्वाह १४-७-५६ को मिली।

(२) जुलाई की तनख्वाह ४-८-५६ को मिली।

(३) अगस्त ५६ से दिसम्बर, ५६ की तनख्वाह ३-१-५७ को मिली।

(४) जनवरी ५७ से मार्च ५७ तक की तनख्वाह ३०-४-५७ को मिली।

(ख) इन तमाम अध्यापकों के फिक्शेशन स्टेटमेन्ट अकाउन्टेन्ट जनरल जोधपुर के यहां भेज दिये गये हैं पास होकर आने की प्रतीक्षा है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में विभिन्न मदों में व्यय हुई धन-राशि

२. श्री लालूराम (टोंक) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) पहली पंचवर्षीय योजना में किस जिले में कितना कितना रुपया किस किस कार्य पर खर्च किया गया ? टोंक जिले में कितनी धनराशि खर्च की गई ?

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस किस कार्य के लिए, किस किस जिले में कितनी कितनी धन राशि खर्च किये जाने की योजना है ? जिला वाइज बताने की कृपा करें ?

(ग) टोंक जिले में किस किस कार्य के लिए कितनी कितनी धनराशि खर्च की जावेगी ?

उत्तर

प्रश्न विस्तृत होने के कारण प्रश्न के प्रत्येक अंग की सम्पूर्ण सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकी। उपलब्ध होने पर प्रस्तुत की जा सकेगी।

दरबार मिडिल स्कूल (जयपुर) में विभिन्न कक्षाओं में छात्र एवं उस स्कूल का स्टाफ

३. श्रीमती चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) दरबार मिडिल स्कूल जयपुर में श्रेणीवार छात्रों की संख्या कितनी है ? स्कूल में कुल कितने कमरे हैं और उनमें

(श्रीमती चन्द्रकला)

बैठने की जगह कितनी है तथा स्कूल में कुल कितनी शिफ्ट चलती हैं ! स्कूल में किस किस किस योग्यता का कितना स्टाफ है ?

(ख) क्या सरकार उक्त मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाने व उसे मानसिक चिकित्सालय की इमारत में ले जाने की बात तय कर चुकी है ?

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अन्तर्गत जयपुर शहर के चौकड़ी मोदीखाना, चौकड़ी तोपखाना देश तथा हवाला शहर गरबी में किस किस प्रकार के कितने स्कूल खुलने की योजना है ? उक्त क्षेत्र में लड़कियों की प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था क्या है और आगे क्या व्यवस्था सोची जा रही है ।

उत्तर

(क) निम्नलिखित छात्र संख्या है :

कक्षा ६	कक्षा ७	कक्षा ८	
१८६	२०३	२१०	कुल ६०२

स्कूल में कुल २० कमरे हैं तथा विद्यार्थियों के बैठने के लिए केवल १० ही काम में आते हैं। स्कूल में दो शिफ्ट चलती है ।

स्कूल में निम्नलिखित योग्यता का स्टाफ है :

योग्यता	संख्या
बी. ए. ए. बी. टी. सी.	१
बी. ए.	४
बी. ए. एस. टी. सी.	१
एम. ए. प्रीवियस	१
इन्टर एस. टी. सी.	२
इन्टर एस. टी. सी.	१
इन्टर साइन्स	२
इन्टर कामर्स	१
इन्टर और साहित्य रत्न	२
प्रभाकर, शास्त्री	१
मैट्रिक ए. वी. टी. सी.	१
मैट्रिक एस. टी. सी.	१
मैट्रिक	४
मैट्रिक बाम्बे इन्टर	१
मैट्रिक शास्त्री	१
शास्त्री आ. डी. एस.	१
वी. टी. सी.	१
टेलर मास्टर डिप्लोमा होल्डर	१
नोन मैट्रिक	१
फिजीकल इंसटेक्टर	१
कुल संख्या	३१ है

(ख) स्थान की कमी को दूर करने के लिए मानसिक चिकित्सा की इमारत को इस स्कूल को देने की कार्यवाही चल रही है ।

(ग) जयपुर जिले में ३३ नये प्राइमरी स्कूल्स खोले जावेंगे । अभी यह तय नहीं हो सका है कि कहां कहां खोले जावेंगे । यह कार्य जिला विकास समिति के सिफारिश पर निर्भर है । उपयुक्ता को ध्यान में रख कर स्कूल खोले जावेंगे । इस समय वहां पर चौकड़ी तोपखाना देश में १ राजकीय कन्या पाठशाला चल रही है । २ सहायता प्राप्त कन्या पाठशालाएं चल रही हैं । १ बाल शिक्षा मन्दिर महावीर पार्क में तथा दूसरी महावीर दिगम्बर जैन बालिका विद्यालय । भविष्य में कहां कहां पाठशालायें

(श्री शिक्षा मंत्री)

खोली जावेंगी, यह अभी तय नहीं हुआ है ।

गत वर्ष समाज कल्याण विभाग की ओर से सहायतार्थ दिये गये साढ़े तीन सौ रुपया

४. श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (आमेर) क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गत वर्ष १९५६–५७ में समाज कल्याण विभाग की ओर से रु० ३५०) सहायतार्थ किस किस जगह के किन किन जाति के लोगों को दिये गये, जिले एवं तहसीलवार ब्यौरा बतलाने की कृपा करें ।

(ख) तहसील चाकसू, बस्सी, सवाई जयपुर, सांगानेर, फागी, दूदू, दौसा, लालसोट और आमेर में इस प्रकार की सहायता किस किस गांव में दी गई तथा कितनी कितनी ?

(ग) यति नहीं दी गई तो क्यों ?

(घ) इस प्रकार की सहायता उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा डिवी- में कितनी कितनी दी गई ?

उत्तर

(क) सन् १९५६–५७ में दी गई सहायता की जिलेवार व तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ग) इस तरह का सीमित प्रावधान होने से प्रत्येक स्थान में इस तरह की सहा- यता देना सम्भव नहीं है ।

(घ) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

दलित वर्ग संघ को हरिजनों में प्रचारार्थ प्रतिवर्ष दी जाने वाली धनराशि

५. श्री जयचन्द्र मोहिल (कपासन) : क्या दलित वर्ग उत्थान मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ को हरिजनों में प्रचार करने के हेतु प्रतिवर्ष सरकार से ८० प्रतिशत सहायता दी जाती है ? यदि हां तो गत दो वर्षों में इसे कितनी कितनी सहायता दी गई ?

(२) क्या यह सहायता जिले वाइज दी जाती है या डिवीजन वाईज़ अगर जिले वाइज़ दी हो, तो किस किस जिले को कितनी कितनी दी गई और वह किस व्यक्ति के हस्ते व किस आधार से ? अगर डिवीजन वाइज दी गई तो किस किस डिवीजन को कितनी कितनी और किस किस व्यक्ति के हस्ते मय उनका पद व जाति भी बतावें ।

(३) डिवीजन वाइज जो रकम दी गई वह किस किस जिले के कितने कितने खर्च का, किसके जरिये हिसाब पेश करने पर, किस किस को किस आधार पर, दी गई ?

(४) क्या वसूल कर्ता ने इस खर्च के हिसाब में प्रचारकों का भी खर्च बताया है ? अगर हां तो, किस किस जिले में किस किस प्रचारक का ? प्रचारकों के नाम के साथ उनका पता, योग्यता, जाति और उनकी नियुक्ति की तारीख बतावें ?

(श्री जयचन्द्र मोहिल)

(५) इन कार्यकर्ताओं को गत दो साल में कितनी कितनी तनख्वाह दी गई ?

उत्तर

(१) राजस्थान में दलित वर्ग संघ को ७५ प्रतिशत सहायता दी जाती है। गत दो वर्ष में निम्न प्रकार से सहायता दी गइ है :

वित्तीय वर्ष	सहायता की रकम
१६५५–५६	१६,५४० रु० ७ आने
१६५६–५७	२०,३४३ रु० ० आने

(२) सरकार से जिले वाइज़ या डिविजन वाइज़ सहायता नहीं दी जाती। संस्था को सारे राजस्थान में कार्य के लिए सहायता दी जाती है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) संस्था के द्वारा प्रस्तुत हिसाब के के अनुसार कार्यकर्ताओं को वेतन के रूप में गत दो वर्षों में ३४,५८० रु० दिये गये हैं।

बीकानेर जिले में किसानों से मूंगा वसूली

श्री भीमसेन (लूनकरनसर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में कुल गांव की १० प्रतिशत भूमि से कम भूमि अनआकूपाइड रहने की दशा में किसानों से मूंगा वसूल नहीं किया जा सकता है ? अगर हां तो ऐसे कितने गांव है जहां कि १० प्रतिशत भूमि से कम अनआकूपाइड़ होते हुए भी किसानों से मूंगा वसूल किया जा रहा है ?

(ख) उपरोक्त श्रेणी के गांवों से कितने कितने वर्षों से मूंगा वसूल किया जा रहा है ? क्या सरकार नाजायज रूप से वसूल किया गया मूंगा वापिस देने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बीकानेर जिले में चारागाह कायम करने की सरकार से मांग

श्री भीमसेन (लूनकरनसर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) बीकानेर जिले में किन किन गांवों की ओर से किन किन तारीखों को सरकार के पास चरागाह कायम करने की मांग की गई है ?

(ख) उपरोक्त गांवों में से कितने गांवों में चरागाह स्थापित किये जा चुके हैं, कितने गांवों के प्राथनापत्र अस्वीकृत किये जा चुके हैं एवं कितने किसानों के प्रार्थनापत्र अभी तक पेन्डिग हैं ?

उत्तर

	क्र०सं०	नाम गांव	नाम तहसील	तारीख
(क)	१	रिडमलसरवास	बीकानेर	प्रोहतान ७–६–५६
	२	काकड़ा	नोखा	
	३	भाडेली	,,	

(राजस्व मंत्री)

४	पाखा	,,	
५	वाघनू	,,	
६	साचासर	,,	१–६–५६
७	मसूरी	,,	
८	उतमामदेसर	,,	
९	गजसुखदेसा	,,	
१०	थावरिया	,,	
११	जसरासर	,,	
१२	बीदासरिया	,,	३०–५–५६
१३	सांखलों की बस्ती मगरा		२८–११–५६

१४ तहसील लूणकरनसर में चरागाह पर्याप्त मात्रा में पहिले ही छोड़ी हुई है अतः किसी भी ग्राम से कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं हुआ, अलवत्ता ग्राम पंचायत लूणकरणसर से एक प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ जो उपरोक्त कारणों से अस्वीकृत कर दिया गया।

(ख) प्रश्न के खण्ड (क) में अंकित काकड़ा, झाड़ेली, पाखा व वाघनू में चरागाह स्थापित किये जा चुके हैं, बाकी गांवों के प्रार्थनापत्रों पर कार्यवाही चालू है। किसी भी ग्राम का प्रार्थनापत्र अस्वीकार नहीं किया गया।

गत तीन वर्षों में आठ हजार से ऊपर की तकावी और लोन

८. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (आमेर): क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :**

(क) गत तीन वर्षों में अर्थात् १९५४–५५, १९५५–५६ और १९५६–५७ में रुपया ८०००) से ऊपर का तकावी, लोन किस किस व्यक्ति को दिया गया ?

(ख) उनके नाम, पता आदि बतलाने की कृपा करें तथा उन्हें कितनी २ रकम दी गई यह भी बतलावें ?

(ग) ऐसे अब तक कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने रुपया तो ले लिया किन्तु इस कार्य में नहीं लिया उसे इसके लिये कि वह तकावी लोन लिया गया था ?

उत्तर

(क) किसी को नहीं दिया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान इन्डियन मेडिसिन्स संशोधन विधेयक १९५७

(पुरः स्थापन)

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान इन्डियन मेडिसिन्स (अमेन्डमेंट) बिल, १९५७ पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर व्यास, राजस्थान पुलिस विधेयक, १९५७

Page No.28

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान पुलिस बिल, १९५७ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए। इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(१) श्री संबन्धित मंत्री
(२) श्री एडवोकेट जनरल
(३) श्री रामप्रसाद लढ्ढा
(४) श्री आबीदअली
(५) श्री शंकरलाल
(६) श्री रावतराम
(७) श्री लालूराम
(८) श्री प्रभा मिश्रा
(९) श्री गोपाललाल पुरोहित
(१०) श्री जयेन्द्रसिंह
(११) श्री नाथूराम
(१२) श्री बालमुकुन्द
(१३) श्री नत्थीसिंह
(१४) श्री मदनसिंह
(१५) श्री शिवनाथसिंह
(१६) श्री छोटूसिंह
(१७) श्री नाथूलाल
(१८) श्री लक्ष्मीचन्द
(१९) श्री लादूराम
(२०) श्री सोहनलाल

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह बिल पुलिस बिल के नाम से इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं समझता हूँ कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करते होंगे कि यह बिल वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है। माननीय अध्यक्ष, इसके स्टेटमेंट ऑफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में लिखा है कि राजस्थान सरकार ने इस बिल को इसलिये रखा है कि अलग अलग जगह; अलग अलग कानून हैं और सब कानून एक रूप में नहीं हैं; कई रियासतों में अलग अलग कानून होने के कारण उन सबका एकीकरण करना जरूरी था, इसी कारण से यह व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा १८६१ में ब्रिटिश सरकार ने यह कानून बनाया है। जैसा कि स्टेटमेंट ऑफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीन्जस में लिखा है :

"That Act is, however, very old and since the conditions in the country in 1861 were comparatively simpler the said Act does not suit the considerably altered conditions and the new situations that has arisen thereby. In the absence of suitable powers vesting in the Police, it is not possible for it to discharge its responsibilities properly and the conditions as to the control of the Police are not satisfactory. It is, therefore, necessary to have a new law in the State vesting larger powers in the Police in respect of various aspects of public life. The Bill seeks to achieve that purpose and runs parallel to the Bombay Police Act of 1951." इसमें अध्यक्ष महोदय, यदि स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो इस बात का उल्लेख किया गया है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा यह कानून १८६१ में लागू किया था। इसलिए आज की परिस्थितियों के अनुसार

Page No.29

(श्री भैरोंसिंह)

यह एक साधारण कानून हो नहीं सकता। बल्कि यह कहा जाय कि इस समय पुलिस के जो अधिकारी थे, जिनके द्वारा पुलिस विभाग का कार्य संचालित होता था आज की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, मैं १८६१ के समय की बातें सदन में याद दिला कर सदन का समय नहीं लेना चाहूँगा लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि १८५७ के आन्दोलन के पश्चात् भारतवर्ष में जिस प्रकार की परिस्थिति थी, उसको आज राजस्थान का बच्चा बच्चा और भारतवर्ष का प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति जानता है और महसूस करता है। वह यह भी समझता है कि १८५७ के बाद किस प्रकार की परिस्थिति थी और उन परिस्थितियों को कन्ट्रोल करने के लिये उस समय की सरकार ने क्या किया और अब यह कहना कि उस समय की परिस्थितियें साधारण थीं और अब उससे भयंकर हो गई हैं और उनको कन्ट्रोल करने लिये इस प्रकार का कानून बनाना आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि यह बिल्कुल गलत सी चीज है।

अध्यक्ष महोदय, जिस समय क्रांति हुई, भारतवर्ष में लोगों को ऐसा अनुभव होने लगा कि देश जल्दी ही आजाद होगा और अंग्रेज स्वयं यह महसूस करने लग गये कि स्वतन्त्रता के लिये लोगों में भावना पैदा हो गई है और यदि इस प्रकार का कानून बना कर उन लोगों को नहीं रोका गया तो उनके लिये कठिन होगा। इससे उन्होंने स्वतन्त्रता के लिये लड़ने वालों को कुचलने के लिये इस प्रकार का कानून बना कर पुलिस के हाथ मजबूत किये। जो पुलिस डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स भारतवर्ष के लोगों को आजादी की लड़ाई लड़नेवालों को कुचलने के लिये बनाये गये और जो लोग देश में बलिदान करते थे उनको कुचलने के लिये बनाये और जिस प्रकार से उनको कुचला गया और रास्ते अपनाये गये, वही कानून आज हमारी सरकार की दृष्टि में एक साधारण कानून है और साधारण परिस्थितियों में बने हुए कानून हैं। मुझे ऐसा भय लगता है कि प्रजातन्त्र और जनतन्त्र की सरकार इस प्रकार के कानून को एक साधारण कानून बताती है। वह वास्तव में लोकतन्त्रीय सरकार है। मैंने तो इसका इतिहास पढ़ा है और उसके पढ़ने से मालूम होता है कि अगर इसको साधारण बताती है तो वह हमारी कांग्रेस सरकार नहीं, लोकतन्त्रीय राज्य नहीं, उसे तो तेमूरलंग का राज्य कहना चाहिये। यह उसी प्रकार का पुलिस राज्य है जिस प्रकार अल्लाउद्दीन खिलजी का राज्य था। औरंगजेब के राज्य में ऐसे कानून थे जिनके द्वारा लोगों को कुचला था, उसके बाद अंग्रेजों के राज्य में इस प्रकार का कानून बना। इसी कानून को मैं यह निवेदन करूँगा कि १९४७ से पहले जितने कांग्रेस के नेता थे और जिन्होंने देश की आजादी में भाग लिया था, सबने एक बार नहीं बार बार इसका विरोध किया और आचार्य कृपलानी ने तो इसके लिये भूख हड़ताल की थी और कहा था कि कम से कम यह पुलिस एक्ट, डिफेन्स ऑफ इन्डिया एक्ट आजादी में लड़ाई लड़ने वाली की या स्वतन्त्र विचारधारा रखनेवाले लोगों के लिये एक प्रकार की रोक है और उन्होंने इसका विरोध किया था।

मुझे अफसोस होता है कि आज उसी कानून को एक साधारण कानून बता कर के एक मामूली कानून बता कर, आज की परिस्थितियां उसमें हलकी बता कर एक कानून लाने की व्यवस्था की जाती है। यह एक समझने की बात है।

Page No.30

(श्री भैरोंसिंह)

जो कानून आज पेश किया जाने वाला है मैं उसको तीन भागों में विभाजित करता हूँ। पहले तो एडीशनल पुलिस फोर्स के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है, दूसरे भाग में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कुछ पावर्स दी गई हैं और तीसरे पुलिस विभाग के छोटे कर्मचारियों की आजादी छीनने की कोशिश की गई है। मैं इन तीनों भागों की गहराई की ओर जाने से पहले उन चीजों की ओर संकेत करना चाहूंगा कि जो बातें इस कानून की आड़ में हमारे सामने आने वाली हैं। इसमें व्यवस्था की गई है कि एक एडीशनल पुलिस फोर्स का अपोइन्टमेन्ट किया जायगा। तो एडीशनल पुलिस फोर्स करने का अर्थ यह होगा कि किसी भी क्षेत्र में जो पुलिस के अधिकारी हैं वे उस क्षेत्र में शांति भंग हो जाने के कारण से दंगा फिसाद हो सकता है, इस प्रकार की परिस्थिति बन सकती है तो हमारी राजस्थान सरकार यह व्यवस्था करेगी कि उस जगह जिस जगह कि दंगा–फिसाद अथवा शांति भंग होजाने का खतरा है, एडीशनल पुलिस फोर्स का इन्तजाम करेगी। लेकिन अब एक प्रश्न यह उठता है कि यह निर्णय कौन करेगा कि किसी अमुक स्थान पर दंगा फिसाद अथवा शांति–भंग हो जाने का खतरा है। तो इस विधेयक में इस प्रकार का प्रावीज़न किया गया है और इसमें ऐसा लगता है कि इस प्रकार का निर्णय करने का अधिकार पुलिस के अधिकारियों को ही दिया है। वैसे ऐसा निर्णय असत्यता के ऊपर आधारित नहीं होता है। लेकिन यह बात समझ में नहीं आई कि यह निर्णय पुलिस के ही अधिकारी करेंगे कि उस क्षेत्र में शांति भंग हो जाने का खतरा है और फिर वह एडीशनल पुलिस फोर्स उसके प्रयोग में लाई जायगी। इस तरह राजस्थान की सरकार उस पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट के ऊपर यह व्यवस्था कर सकती है कि फलां जगह एडीशनल पुलिस फोर्स को अपोइन्ट किया जाय और इसके साथ ही जिस मोहल्ले में यह दंगा फिसाद हुआ है और उस जगह अगर यह एडीशनल पुलिस फोर्स अपोइन्ट की गई तो उसके सारे खर्च को उस मोहल्ले में जो व्यक्ति बसते हैं उन लोगों से लिया जायगा। तो इसके लिए मैं यह मानता हूं कि राजस्थान में जो वर्तमान पुलिस की स्ट्रेन्थ है, वह आज की परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए समर्थ नहीं है और वह शासन की व्यवस्था नहीं कर सकती और इसलिए एडीशनल पुलिस फोर्स का अपोइन्टमेन्ट करें और उसका खर्च वहां की जनता से टैक्स के जरिये वसूल करें, ऐसी मन्शा सरकार की मालूम होती है। मैं समझता हूं कि यह कोई न्यायसंगत बात नहीं है। यह बिलकुल ही अव्यावहारिक और अप्रजातान्त्रिक तरीका है कि शांति स्थापित करने के लिए एक एडीशनल पुलिस फोर्स की स्थापना की जायगी और वह जिस मोहल्ले में जायगी उसका सारा खर्चा उस मोहल्ले में बसने वाले लोग देंगे। आप ही सोचें, जैसे आज एक मोहल्ले में झगड़ा हुआ, उसके अन्दर कुछ व्यक्ति उसके जिम्मेदार हैं और उन थोड़े से व्यक्तियों के कारण सारा मोहल्ले उस टैक्स से प्रभावित हो, यह कोई ठीक बात नहीं है, चाहे उस व्यक्ति का जो उस मोहल्ले में रहता हो कि जिस मोहल्ले से यह टैक्स वसूल किया जायगा उस झगड़े से कोई संबंध न हो। तो इस प्रकार के लोगों को किसी भी प्रकार से राहत न मिलने की व्यवस्था इसमें की गई है। इस प्रकार से निर्णय करने का अधिकार राजस्थान सरकार ने जो

Page No.31

(श्री भैरोंसिंह)

पुलिस-अधिकारी को दिया है वह बिलकुल ही न्यायसंगत नहीं है और वह पूर्ण अप्रजातांत्रिक है। आज राजस्थान के अन्दर, गांव गांव के अन्दर नगरपालिकायें हैं, गांव गांव के अन्दर पचायतें हैं और आज हम लोकल बोडीज द्वारा शासन चलाने की व्यवस्था पर जोर देते हैं, तो ऐसी अवस्था में भी ये संस्थायें निर्णय का काम करने के अपेक्षा पुलिस के अधिकारी ही यह निर्णय करेंगे और इसमें उन लोगों की कोई राय नहीं ली जायगी, यह वास्तव में ठीक बात नहीं है और उस टैक्स को जो कि उन मोहल्ले वालों पर लगाया जायगा वह लैंड रेवेन्यू के रूप में टैक्स किया जाय तो मैं समझता हूं कि आज की वर्तमान परिस्थिति में सबको यह खटकने वाली बात है। इतना ही नहीं, बल्कि इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि राजस्थान की सरकार को ऐसा पता लगे कि कुछ स्कूलों के छात्र, कुछ संगठन, कुछ ऐसी संस्थायें वर्दी पहन कर जिस तरह से फौज आदि काम करती हैं, जिस तरह से मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, यदि उसी प्रकार से ट्रेनिंग कोई संस्था लेती है, तो उनको भी इस विधेयक के अन्तर्गत बन्द कर सकते है। उनको ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, आज के युग में इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आज का युग कहता है कि हमारे देश की आजादी को सुरक्षित रखने के लिए, खराब परिस्थितियां अच्छी बनाने के लिए, आज इस बात की आवश्यकता है कि चाहे हम कितना ही अहिंसा के सिद्धान्तों में विश्वास करते हों लेकिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, सारे देश को हर समय तैयार रहना चाहिए ताकि हमारे देश पर किसी प्रकार की कोई आंच न आये और हमारा देश तैयार उसी समय हो सकता है जब हमारे देश के अन्दर मिलिट्री ट्रेनिंग हो। इसकी यदि कोई व्यवस्था नहीं है तो सरकार का यह प्रथम कर्तव्य है कि कोई संस्था यदि इस प्रकार की मिलिट्री ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करती है तो उसको और प्रोत्साहन दिया जाय। यह नहीं कि हम ऐसी व्यवस्था कर दें कि जो संस्थायें इस प्रकार का कार्य कर रही हैं उनके भी काम में बाधा पहुँचायें। लेकिन हम देखते हैं कि इस विधेयक में इस प्रकार की व्यवस्था है कि यदि इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग किसी भी संस्था में है और सरकार के पुलिस अधिकारी सोचें कि यह ट्रेनिंग ठीक नहीं है तो वह बन्द की जा सकती है। इसमें मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से यह चीज कभी नहीं होनी चाहिए।

दो क्लॉजेज में तो इस प्रकार की ही बात दी गई है और जो तीसरा क्लाज है उसमें इन्सपेक्टर से कम के दर्जे के जो सिपाही आदि हैं उनकी ओर संकेत किया गया है। इनके ऊपर सरकार का इस तरह से नियंत्रण हो, जिस तरह से कैदी के ऊपर इन्सपेक्टर ऑफ जनरल पुलिस का होता है। तो इस सदन में उनकी स्थिति के बारे में वर्णन करना तो ठीक नहीं होगा। परन्तु राजस्थान का बच्चा बच्चा यह महसूस करता है कि उनको ३०) रु० तनख्वाह दी जाती है, १५ रुपया डियरनेस अलाउन्स, ५ रुपया जो अभी नई बढ़ोतरी हुई है उनको शामिल किया जाय, २ रुपया ड्यूटी अलाउन्स और ५ रुपया सिटी अलाउन्स दिया जाय, तो इस प्रकार से कुल मिला कर के कुल ५७ रुपया होता है। हमारी राजस्थान सरकार भी महसूस करती है कि जो तनख्वाह वह आज

(श्री भैरोंसिंह)

पुलिस के कान्सटेबलों को दे रही है, वह कम है और वह बढ़नी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार एक बात का बहाना बना देती है कि सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और इस कारण से पुलिस के सिपाहियों की तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो आता है तनख्वाह आदि बढ़ाने का प्रश्न और दूसरी ओर प्रश्न आता है सिपाहियों के ऊपर कन्ट्रोल करने का सम्बन्ध। वैसे मैं कहता हूं कि सरकार के लिए यह कोई कर्तव्य नहीं है कि उन सिपाहियों के ऊपर, जिनको कि इतनी कम तनख्वाह दी जाती है जो कि अपने परिवार का भी ठीक तरह से खाने पीने का प्रबन्ध नहीं कर सकता, उस पर दुनिया भर की पाबन्दी लगाई जाये। इसमें ऐसा प्रावीजन किया गया है कि यदि कोई पुलिस का सिपाही किसी भी कारण से सर्विस छोड़ना चाहे तो वह नहीं छोड़ सकता और किन्हीं घरेलू कारणों से या और परिस्थितियों के कारण उस पुलिस के सिपाही ने अपनी ओर से इस्तीफा देदिया है और वह अपनी जगह से चला जाता है तो पुलिस अधिकारी उसके खिलाफ मुकदमा बनायेंगे, कोर्ट में उसका मुकदमा चलेगा और उसको सजा होगी और उस सिपाही के जो भी राजस्थान सरकार के ऊपर तनख्वाह बाकी होगी, ड्यूटी अलाउन्स बाकी होगा, या कोई और पैसा बाकी होगा तो वह सारा का का सारा जब्त कर लिया जायगा और इसके पश्चात् उसके मकान की तलाशी ली जायेगी और उसके पास जो भी चीज होगी उससे इस हानि की पूर्ति की जायगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि इससे एक दूसरी चीज जुड़ी हुई है और जिसका उल्लेख मैंने पहले किया था और वह इस हालत में है कि कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से पाबन्द नहीं कर सकती कि तुम्हें इस महकमें में नौकरी करनी ही पड़ेगी। इसमें एक क्लॉज़ रखा है जिसके द्वारा मजबूर किया जा सकता है कि यदि पुलिस के पचास सिपाही मिलकर तैयारी करते हैं कि हमको दूसरी जगह जाकर नौकरी करनी है तो वह नहीं जा सकते और उन्हें जबरदस्ती काम करना पड़ेगा। इमरजेन्सी रिक्रूटमेन्ट की व्यवस्था की गई है लेकिन इस विधेयक में जबरदस्ती से काम करने की व्यवस्था की गई है। तो जहां पुलिस के सिपाहियों की हालत तो यह हो और यदि इन्सपेक्टर गैर हाजिर होता है तो उसका चालान किया जायगा और उससे ऊपर के अधिकारी कुछ भी करें तो कोई बात नहीं है, उनके लिए तो साधारण रूल ही लागू होगा। ऐसी अव्यवस्था में यह एक डिस्क्रिमिनेशन है और इसके साथ ही साथ छोटे कर्मचारियों के साथ अन्याय है। मैंने इस बारे में पहले भी संकेत किया था कि राजस्थान में चुनावों के समय करीब ६५० पुलिस कान्सटेबलों की भर्ती की गई थी और उस समय कुछ ऐसी चर्चा थी कि उनको स्थाई रूप से रख लिया गया है, आज उनको एक जनवरी के बाद तनख्वाह नहीं दी गई है और उनको पुलिस-लाइन्स में खाना खिला दिया जाता है। न तो उनका पेट ही भरता है और न उनके घर वालों का। उनके घर वाले भूखों मरते हैं। इस सम्बन्ध में यदि राजस्थान सरकार से किसी प्रकार का डेपुटेशन मिलता है तो कह दिया जाता है कि कागजात चल रहे हैं, आई० जी० पी० को लिखा जा रहा है। उनका निर्णय चार महीने में होगा।

अगर सिपाही भूख के कारण यह निर्णय लेते हैं कि हमें सरकारी सेवा नहीं करनी है

Page No.33

(श्री भैरोंसिंह)

और हम सब को मिल कर त्याग-पत्र देना है, वैसी सूरत में इस पुलिस एक्ट की तहत उनको सरकार मजबूर कर सकती है सेवा करने के लिए। चाहे उनका पेट भूखा रहता हो, चाहे उनके बाल बच्चों को पहिनने के लिए कपड़े न हों, उसे राजस्थान सरकार की सेवा करनी होगी। इस प्रकार की सेवा करने का कानून, राज्य की सेवा करने का कानून, मैं समझता हूँ, बेगार प्रथा से बुरा नहीं जिसकी हम वर्षों से आलोचना करते आये हैं। उस समय तो बेगार लेने का कोई कानून नहीं था, अब इस प्रकार की बेगार लेने की व्यवस्था हम कानून द्वारा करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न यह आता है कि अगर हम पुलिस के सिपाहियों को इस प्रकार की पाबन्दियों में लेना चाहते हैं तो हमें एक निर्णय लेना पड़ेगा कि हमारे राज्य के जितने भी पुलिस की सिपाही हों वे फौज के सिपाहियों के तरह हों। अध्यक्ष महोदय, पुलिस के सिपाही को दोहरा काम करना पड़ता है, दिमाग और शरीर दोनों से काम करना पड़ता है। जिस समय डाकुओं से मुकाबिले का समय आता है या लॉ एन्ड ऑर्डर का प्रश्न आता है तो उसके दिल के अन्दर यह बात रहती है कि हो सकता है बलवा करने वालों के पास छुरा हो या पिस्तौल हो, वे उसे मार सकते हैं, उसी प्रकार डाकुओं का मुकाबिला करते हुए भी उसको जान जाने का अन्देशा रहता है। जिस डाकू को गिरफ्तार करने वह जा रहा है उसके दिमाग में यह भय समाया हुआ रहता है कि कहीं वह गोली से मार न दे। जिस प्रकार एक सिपाही फौज का लड़ने के लिए जाता है तो उसके दिमाग में कल्पना रहती है कि वह देश के लिए मरने जा रहा है, उसमें मरने का एक प्रकार से उन्माद रहता है और उसी प्रकार का उन्माद पुलिस के सिपाही में भी रहता है। लेकिन जब कोई फौज का सिपाही अपने प्राण दे देता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पर होती है। उसके मर जाने पर घर वालों को पेन्शन मिलती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्तजाम होता है, लड़कियों की शादी के लिए उसको सहायता मिलती है, फौज की ओर से ये सारे प्रबन्ध होते हैं। लेकिन अभागे इन पुलिस के सिपाहियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। अगर कोई डाकुओं की गोली से मर भी जाय तो उसके मरने के उपरान्त उनके परिवार की आवाज को मिटाने के लिए, उनकी आवाज को बन्द करने के लिए या विधान सभा में कोई प्रश्न न पूछ ले, उस बेचारे के आश्रितों को मरणोपरांत २००–३०० रुपया इनाम का दे दिया जाता है। मरने वाले के परिवार के लिये कोई व्यवस्था नहीं, उसके बाल–बच्चों के लिए कोई समुचित प्रबन्ध नहीं। जब पुलिस का प्रबन्ध एक फौज के सिपाही की तरह होता है तो उन दोनों में भिन्नता नहीं होनी चाहिये अधिकारों के सिलसिले में। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि जितना अन्याय इन पुलिस के जवानों के साथ किया जाता है, मैं समझता हूं उनके लिए यह कानून बनाना उनकी मौत का षड-यन्त्र करना है, उनको मौत के घाट उतारने के लिये षडयन्त्र है। यदि तनख्वाह इन लोगों की देखी जाय तो पूरा पेट नहीं भर सकते और उनकी जिम्मेदारी एक फौज के सिपाही से कम नहीं। मैं समझता हूं कि यह मामला किसी भी हद तक जस्टिफाएबल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल में एक

(श्री भैरोंसिंह)

यह भी व्यवस्था की गई है कि सब इन्स्पेक्टर को बरखास्त करने के अधिकार सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को दिये गये हैं आज तक जो व्यवस्था थी उसके मुताबिक पुलिस के सबइन्स्पेक्टर को आई० जी० पी० तक और होम मिनिस्टर तक जाने की इजाजत थी। सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को इस प्रकार के अधिकार नहीं थे। आज हम इस बिल में यह अधिकार दे रहे हैं कि पुलिस का सुपरिन्टेन्डेन्ट सब इन्स्पेक्टर तक के कर्मचारियों को बरखास्त कर सकता है। कौन सा इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास काम बढ गया, कौनसा डी० आई० जी० के पास काम बढ गया, जो इस प्रकार के अधिकार सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को देने की नौबत आ गयी। अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में जो दलगत राज नीति का बोलबाला है, जिस विशेष राजनैतिक गुट की सरकार है वैसी सूरत में हम यह आशा नहीं कर सकते कि एक सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस निष्पक्षता से काम लेगा। आजकल, मैं समझता हूं कुछ कम्पेरिटिवली यह कम है, फिर भी पिछले कुछ अरसे में जो नियुक्तियां, तबादले, आदि पुलिस अधिकारियों के हुए वे हमें यह बताते हैं कि जो भी तबादले प्रोमोशन्स आदि हुए वे राजनैतिक आधार पर हुए हैं। कई स्थानों पर तो ऐसा देखा गया है कि कहीं पुलिस अधिकारी ने किसी कांग्रेसी नेता को किसी चीज में गिरफ्तार कर लिया तो हम देखते हैं कि उस पर ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारियों का दबाव आता है। अध्यक्ष महोदय, मैं दांता रामगढ़ का किस्सा बयान करूं, वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष का दफा ११० में चालान किया गया। जो बदनाम हिस्ट्रीशीटर होता है, उसका चालान होता है दफा ११० की तहत, वहां सब इन्स्पेक्टर ने इनका चालान दफा ११० की तहत कर दिया। अध्यक्ष महोदय, उसके ऊपर इस कार्य के करने के बाद इस प्रकार से पहाड़ टूट पड़ा। आई० जी० पी०, डी० आई० जी और होम मिनिस्टर तक से डेपूटेशन मिला और मांग की गई कि वहां के कांग्रेस अध्यक्ष का जो दफा ११० में चालान कर दिया उस नेता को बरी किया जाय। भरसक कोशिश हो रही है उसको बरी कराने की। अध्यक्ष महोदय, बरी कराने का भी एक तरीका है। कोर्ट में जब चालान हो जाय तो उस समय इल्जाम से बचने की कोशिश करे, यह कोई तरीका नहीं कि ऊपर के अधिकारियों का दबाव डलवाया जाय और बरी कराने की कोशिश की जाय। ऐसी परिस्थितियों को देख कर वहां की जनता ने आवाज बुलन्द की। सरकार ने देखा, अगर हमने इसको बरी कर दिया तो जनता की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। तो उसको वैसा ही रहने दिया गया। अक्सर सरकार उस मामले को वापिस लेती है तो जनता के आन्दोलन का सामना करना पड़ता है। सरकार ने आंदोलन के डर से तथा और भी अन्य कई कारणों से यह कह दिया कि कोर्ट में चालान कर दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, उस सब इन्स्पेक्टर के इस प्रकार के कदम उठाने के बाद वहां के नेता लोगों ने सैकड़ों शिकायतें उस सब इन्स्पेक्टर के यहाँ लिख कर भेज दीं। वही सब इन्स्पेक्टर एक महीने पहले तारीफ के काबिल था और इनकी गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ शिकायतों का ढेर लग गया। एक महीने पहले ये ही लोग कहा करते थे कि यह थानेदार बहुत ईमानदार, न्यायप्रिय और कर्तव्य परायण है, रिश्वत नहीं लेता है, इसका व्यवहार जनता

(श्री भैरोंसिंह)

के प्रति बड़ा सुन्दर है किन्तु नेता की गिरफ्तारी के बाद उस सुन्दरता में असुन्दरता आ गई, उसके खिलाफ शिकायतों का बवन्डर मच गया।

इन सब बातों को देखते हुए एक प्रश्न आता है कि क्या सब इन्स्पेक्टर तक के अधिकारियों को बर्खास्त करने का अधिकार सुपरिन्टेण्डेण्ट पुलिस को दिया जाय या नहीं? यह हो सकता है कि सुपरिन्टेण्डेण्ट पुलिस न्यायप्रिय हो, अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ हो; लेकिन ऐसा कि मैंने पहले संकेत किया, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें राजनैतिक गुटबंदी के कारण जहां तबादले, नियुक्तियां प्रोमोशन्स हुआ करते हैं, हुए हैं और भविष्य में भी होंगे। तो यदि कोई सुपरिन्टेण्डेण्ट पुलिस ऐसा हो जो कांग्रेस को माता-पिता मानता हो, कांग्रेस को ही रोटी देने वाला मानता हो, कांग्रेस जिसके देवी-देवता हों तो वैसी सूरत में यही होगा कि यदि इस प्रकार के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पास किसी थानेदार का सस्पेन्शन का मामला आ गया तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उसकी बर्खास्तगी के सिवाय कोई दूसरा इलाज नहीं होगा। उसकी बर्खास्तगी होगी और होगा क्या कि उसके नीचे जितने भी कॉन्स्टेबल्स या हेड कॉन्स्टेबल्स होंगे उनको भी सजा मिलेगी और इस तरह की कार्यवाही करने का एवजाना सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को मिलेगा कि तुमने बड़ी बहादुरी से काम किया, तुम प्रोमोशन के हकदार हो। ऐसी कीमत पर अगर पुलिस का सुपरिन्टेन्डेन्ट, थानेदारी का जो अच्छा काम करता है उसको बर्खास्त कर देता है; तो उसको हमारी सरकार प्रोत्साहन देती है और उसको आगे तरक्की देने को सोचती है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने नियुक्तियों के सिलसिले में इसी सदन में जिक्र किया था कि पुलिस विभाग का कोई अधिकारी, हेड कॉन्स्टेबल से लेकर ऊपर के अधिकारी भी, सन्तुष्ट नहीं हैं। हेड कॉन्स्टेबल से सब इन्स्पेक्टर बनाने का प्रश्न आये, सब इन्स्पेक्टर से इन्स्पेक्टर और इन्स्पेक्टर से सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाने का प्रश्न आये या डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाने का प्रश्न आये तो इस सम्बन्ध में हमारे पुलिस विभाग के पास कोई नियम नहीं। इन अधिकारियों के तरक्की का प्रश्न आता है तो उसके लिये कहा जाता है कि योग्यता देखी जाती है और जब योग्यता का प्रश्न आता है सीनियोरिटी देखी जाती है और जब सीनियोरिटी का सवाल आता है तो कहा जाता है कि इसमें तो एकेडेमिक क्वालिफिकेशन्स हैं. तो जिसके कारण प्रोमोशन दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग में इस प्रकार के प्रोमोशन्स से पूर्णतया असन्तोष है। जिन लोगों को प्रोमोशन्स मिले हैं उन लोगों के मुकाबले भले ही कितने योग्य व्यक्ति हों, शासन व्यवस्था में पूरी तरह से सहयोग देते हों, न्यायपूर्ण कार्य करते हुए भी जिनको तरक्की नही मिल पायी है, उन सब लोगों में असन्तोष है। वैसी सूरत में यह कैसे कहा जा सकता है कि पुलिस के कॉन्स्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल के लिये जब सुरक्षा का प्रश्न हो तो वह किस प्रकार सुरक्षा कायम रख सकता है जब कि उसमें अशान्ति मौजूद हो, असन्तोष हो। वह शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में किस प्रकार मदद दे सकता है? उसमें खास तौर से बरखास्त करने के अधिकार जो दिये गये हैं उसमें यह भी व्यवस्था की गई

(श्री भैरोंसिंह)

है कि वह इन्क्वायरी भी होल्ड कर सकता है, चाहे जिस प्रकार की व्यवस्था वह कर सकता है ।

अध्यक्ष महोदय, इसमें सार्वजनिक स्थान पर जूआ खेलने का भी उल्लेख है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर जूआ खेलता है तो पुलिस को अधिकार दिया गया है कि वह गिरफ्तार कर सकता है। यह कानून ऐसा है जो ऑलरेडी मौजूद है। राजस्थान में गेम्बलिंग एक्ट मौजूद है, उस एक्ट की तहत भी पुलिस कार्यवाही कर सकती है। उसके अनुसार जूआ खेलना कोग्निज़ेबल ओफन्स होगा। उसको इस बिल में लाना कोई उचित नहीं होगा।

इसके अलावा क्रुएल्टी टू एनीमल्स अर्थात् ऐसे जानवर जो बोझा ढोने योग्य न हों और उनसे बोझा उठवाया जाता है तो वैसी सूरत के अन्दर पुलिस एक्शन ले सकती है। राजस्थान के अन्दर क्रुएलिटी टू एनीमल्स एक्ट ऑलरेडी मौजूद है, जिसके अन्तर्गत पशुओं के साथ निर्दयता से व्यवहार करता हुआ यदि कोई पाया जाता है तो उसका चालान किया जा सकता है। इतना ही नहीं जितने भी एक्ट्स हैं उन सब में इस प्रकार के क्लॉज़ मौजूद हैं । राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज़ एक्ट को ले लीजिये, जिसको हमने बनाया है और आगे भी बनाया जायगा, पंचायत एक्ट को लीजिये जो हमने पास किया है; तो उसमें हमने पंचायतो और म्युनिसिपेलिटियों को अधिकार दिया है कि वे अपने क्षेत्र के बारे में हाइजिनिक पोइन्ट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेटिव पोइन्ट ऑफ व्यू से, रास्ते की व्यवस्था करने की दृष्टि से, जिस तरह से उचित समझें, करें। यहां पर ये अधिकार हमने डी० एस० पी० को, एस० पी० को दिये हैं; जो अधिकार ऑर्डिनरीली म्यूनिसिपैलिटी को और पंचायतों को भी हमने दे दिये हैं और वे ही ग्राम पंचायतों को भी दिये हैं। इस तरह के एक ही प्रकार के अधिकार सब को देने से आपस में वे कोलाइड करेंगे। ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि एक यह आज्ञा दे कि यह बाजार बन्द रहे तो दूसरा हुक्म देगा कि यह बाजार खुला रहेगा। इन छोटी छोटी चीजों के लिये कानून बनाने की इसमें व्यवस्था की गई है। बाजार में खड़े रहने का, बाजार में चलने का, बाजार से सामान खरीद कर किस प्रकार चला जावेगा, इसका भी इसमें उल्लेख है। छोटे छोटे सुबह से शाम, व सोने तक आदमी जितने एक्शन करता है वे सारे एक्शन्स इस कानून से रेगुलेट होंगे। बिना कानून के वह हाथ भी नहीं हिला सकेगा और अगर हिलाता है तो गिरफ्तार करके उसका चालान पुलिस कर सकती है। तो इस तरह से आज का मानव स्वतन्त्र नहीं है। जो भी एक्शन वह करेगा कानून के अन्तर्गत होगा, उसकी कोई फ्री चोइस नहीं। फ्री चोइस का यह मतलब नहीं कि मानवता का उल्लंघन करने वाले कानून का पालन करे। मनुष्य को स्वतन्त्रता पूर्वक विचरण करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। अगर हम कानून के अन्तर्गत काम करने की बात करते हैं तो वह स्वतन्त्रता का उपयोग करना चाहेगा, जिसे वह ठीक प्रकार से नहीं कर सकेगा।

यहां एक फालतू सी बात का जिक्र करना चाहूंगा। इस कानून में लिखा है कि एस० पी० कुत्ते मरवा सकता है; जैसे उसे और कोई काम ही नहीं है। इसमें इसकी खास तौर से धारा रक्खी है। एक तरफ सब-

(श्री भैरोंसिंह)

इन्सपेक्टर को बर्खास्त करने का उसे अधिकार है, प्युनिटिव पुलिस अपोइन्ट करने का अधिकार है और इसके अतिरिक्त और अधिकार दिये हैं तो वे अधिकार वाजिब ही हैं, किन्तु उसको कुत्ते मारने का भी अधिकार और दिया है क्योंकि ये कुत्ते और लोग नहीं मरवा सकते और इसमें व्यवस्था की है कि यदि बाजार में कोई कुत्ता घूम रहा है, पालतू कुत्ता है और वह गिरफ्तार कर लिया जावे तो ३ दिन के बाद नीलाम किया जावे। वह कीमत तीन दिन उसे रखने में जो खर्च हुआ उसकी पूर्ति में लगा दी जावेगी और जो रकम और बचे वह खजाने में चली जावेगी। इसके अलावा जो स्ट्रीट डोग्स हैं, आवारा हैं; उनको पकड़ने का अधिकार पुलिस को है, पंचायत को है। इन्हें बाहर भेजने का, इन्जेक्शन देकर डेस्ट्रोय करने का, हाईजेनिक पोइन्ट ऑफ व्यू से यह अधिकार मेडिकल डिपार्टमेन्ट को भी दे रक्खा है। यही अधिकार इस एक्ट मे पुलिस को भी दे रक्खे हैं। वे स्ट्रीट डोग्स को डेस्ट्राय कर सकते हैं। आज यह गांधीवादी सिद्धान्तों पर चलने वाली सरकार है, 'सत्यमेव् जयते' के नीचे काम करती है, अशोक का चिन्ह बना रक्खा है। वैसी स्थिति में अहिंसा का प्रश्न वहां पर आता है, पर इसका आज उस सरकार के लिये कोई महत्व नहीं; वह कुत्ता मारने के सब अधिकार एक हिंसावादी मनोवृत्ति को धारण करके अधिकार एस० पी० को देती है। तो यह उस सरकार के गृहमन्त्री के लिये शोभा की चीज नहीं होगी। इस प्रकार के अधिकार तो और भी बहुत लोगों को दिये जा सकते हैं।

अब प्रश्न यह आता है कि ऐसी सूरत में जो कानून हम बना रहे हैं, मैं समझता हूँ कि यह रिपिटीशन है। इसमें कुछ बातें तो ऐसी हैं जिनका उल्लेख और भी कई कानूनों में है। गेम्बलिंग एक्ट, म्युनिसिपेलिटी एक्ट, पंचायत एक्ट आदि कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जिनमें कई सारी की सारी वे ही चीजें हैं। जहां प्रशासन का प्रश्न है इसमें पुलिस के सिपाही पर केवल ज्यादती ही की गई है। इसके अलावा पुलिस के काम को रेगुलेट करने की चेष्टा नहीं की गई है। यदि पुलिस की एफीशियेन्सी बढ़ाने का प्रश्न आता तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस प्रकार के कानून की आवश्यकता थी और वह प्रस्तुत किया जाता तो हम सहर्ष उसे स्वीकार करते, पर इसका भी इसमें उल्लेख नहीं है।

डी० एम० को भी ट्राफिक कन्ट्रोल करने और रेगुलेट करने के अधिकार दिये हैं। वे भी, मैं समझता हूँ, आपस में कोलाइड (collide) होंगे एस० पी० और उनके अधिकारों से, और इससे जो व्यवस्था हम करना चाहते हैं वह ठीक नहीं होगी बल्कि अधिक खराब होगी। पुलिस का प्रशासन ठीक नहीं होगा बल्कि उसमें अनियमितता बढ़ेगी, इससे जनता में असन्तोष बढ़ेगा। इसलिए मैं इस कानून को उस दृष्टि से नहीं देखता हूँ जिस दृष्टि से यह सदन में प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूं कि मेरे कई मित्र, खास तौर से राजनैतिक क्षेत्र में मारवाड़ से आने वाले मित्र इस १८६१ के कानून को आज कैसे स्वीकार कर सकते हैं? यह कानून १८६१ में बना था, १८५७ के गदर के बाद यह कानून बना था। उस समय की क्या परिस्थितियां थीं, यह हम सब जानते हैं? आज वे परिस्थितियां नहीं रहीं। उस समय की सरकार को डर था, अंग्रेजों को डर था कि उनका साम्राज्य समाप्त हो रहा है। इसलिये यह कानून उन्होंने अपने राज्य को समाप्त होने से बचाने के

Page No.38

(श्री भैरोंसिंह)

लिये बनाया था। तो आज उसी कानून को यहां लाने से या तो मैं यह मान कर चलूं कि आज यह सरकार यह मान कर चल रही है कि रिफोर्म्स का या सेवा के कार्यों का चेप्टर उसके लिए क्लोज़ हो गया है। अब सरकार ने सेल्स टैक्स, एन्टर्टेनमेंट टैक्स, बेटर मेन्ट टैक्स, मोटर वैहिकल्स टैक्स, इन्कम टैक्स, आदि दुनिया भर के टैक्स लागू किये और इस तरह से लोगों की जेबों से पैसा निकाला जावेगा, यह कह कर यह पैसा निकाला जावेगा कि विकास के कार्य करेंगे। पर आज जो होता है उससे जनता एग्रीव्ड है क्योंकि इस पैसे में भी बड़े घोटाले होते हैं, पैसे का भयंकर दुरुपयोग होता है। वैसी स्थिति में इस असन्तोषमय वातावरण में लोगों की जेबों से पैसा सरकार निकालना चाहती है, इससे उनको या तो यह भय होगा कि यह पैसा मिलेगा नहीं, या यह भय होगा कि लोग हमारा मुकाबला करेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, या तो १८६१ में जिस तरह अंग्रेजों को अपने खत्म होने का डर था और उस डर से यह कानून बनाया तो यदि उस प्रकार का यहां इस सरकार को आज कोई डर हो और इस कारण से यह कानून बनाया जा रहा है कि पुलिस को मजबूत बनाया जाय, उसे अपना राज्य कायम रखने के लिये और अधिकार दिये जायं, तो उनका यह सोचना भी ठीक नहीं है। मैं उनको यह विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह के पुलिस एक्ट से उनका राज्य नहीं बचेगा। यह पुलिस कानून जिसे पहले विशेष अधिकार वाला डिफेन्स ऑफ इण्डिया रूल्स कहते थे, जिसको पहले आप स्वयं ऐसा काला कानून बताते थे तो पहले के उस काले कानून में और इस पुलिस एक्ट में कोई अन्तर नहीं है; नाम आपने थोड़ा जरूर बदल दिया है। पर अन्दर से एक ही है। वह भी व्यक्ति की स्वतन्त्रता का हनन करने वाला कानून था और यह भी एक व्यक्ति की स्वतन्त्रता को हनन करने के लिये है। यदि आपको यह डर है कि आपका राज्य खत्म हो रहा है, इसलिये यह कानून ला रहे हैं तो यह रास्ता गलत है। इसके लिये रास्ता यही है कि राज्य व्यवस्था आपको सुधारनी पड़ेगी, जनता को राहत देनी होगी, उसको साथ लेना होगा। पुलिस, फौज, बन्दूक आदि की शरण लेकर कोई व्यवस्था करने की अगर आप कल्पना करते हैं तो यह कल्पना गलत है आपकी। तो सिद्धान्तत: इस बिल का विरोधी हूँ और इसे अगर आप नहीं हटाना चाहते तो इसे जनमत के लिये भेजा जाय, यह मेरी माँग है। इसे पास करने से पहले मैं भी यह चाहूँगा कि इसको जनता की राय लेने के लिये भेजा जाय। यदि जनता चाहती है तो हम दुबारा विचार कर सकते हैं और यदि जनता इसका विरोध करती है तो विचारने की और इसे पास करने की कोई जरूरत नहीं। मैं गृह मन्त्रीजी से और सदन के सदस्यों से यह अपील करूंगा कि इस कानून को जनमत के लिये प्रसारित कर दिया जावे, जनता की इच्छा के अनुकूल इस बिल के सम्बन्ध में आचरण किया जावे तो ज्यादा अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय.... ...

श्री मदनसिंह (दांता) : माननीय अध्यक्ष महोदय.......

श्री अध्यक्ष : इस पर कोई बहस का तो इश्यू नहीं है।

श्री मदनसिंह : मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ कि यह जनमत के लिये भेजा जाय।

श्री अध्यक्ष : अच्छा संक्षेप में बोलिये।

श्री नरेन्द्रसिंह : मैं भैरोंसिंह जी की राय से सहमत हूं।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि भैरोंसिंह जी ने.... ......

श्री जनार्दनराय नागर : Mr. Speaker, Sir. does he enjoy many concessions in the House.

श्री अध्यक्ष : आप जारी रखिये।

श्री जनार्दनराय नागर : माननीय सदस्य ने बीच में उठ कर राय दी है तो क्या हाउस में उनको बहुत कन्सेशन्स हैं ?

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्दों में ही कह दूं कि राजस्थान सरकार ऐसा बिल रख रही है जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बहुत अच्छे ढंग से और सही रूप में बताया है। यहां तक मेरा विचार हो गया है कि ये क्वाइटली कॉम्युनिज़म के विचार है और सही रूप में सरकार कॉम्युनिज़म ला नहीं सकती है, विचार प्रकट नहीं कर सकती हैं इसलिए पुलिस बिल के द्वारा जहां जहां जनता को जितने अधिकार हैं उनको इतना कुचल दिया जाय कि बड़े नेता को डिक्टेटर बना कर कॉम्युनिज़म का विचार कर लिया है। जनता में यह विचार था कि यहां सोशलिस्ट पेटर्न ऑफ सोसाइटी होगा, जो कुछ होगा जनता को पूछ कर होगा, धीरे धीरे ऐसी स्थापना होगी, ऐसे पुलिस को अधिकार देकर जनता को गुमराह करने के लिये जहां जहां पर म्युनिसिपेलिटीज़ को जो जनता को अधिकार हैं, उनको उसकी सुविधा है, वे भी पुलिस के जरिये सुपरिन्टेन्डेन्ट तक ही सीमित रखा जाना कॉम्युनिजम के भाव हैं। पहले भी सुना था, अन्य नेताओं का विचार हुआ था कि डिक्टेटर बना कर हिंदुस्तान की जनता का पुलिस के हाथों में ही राज्य होना चाहिए और जहां जहां डिक्टेटरशिप आयी है पुलिस को ही अधिकार रहा है। मैं आपको दो शब्दों में ही कह देना चाहूंगा कि यह बिल जब समझ में आयेगा और समाज में आयेगा तो सदन में तो विरोध होगा और इतना तगड़ा विरोध होगा जनता में कि जिसका नतीजा आप जानें या हम जानें। यह निश्चित अन्याय हो रहा है। एक तरफ तो जनता को अधिकार दिया गया हैं और दूसरी तरफ उसको पुलिस के जरिये खींचा जाता है। जनता में इस चीज़ को रखना चाहिए और फिर यदि जनता चाहती है कि पुलिस को अधिकार देना चाहिए, ऐसी जनता में घड़-बराहट है तो लाइये नहीं। तो यदि कॉम्युनिज़म को लाने का हो, जनता को चेलैंज हो जायगा। इस दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए यदि आपकी सही नीति है तो क्यों नहीं इसको जनता के विचार जानने के लिए प्रसारित करते हैं ? इसको जनता की जनता की राय के लिए रखा जाय और फिर यहां पर इस पर विचार रखना चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय अध्यक्ष,

श्री दयाकृष्ण विजय : अध्यक्ष महोदय,....... ...

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो पुलिस एक्ट है उसको इस

(श्री मुरलीधर व्यास)

प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय इसके सम्बंध में जो एक सुझाव आपकी सेवा में प्रस्तुत किया गया है कि उसको जनता के बीच में रखा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा; मैं समझता हूँ कि पुलिस और जनता के बीच में हमेशा इस प्रकार के सम्बंध बन गये हैं कि आये दिन पुलिस और जनता के बीच में कई बातों को लेकर संघर्ष हो जाया करता है, और यदि सही माने में देखा जाय तो हम जब एक ओर इस बात को बहुत जोरों के साथ में हर पुलिस चौकी पर एक लगा कर कहते हैं कि पुलिस जनता की सेवक है और जब उसी जनता के सेवक के रूप में उसके लिएं कानून बनाते हैं कि जनता और पुलिस इन दोनों के बीच के सम्बन्ध कैसे हों, दूसरी ओर आज की पुलिस किस प्रकार से अपने कानून को लेकर आम लोगों पर जुल्म ढाती है, इसकी कितनी घटनायें होती हैं, चाहे एक दिन का हिसाब लगाया जाय तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के अन्दर एक दिन में भी एक हजार घटनायें इस प्रकार की होती होंगी कि जो पुलिस अपने हक को लेकर आम लोगों पर जुल्म करती है; ऐसी हालत में मैं आपको उस एक्ट में क्या क्या बातें हैं उनको न दोहराते हुए इतना जरूर समझता हूं कि एक जनतंत्रीय सरकार कोई भी बिल, कोई एक्ट जो जनता के लिए और पुलिस के लिए बनाना चाहती हो उसे अगर वह जनता के बीच में रखती है तो उसको जनता समझने की कोशिश करती है। जो राजनैतिक दल हैं, यदि उस विशेष कानून को जनता के बीच में रखते हैं, जनता को समझाते हैं और उसके साथ ही साथ उनके साथ क्या क्या बीतती है, उसकी जानकारी भी प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी समझता हूँ कि जो कानून बनाते हैं, चाहे पुलिस एक्ट के रूप में हो, चाहे अन्य बातों के रूप में हो, यदि जनता के बीच में उसको प्रसारित किया, जो जनता समझती है, उसको उसका ज्ञान भी होता है, ज्ञान के साथ साथ सुझाव के रूप में भी रहता है। तो जिस कानून को, जिस एक्ट को जनता के लिए बनाना चाहते हैं वह उस चीज़ को समझती है और उसका उपभोग भी आगे जाकर ठीक तरह से कर सकती है। इस दृष्टि कोण से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो एक्ट है उसके लिए एक हमारे सम्माननीय सदस्य ने प्रस्ताव पेश किया है, आम जनता में प्रसारित करने के लिए जो सुझाव आपके सामने रखा है, उस सुझाव को मान लिया जाय। मान लेने के साथ साथ अगर इसको अच्छी तरह से प्रसारित किया गया, अगर यह लोगों के सामने अच्छी तरह जाय, इसकी खास खास बातों को अच्छी तरह प्रकाशित किया जाय ताकि हर आदमी समझ सके, पुलिस के लिए क्या क्या कानून बनें, क्या क्या अधिकार पुलिस को दिये जांय, अधिकारों का दुरुपयोग होगा या सदुपयोग, यह वे जान जावेंगे तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के आदमी कानून की आड़ में लेकर दिक्कत देते हैं, वे उनसे बच जावेंगे। दिक्कतों का सवाल कहां तक है, किस प्रकार देते हैं उन सारी बातों के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ कि छोटी २ बातों में भी न जाने किस रूप से पुलिस आम जनता के पास पहुंच कर परेशान करती है, कष्ट पहुँचाती है। उसके लिए हजारों उदाहरण हर माननीय सदस्य हर क्षेत्र से रख सकता है। उसी दृष्टिकोण से मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि अगर हम जनतंत्रीय

(श्री मुरलीधर व्यास)

आधार पर कोई एक्ट बनाना चाहते हैं और उसे जनता के बीच में रखना चाहते हैं तो वह शिक्षा का काम करती है। यह एक्ट यह बतलायगा कि पुलिस और जनता के परस्पर सम्बन्ध क्या क्या हैं और साथ साथ जानकारी भी होती है उस भावना से जिस भावना से एक्ट को बनाने जा रहे हैं। उससे जनता जागरुक होती है, उसको जानकारी प्राप्त होती है, सुझाव दे सकती है और उससे दोनों के बीच जो अड़चनें हैं वे भी दूर होंगी और एक जनतंत्रीय देश में हर आदमी को उसका ज्ञान होना चाहिए जो उसको प्राप्त कर सकेगी। इसी सद्भावना के साथ जो प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इस पर जनतंत्रीय तरीके पर सोच कर जनमत हेतु भेजने के प्रस्ताव को मानेंगे।

श्री दयाकृष्ण विजय : माननीय अध्यक्ष, अभी हमारे सामने पुलिस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय, इस प्रकार का प्रस्ताव श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा पेश किया गया। जहां तक पुलिस के लिए कोई कानून बनाने का सम्बन्ध है उसका सीधा सम्बन्ध जनता में शान्ति-स्थापना और व्यवस्था बनाये रखने के लिए है। इसलिए मेरी पहली दलील तो यह है कि जिस जनता के साथ, जो जनता के लिए शान्ति और व्यवस्था की बात कहते हैं, यदि उसकी व्यवस्था को करने वाले और संरक्षक के लिए कोई कानून भी है तो जनता उस कानून को स्वीकार करती है या नहीं, इस बात की राय कम से कम जनता से जरूर ले लेनी चाहिए।

जनता यह नहीं चाहती कि उसकी सुरक्षा करने वालों के हाथ में ऐसा कानून दे दिया जाय और ऐसी शक्ति दे दी जाय कि वे लोग सुरक्षा के नाम पर चाहे जैसा करें और जनता स्वयं उसमें फंस जाय। जैसा कि माननीय सदस्य ने पहले कहा था कि सन् १८६१ में भी इस प्रकार का एक कानून अंग्रेजों ने बनाया था, इसलिये बनाया था कि उस समय आजादी के दीवाने अपने प्राण हथेली में लेकर आजादी के समर में कूदने को तैयार थे, जिससे उनको कुचला जाय। इसलिये उन्होंने पुलिस के हित में इस प्रकार का कानून बनाया था और उसको राहत दी थी। आज हम स्वतंत्र भारत के निवासी हैं, हम देश में लोकतंत्रात्मक पद्धति का निर्माण करना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको विचार करना चाहिये कि जो कठोर अधिकार पुलिस को अंग्रेजों के समय में दिये गये थे, क्या वे ही अधिकार आज पुलिस को दें? जैसा इस विधेयक में कहा गया है, इस विधेयक के ६१ वें क्लॉज़ में कहा गया है कि कोई ऐसी संस्था के सदस्य जो फौजी वर्दी पहिन कर राष्ट्र के सैन्यकरण में विश्वास रख कर परेड करते हैं या कैम्प लगाते हैं और राज्य उस पर प्रतिबन्ध लगाने चाहे, तो पुलिस वाले इस कानून के अन्तर्गत इसके लिये सिफारिश कर सकते हैं। जिस शान्ति को लेकर देश के अन्य महर्षि और विद्वान विचार कर रहे हैं कि आज की समस्या का हल शान्ति की दृष्टि से होना चाहिये; लेकिन जब हम देश की परिस्थितियों पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा देश दूसरी सत्ताओं से घिरा हुआ है। एक ओर अमेरिका के बल पर पाकिस्तान उछल-कूद कर रहा है, दूसरी ओर तिब्बत में चीन ने अड्डा जमा रखा है और तीसरी ओर लंका में हमारे भारतियों पर

(श्री मुरलीधर व्यास)

अन्याय हो रहा है ...

श्री जनार्दनराय नागर : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मेरे माननीय दोस्त उन बिन्दुओं पर विचार कर रहे हैं जिनका प्रसंग नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : सभी धाराओं का उल्लेख न करें और यह बतावें कि पब्लिक ओपिनियन के लिए सर्कुलेट क्यों करना चाहिए ?

श्री दयाकृष्ण विजय : (जारी) मैं एक बात यह स्पष्ट करना चाहता हूं, शायद माननीय सदस्य न समझे हों कि किन कारणों से हम पुलिस को यह अधिकार देना चाहते हैं । इस विधेयक में यह है कि कोई भी संस्था जो देश के सैन्यकरण में विश्वास रखती है उस संस्था के सदस्य सैनिक वर्दी में परेड आदि करते हैं उन पर प्रतिबन्ध लगाने का दिया गया है । स्वतन्त्र देश में हर एक को यह अधिकार है कि देश के भाग्य के निर्माण के लिए और देश को मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करें । इस प्रकार की संस्थाओं पर यदि कानून द्वारा सम्पूर्ण राज्य में प्रतिबन्ध लगाया जाता है ......

श्री जनार्दनराय नागर : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय सदस्य जिस बिंदु को ले रहे हैं वह भारत के संविधान के मूलभूत आधार के विरुद्ध है ।

श्री भैरोंसिंह : यह कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है क्या ?

श्री जनार्दनराय नागर : Mr. Speaker. I was simply pointing out that the point that the Hon' ble Member was discussing here is against the very spirit of the Constitution of India.

श्री अध्यक्ष : You may reply to it when your turn comes, if you like.

श्री दयाकृष्ण विजय : (जारी) शायद संविधान को माननीय सदस्य ने बहुत अधिक पढ़ा है । मैंने भी इसको पढ़ा है । जहां तक इस क्लॉज का सम्बन्ध है मैं इसे पढ़ कर सुनाता हूं, उसके बाद माननीय सदस्य के दिमाग में जो भ्रांति है वह दूर हो जायगी :

"If the state Government is satisfied that it is necessary in the interest of the maintenance of public order so to do, it may by general or special order prohibit or restrict throughont the State or any part thereof all meetings and assemblies of persons for the purpose of training or drilling themselves or being trained or drilled to the use of arms, or for the purpose of practising military exercises, movements or evolutions, or for the purpose aforesaid of attending or holding or taking part in any camp, parade or procession."

माननीय अध्यक्ष, जहां तक इस क्लॉज का सम्बन्ध है यह क्लॉज अत्यन्त अस्पष्ट है और पूर्णतः अव्यवहारिक है क्योंकि जहां तक कैम्प लगाने का प्रश्न है और जहां तक कोई प्रोसेशन निकालने का प्रश्न है, यदि आप उस पर प्रतिबन्ध लगाते हैं तो यह उचित नहीं है । राजस्थान में इस प्रकार की जनता

(श्री दयाकृष्ण विजय)

अधिकार है, जनता की मांगें सरकार के सामने रखने ..ा जो तरीका है यदि हम उस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाते हैं तो जनता की आवाज को कुचलने का काम करते हैं। हमारा जो यह कानून है, जैसा कि पहले कहा गया है वह अंग्रेजों के जमाने का काला कानून है, जिसको आजादी से पहले कोसते थे वही काला कानून भारत के आजाद होने के बाद हम पर थोपा जा रहा है। यह अत्यन्त लज्जा की बात है। जिस कानून को बनाकर जनता की सुरक्षा का भार पुलिस को देना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम जनता को पूछा ही जाना चाहिये कि इस प्रकार के कानून को जनता पसंद करती है या नहीं? जब तक जनता इसे पसन्द न करे तब तक इस प्रकार का कठोर काला कानून लगाने का हमको कोई अधिकार नहीं है।

(करतल-ध्वनि)

इसलिए मैं कहता हूँ कि इसे जनता के सामने प्रस्तुत किया जाय ताकि जनता विचार करे कि हम इस प्रकार का काला कानून चाहते हैं या नहीं?

माननीय सदस्य कहते हैं कि इस प्रकार की बात संविधान के प्रतिकूल है, लेकिन देश की जनता चाहती है कि सुरक्षा का प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न है। आज देश के सामने जो विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं और चारों ओर जो घटायें घिर रही हैं उनको रोके बगैर शांति नहीं हो सकती। उसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि राष्ट्र में व्यापक आधार पर परेड, ोसेशन, केम्प्स आदि का आयोजन किया जाय। लेकिन आज सरकार इस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहती है, यह कहां तक वाजिब है? इसलिये मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि ६१ वें क्लाज पर विचार करने के लिये इसे जनमत के लिये प्रसारित किया जाय।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, जो पुलिस बिल सदन के विचारार्थ आया है उस पर माननीय मित्रों ने उन्हीं दलीलों को दोहराने की कोशिश की है जो वे प्रायः सभी ऐसे विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों पर कम-ज्यादा मात्रा में दोहराया करते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, माननीय अध्यक्ष, जब मेरे मित्र ने कहा कि यह काला कानून है और सन् १८६१ में अंग्रेजों ने बनाकर लागू किया था और आज सन १९५७ में हम उसी का एक नया संस्करण सदन में विचारार्थ पेश कर रहे हैं?

हर चीज को काले रूप में देखने के अन्दर, मैं मानता हूँ, अध्यक्ष महोदय, जो वास्तविक सफेद चीज है उसे देखने से महरूम रहते हैं। मैं इस भावना को समझ सकता हूं, लेकिन दैनिक जन-जीवन की व्यवस्था में अनुशासन बनाये रखने को यदि पुलिस को अधिकार दिया जाय तो हमें जनतन्त्रात्मक दृष्टि से अच्छा नहीं लगता। उसका कारण यह है कि हमने लम्बे अर्से तक ऐसे शासन के आधीन जीवन-यापन किया है, जिसकी स्मृतियें हमको रह रह कर याद आ जाती हैं। हम यह मानते हैं कि आज की सरकार अंग्रेजों की सरकार की तरह रिएक्शनरी नहीं है। हमारे मित्र जो आधारभूत विस्मृत हैं वे सरकार को एक प्रकार से जनता के लिये दमनकारी सरकार मानकर चलते हैं। वे यह मानकर चलते हैं कि यह सरकार जो राजस्थान का शासन

(श्री जनार्दनराय नागर)

चला रही है वह जनता की राजनीतिक आजादी की विपरीत है और दमन करना चाहती है। मैं नम्रता के साथ उनकी भावनाओं को गलत मानता हूँ और इसलिये मानता हूँ कि इस सदन में अलग अलग विचार धारा के लोग हैं। यह इस बात का सुबूत है कि यह सरकार निश्चित तौर से बहुमत के दल की बनाई हुई सरकार है। यदि कांग्रेस की सरकार माननीय मित्रों को पसन्द नहीं है तो यह उन्हीं का सुख और उन्हीं का दुःख है। हम उनके दुःख के साथ सहानुभूति नहीं रखेंगे और उनके सुख के साथ खुशी मानते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार बने। उन्होंने चुनाव के मोर्चे पर भी नहीं चाहा, लेकिन राजस्थान की जनता को यह बात मंजूर थी और आज राजस्थान में जनता के बहुमत से यह सरकार बनी है। इसलिये जहां तक उसकी दलील है हम उसको सुन सकते हैं। जहां तक वास्तविकता का सवाल है उनको यह बात मान कर चलना है और हम भी यह मान कर चलते हैं कि राजस्थान की जनता ने हम पर जिम्मेदारी सौंपी है उसको हिम्मत के साथ, सावधानी और दक्षता के साथ अदा करने की कोशिश हमें करनी है। जो बिल यहां पर आया है विचारार्थ, उसमें इस बात का एक चित्रण प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है कि इस बिल के द्वारा जहाँ तक जग-जीवन का सवाल है, उसको दबाया जायगा। यह एक दिलचस्प दलील दी गई है। इस बिल में एक प्रावधान है कि कोई संगठन हो, कोई ऐसी प्रवृत्ति पैदा हो जो मिलिटराइज़ेशन को मानती हो, जो सैन्यकरण शुरू करती हो, वह भी गैरसरकारी तरीके से, तो इसको पुलिस इस बिल के द्वारा छिन्न-भिन्न कर सकती है, उस प्रवृत्ति को खत्म कर सकती है; यह माननीय मित्र की शिकायत है। आप जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, कि द्वितीय महायुद्ध के समय एक जबर्दस्त फासिस्ट विचार-धारा की मनोवृत्ति से लड़ाई हुई। केवल भारतवर्ष ने ही नहीं वरन् सारे संसार के करोड़ों लोगों ने उस फासिस्ट मनोवृत्ति के खिलाफ युद्ध किया। इस युद्ध का परिणाम एक ही हुआ कि हमने जनतन्त्र और जनतन्त्रीय जीवन की रक्षा करने की कोशिश की। इसके लिए मानव रक्त इस पृथ्वी पर बहा। हमारे देश में यह प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को देश की रक्षा हेतु दूर करना चाहते हैं। दक्षिण में इस प्रवृत्ति का उस समय अनुभव किया जिस समय हैदराबाद का विषय आया। आज भी देश के कुछ इलाके हैं जहां पर गैर सरकारी संगठन मिलिट्री आन्दोलन को इसलिए पैदा करना चाहते हैं कि वे जनतन्त्रीय सत्ता को अपने हाथ में ले सकें। मैं मानता हूँ, अध्यक्ष महोदय, यदि आज ऐसी परिस्थिति है, ऐसी आशंका है, आशंका ही नहीं, यह वास्तविकता है कि हमारे देश के अन्दर जो प्रतिक्रियावादी ताकत है, वह किसी न किसी रूप से संगठित हो, मिलिट्री आन्दोलन कर, सैन्य शिक्षण के द्वारा संगठित होना चाहते हैं और भारतवर्ष की जनता का जो गणराज्य है, जो सत्ता है उसको अपने हाथ में लेना चाहते हैं। यदि वे सत्ता को जनतंत्रीय तरीके से लेते हैं, यदि चुनाव में अपना बहुमत बना कर लेते हैं, तो इसमें किसी को विरोध नहीं हो सकता। यदि वे चाहें, इस देश में गैर सरकारी तौर से सैनिक संगठन उत्पन्न करके और एक प्रकार से सैनिक बगावत करके सार्वजनिक जीवन को और इस शासन सत्ता को छिन्न-भिन्न करने की

(श्री जनार्दनराय नागर)

चुनौती देना चाहें तो राज्य सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि ऐसी प्रवृत्ति का दमन करे। इसलिए इस अधिकार का इस बिल में प्रस्ताव किया गया है। इसका विरोध करने वाले मित्रों से मैं नम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि केवल भावना से विरोध करके शायद इस बात को स्वीकार करके चलना चाहते हैं कि इस प्रकार के गैर सरकारी तौर से सैनिक संगठन हैं, वे इस उद्देश्य से दूर हैं कि जो जनतंत्रीय शासन व्यवस्था है, राज्य है, उसको चुनौती दे सकें।

दूसरी बात यहां पर यह कही गई कि बहुत सारे ऐसे अधिकार पुलिस को दिये जा रहे हैं जो अलग अलग कानूनों के रूप में व्यवस्थित हैं। मैं मानता हूं अध्यक्ष महोदय, हम एक चौराहे पर आ खड़े हुए हैं, हमें अधिक से अधिक जन-जीवन को व्यवस्थित बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देश को प्रगति की ओर ले जाने के, इस समाज के विकास के प्रयत्न में यदि इन अधिकारों से बाधा पहुँचती है, यदि इन अधिकारों से व्यवधान पड़ता है, तो हम भी आपके समान ऐसे प्रस्ताव का मुकाबला करने को तैयार हैं। सही बात तो यह है, अध्यक्ष महोदय, यह मानना कि इस सारे बिल के द्वारा हम चाहते हैं कि राजस्थान की जनता की आजादी को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाय, उस तरह से से समाप्त कर दिया जाय जिस तरह से अंग्रेज चाहते थे कि आजादी का आन्दोलन न उठ सके, मैं मानता हूं कि मेरे माननीय सदस्य यह मानने में ईमानदारी करते हैं, ईमानदारी से विरोध करना चाहते हैं। मैंने विरोध इसलिए कह दिया है, क्योंकि यह सच्चाई से विरोध है। हम यह मानते हैं कि हमारा फर्ज है कि जनता को अधिक से अधिक संतोष दें। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि समाज की स्वतन्त्रता के जितने हिमायती हैं, इतिहास ने इस बात को बतलाया है कि आप उसके बड़े हिमायती हैं। लेकिन इतिहास जो हम बना रहे हैं उसमें हम साबित करेंगे कि हम ज्यादा जनता की आजादी को मानने वाले में से हैं। सही बात तो यह है, अध्यक्ष महोदय, कि भारत की जनता की स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ने में जितना इधर के बैठने वालों ने भाग लिया है........

श्री मदनसिंह : एक भी नहीं।

श्री जनार्दनराय नागर : उतना ही उधर बैठने वालों ने लिया होगा किन्तु उस समय की कई घटनाओं का विश्लेषण किया जाय, तारीख और तवारीख बनाई जाय: मैं समझता हूं कि उसकी हमें ज्यादा हिमायत करने का महत्व मिलेगा। इसलिए यह कहना कि इस बिल के द्वारा राजस्थान की जनता की आजादी को खत्म करना चाहते हैं, हम सारी जगह पुलिस का दौरे-दमन स्थापित करना चाहते हैं, मैं समझता हूं, इस बिल के उद्देश्य को नहीं समझ रहे हैं। मैं यह बता दूं कि १८६१ के कानून के अधिकार को इस बिल में क्यों लिया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रकार से आज व्यवस्थित रूप से, विकासोन्मुख दृष्टि से चल रहा है। मैं यह दलील दूं कि जो भारतवर्ष में राजतंत्र है, उस राजतंत्र के बारे में आप जानते हैं कि निश्चित रूप से वह राजतंत्र हमें अंग्रेजों से विरासत में मिला है, उसको धीरे धीरे इच्छा के अनुकूल बनाने की, उसमें अन्तर करने की जरूरत

Page No.46

(श्री जनार्दनराय नागर)

है। इस चीज में जो परम्परा है, जो बुराई है, उसे दृष्टि में रख कर नमूने के तौर पर कोई चीज रखते हैं तो उससे संकोच करने को या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप इन्कार करते हैं कि सामाजिक जीवन में ऐसे कीटाणु मौजूद हैं, ऐसी हवा है, ऐसे चिन्ह मौजूद हैं, जिन्हें व्यवस्थित करने की और संयम में रखने की बहुत जरूरत है? अध्यक्ष महोदय, आपने देखा ही होगा कि छोटी-मोटी वारदातों को लेकर भारी उत्पात फैलाने की कोशिश करते हैं। हम और आप चुनाव लड़ कर आये हैं। आपने देखा होगा कि चुनाव क्षेत्रों में सभायें नहीं कर सकते, छोटी छोटी गलियों में और चौराहों पर ऐसे दृश्य देखने को मिले, जिससे यह आवश्यकता महसूस होती थी कि कम से कम पुलिस की ओर से व्यवस्था निभाने में, शांति बनाने में मदद मिलनी चाहिए। यदि मैं और आप पुलिस विभाग में छोटी मोटी बातों को लेकर जाते हैं, तो हमसे कहा जाता है कि हमें अधिकार नहीं है। अभी दो-तीन दिन पहले सदन के एक माननीय सदस्य ने कहा कि सिनेमा घरों पर टिकटों का ब्लेक मार्केटिंग होता है; यदि पुलिस को कहते हैं तो पुलिस कहती है कि उन्हें अधिकार नहीं है कि व्यवस्था कर सकें। आज कई ऐसे बड़े बड़े शहरों के अन्दर हम अनुभव करते हैं कि लोग शराब पीकर ऊधम मचाते फिरते हैं। आधी रात तक आज सारे शहरों में गुण्डों से असंतोष है, गुण्डों की वजह से सामाजिक जीवन में संकोच है। इन तमाम बातों को ठीक ठीक तरीके से........

रावराजा श्री सरदारसिंह : शराब बन्दी कर दी जाय।

श्री जनार्दनराय नागर : यह प्रश्न पुलिस से सम्बन्धित नहीं है। वैसे शराब बन्दी एक अच्छी बात है, यह तो जन-जीवन का असामाजिक तत्व है। तो जो असामाजिक तत्व है उसको रोकने के लिए इस बिल में प्रावधान मौजूद है इसलिए इसे इस दृष्टि से न देखा जाय कि यह आजादी के ऊपर एक प्रकार का दोष है। सही बात तो यह है अध्यक्ष महोदय, कि जनता की जो बोलने की, विचार व्यक्त करने की आजादी है, वह हमारे देश के संविधान के द्वारा सुरक्षित है, उसको थोड़ा सा न इधर कर सकते हैं और न उधर कर सकते हैं, हम यदि करने भी लगें तो भारतवर्ष का संविधान हमारे ऊपर है। भारतवर्ष को आज सात-आठ साल से विकास की ओर ले जाने की, प्रगति की ओर लाने की जिम्मेदारी हम पर रही है, हमने कई बातों का अनुभव प्राप्त कर लिया है, और जिनका हमें सुधार करना पड़ेगा। सही बात तो यह है कि भारत की जनता को स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद आगे ले जाने का जो प्रयत्न है, वह दुनिया के सामने है। इस बिल को काला कानून कहते है, भारतवर्ष की जनता का गला घोंटने वाला और आजादी का शोषण करने वाला कानून कहते हैं लेकिन जो भारतवर्ष के संविधान में घोषणा की है, उसे देखें तो मालूम होगा कि इस प्रकार का कोई कदम भारतवर्ष के किसी कोने में नहीं लिया जा सकता जो जनता के वे अधिकार छीनता हो, जो (अधिकार) कि उसे संविधान द्वारा दिये गये हैं। इसलिए मैं माननीय मित्रों से अपील करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि अभी दो-तीन दिन पहले सेल्स टैक्स का बिल आया उसको आप काला कानून कहते हैं, कोई और कानून आते हैं उसको आप काला कानून कहते हैं, पुलिस

(श्री जनार्दनराय नागर)

का बिल आया इसको भी आप काला कानून कह रहे हैं।

एक बात जरूर है, उस समय की स्थिति में हम मानते थे कि पुलिस एक दमन का साधन है। अंग्रेजों के पास दो साधन थे, सेना और पुलिस। अंग्रेजों ने अपना शासन सेना और पुलिस के जरिये चलाया, पर सेना और पुलिस के पीछे जो सामाजिक ताकत थी, जो सदन में वे सदन के बाहर आजादी के नारे बुलन्द करते थे, यदि इसके पीछे सामाजिक ताकत नहीं है तो पुलिस और सेना दमन नहीं कर सकती, पर मैं निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष, कि आज स्थिति बदल गई है. आज हमारे देश में जनता, जनता के प्रतिनिधि राज्य स्थापित किये हुए हैं। फिर भी मैं यह मानता हूँ कि हमारे देश में प्रतिक्रियावादी ताकतें अवश्य हैं जो राष्ट्रीय जागृति और राष्ट्रीय प्रगति की ताकतें हैं, उनको रोके रखना चाहती है, बढने देना नहीं चाहती हैं; पर उन ऐसी प्रतिक्रियावादी ताकतों को काबू में लाने के लिये हमें कदम उठाना पड़ेगा। वह समय अब आ गया है।

दलील दी गई कि पैसा नहीं मिलेगा, इतने टैक्स जनता पर लगाये जा रहे हैं, विकास के कामों को करने के लिये टैक्स लग रहे हैं, इस प्रकार के टैक्सों से असंतुष्ट होकर जनता टैक्स नहीं देगी, इसलिये जनता को दबाने के लिये यह पुलिस बिल लाया जा रहा है। मैं यह नहीं मानता। विकास के कार्यों को आज जनता कितना पसंद करती है? आप भी गांवों से आ रहे हैं. मैं भी गांवों से आ रहा हूँ, यह किसी से छुपा नहीं कि राजस्थान की जनता किस उमंग और उत्साह से विकास के कार्यों में सरकार का सहयोग करना चाहती है, कितनी विकास को मांगें जनता की ओर से आई हुई सरकार के सामने पड़ी हुई हैं। तो यह कहना कि विकास को राजस्थान की जनता नहीं चाहती, इतने प्रकार के टैक्स, इतने प्रकार के बिल टैक्सेज के लिये आयेंगे तो इसका जनता विरोध करेगी, यह जो दलील इसके विरोध में दी गई है वह तथ्य पूर्ण दलील प्रतीत नहीं होती। हम जो व्यवस्था चाहते हैं जन-जीवन में, हम जिन प्रगतिशील शक्तियों को बढ़ावा देना चाहते हैं और इस सब के लिये जो राज्यसेवाएं आवश्यक हैं उनको सुदृढ़ बनाने की व्यवस्था इस बिल में मिलेगी। फिर भी पुलिस को सर्वथा पूर्ण अधिकार दे दिये जायं, इस पक्ष में मैं नहीं हूं, इसीलिए हमारे मन्त्री महोदय की तरफ से इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है क्योंकि यदि चेक लगाना जरूरी है, यदि संशोधन करना जरूरी है, प्रावधान करना जरूरी है तो प्रवर समिति में किया जा सकता है। जब कोई बिल यहां प्रस्तुत किया जाता है तो उसके लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि इसे प्रवर समिति में रखा जाय और प्रवर समिति में रखने का मन्त्री महोदय की ओर से प्रस्ताव किया जाता है तो उसके लिये यह प्रस्ताव रखा जाता है कि इसे जन मत के लिये प्रसारित किया जाय। यह बिल जनमत के लिये प्रसारित किया जाने वाला बिल नहीं है। जनमत के लिये जनता में प्रसारित उस बात को किया जाता है जो जन-जीवन के आधारभूत सिद्धान्तों पर आघात या असर करने वाली बात हो। यदि कोई ऐसा बिल आता है कि लोग अपना संगठन नहीं बना सकते, स्वेच्छा से बोल नहीं सकते, तो ऐसे बिल को जनमत के लिए, जनता में प्रसार के लिये भेजा जाता है। पर यह तो पुलिस के

(श्री जनार्दनराय नागर)

उत्तरदायित्व को व्यवस्थित करने के लिये, दृढ़ करने के लिए रखा गया है, इसको जनमत के लिए प्रसारित करने की क्या आवश्यकता है ? जनमत के लिए जनता में प्रचार के लिए संविधान भेजा जा सकता है, कोई क्रान्तिकारी सामाजिक कानून हो उसको भेजा जा सकता है, पर जो आम रूप से व्यवस्थित सरकार को चलाने के लिए, सरकार की सेवाएं हैं उन सेवाओं को व्यवस्थित करने के लिए बिल आता है तो इस बिल को जनमत के लिए जनता में प्रसारित किये जाने की आवश्यकता नहीं। यह बिल सरकारी पुलिस सेवाओं को दृढ़ और व्यवस्थित करने के लिये लाया गया है और इसमें संशोधन-परिवर्द्धन करने हों, इसके लिये इसे प्रवर समिति में रखे जाने का प्रस्ताव मन्त्री महोदय की ओर से रखा गया है। ऐसी दशा में मैं इसे जनमत के लिये प्रसारित किये जाने का प्रस्ताव करना, मैं समझता हूँ जनता और इस सदन का समय जाया करना है।

मैं निवेदन करता हूं अध्यक्ष महोदय, कि पुलिस-सेवा अनिवार्य सेवा है, यह नया विचार है, हमारे अतीत के राज्यों के जमाने में यह जाने हुए विचार नहीं थे, उसमें कुछ व्यक्ति थे उन्हीं व्यक्तियों को देवता बनाये रखने वाली कुछ श्रेणियां, कुछ कुटुम्ब थे, उनके लिये अनिवार्य रूप में सेवायें गुलामी के रूप में थीं; पर आज के जनतन्त्र के राज्य में कुछ सेवायें अनिवार्य हैं ? जैसे चिकित्सा, सेवा-सफाई अनिवार्य हैं, उसी तरह मैं मानता हूं पुलिस की सेवा भी अनिवार्य सेवाओं में से हैं, मिलिटरी की भी सेवा अनिवार्य सेवा है। इन सेवाओं को सिविल से अलग नहीं करके, मैं यह मानता हूँ कि पुलिस को बनाये रखने का वास्तविक आधार है, उसको अच्छी तरह नहीं समझना चाहते। पुलिस की आवश्यकता इसलिये है कि वह समाज में शांति और व्यवस्था बनाये रखे तथा असामाजिक तत्वों को दबाये रखे।

दूसरी बातें कही गई कि पुलिस में प्रबन्ध अच्छा नहीं है, उसका अच्छा प्रबन्ध होना चाहिये, पुलिस के विकास के बारे में बहुत सी बातें प्रगट की हैं। सवाल बिलकुल दूसरे हैं। १०० फी सदी मैं इसमें आपसे सहमत हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका रूप बदले। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि हमारी सेवाओं के रूप बिल्कुल बदल जाने चाहिये। यह बात भी सही है कि 'पुलिस' शब्द इतिहास से संगत शब्द नहीं है। सही बात है अध्यक्ष महोदय, कि पुलिस का नाम लेते ही जनता के मन में एक प्रतिक्रिया होती है कि हमारे अधिकारों को दबाने वाला, हमारी आजादी का हरण करने वाला कोई व्यक्ति आ गया है। परन्तु आज हम आजाद हो गये इसलिये पुलिस न रखें, सेना नहीं रखें, यह ठीक नहीं। पुलिस और सेना जन-जीवन के लिए अनिवार्य सेवायें हैं, हमारे देश को यदि सुदृढ़ बनाये रखना है, हमारे देश में यदि आन्तरिक शान्ति बनाये रखना है तो हमारी पुलिस सेवा को अधिक से अधिक दृढ़, व्यवस्थित और अधिकारों से मंडित करना पड़ेगा ? इसे डिक्टेटरशिप कहा गया है और बड़ी आसानी से कह दिया है कि इस बिल को जनमत के लिये जनता में प्रसारित किया जाय। "डिक्टेटरशिप" और "जनतंत्र" ये दो शब्द मानो वायुमण्डल में उड़ रहे हों और इनको पकड़ लिया हो, माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद लोक सभा, संविधान

Page No.49

(श्री जनार्दनराय नागर)

सभा और विधान सभाओं द्वारा हमने देश में लड़ाई जारी कर रखी है डिक्टेटरशिप के खिलाफ कि हम देश में डिक्टेटरशिप नहीं होने देंगे और यदि एक बड़े से बड़ा आदमी भी हमारे देश में डिक्टेटरशिप लाना चाहता है तो उसे हम जमने नहीं देंगे, हम तो डिक्टेटरशिप के पूरी तरह से खिलाफ हैं। डिक्टेटरशिप के नाम पर यदि इस प्रकार की व्यवस्थाओं का विरोध किया गया तो मैं तो यह मानूंगा कि वे मित्र-देश में अराजकता लाने के पक्षपाती हैं। हमारे समाज में ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो छोटी छोटी बातों पर हुल्लड़ करते हैं, वैसे विरोध के लिये छोटे से छोटे शब्द उत्तेजना के साथ कह सकते हैं, पर अध्यक्ष महोदय, आप मानेंगे कि असामाजिक तत्वों का बीज हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है, उनको निश्चित रूप से दूर करना होगा, ऐसे असामाजिक तत्वों से जनता डरती रहे, जनता गुन्डों से डरती रही तो जनता कहेगी अभी तक शान्ति, सुरक्षा सुदृढ़ रूप से स्थापित नहीं हुई है।

इसलिये मैं आपसे विनय के साथ कहता हूँ कि हर चीज में कालापन देखने की आदत को छोड़ें। प्रवर समिति में जाने से इसमें कोई खामी हो वह पूरी हो सकती है, संशोधन, परिवर्द्धन किया जा सकता है; पर इसके इरादे में शंका करना कि यह अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों द्वारा बना हुआ कानून है, उचित नहीं, हिन्दुस्तान की जनता ने बहुमत में जो वर्डिक्ट दिया है उसके खिलाफ है।

जिस दिन हम में यह बात आई कि हम जनता के हित के खिलाफ जाते हैं, तो इतना स्वाभिमान तो हम भी रखते हैं कि हमारे जैसे आदमी इस सदन में नहीं मिलेंगे। तो इसमें यदि कमी है उसको निकाल कर कहीं कुछ अधिक अधिकार पुलिस को दे दिये हैं तो प्रवर समिति में बैठकर इन सब बातों पर विचार कर सकते हैं और जो खामियां हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं, इसलिये यह प्रवर समिति में रखने का प्रस्ताव मन्त्री महोदय की ओर से प्रस्तुत किया गया है। पर जो आधार भूत अधिकार है उसके बारे में कहें कि पुलिस को कोई अधिकार दिया ही नहीं जाना चाहिये, इस मामले में वे माननीय सदस्य हमारे मित्र हैं, फिर भी दोनों एक दृष्टि से नहीं देख सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, श्री माधोपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने राजस्थान पुलिस विधेयक को पब्लिक की राय जानने के लिए प्रसारित करने का जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में, मैं समझता हूँ जिस गहराई से उन्होंने अपने विचार रखे हैं, वे माननीय मंत्री महोदय ने इस बिल के लिए पर्याप्त थे कि इसको पब्लिक ओपोनियन के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। परन्तु अभी अभी माननीय सदस्य ने जो अपने विचार प्रकट किये कि इस विधेयक का विरोध इसलिए किया जा रहा है कि उनकी किसी भी बिल के विरोध करने की आदत है। विरोध विरोध करने के लिए किया जाता है चाहे; कोई भी बिल हो उसका विरोध किया जाता है, चाहे सेल्स टैक्स बिल हो चाहे, एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स बिल हो, चाहे एन्टरटेनमेन्ट का बिल हो, कोई भी कानून क्यों न हो; उन सारे ही कानूनों का विरोध करने की आदत है, मैं यह समझता हूं कि विरोध करने की आदत विरोधी दल की नहीं है। यह तो नहीं हो सकता कि कोई चीज सामने आए, उसके गुण गाये

(श्री जनार्दनराय नागर)

जायं, हर एक बिल जो सरकार की तरफ से आए उसका गुणगान करते रहें। मैं समझता हूं कि यह आदत माननीय सदस्य में दिखाई देती है कि हर एक बिल का समर्थन करें, हर एक बिल के गुण-गान करें। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि अब वह जमाना राजाओं का रहा नहीं। जब राजाओं का जमाना था उस समय लोग राजाओं के गीत गाया करते थे और उनके हर कार्य का समर्थन किया करते थे, मगर आज जनतन्त्र का जमाना है। पब्लिक आज-कल सरकार के हर एक कार्य को अच्छी तरह से समझती है और उन पर विचार करने का अधिकार पब्लिक के हर एक व्यक्ति को है।

माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि जनता का सबसे ज्यादा सम्पर्क पुलिस से रहता है। पुलिस विभाग से जनता का गहरा सम्बन्ध है और पुलिस के बारे में आए दिन घटनाएं हम पढ़ते हैं और वे सारी घटनायें सुबह से शाम तक इस लिये होती हैं कि आज पुलिस का कानून हमारे राजस्थान में लागू है। यह रात दिन जनता के काम में आने वाला है, इसलिए जनता की जानकारी के लिए इसको प्रसारित करना चाहिये। पब्लिक को इस सम्बन्ध में इस प्रकार के सुझाव देने हैं। पब्लिक के दिनों में कई प्रकार की बातें है जिन्हें शायद हम नहीं रख सकते। माननीय अध्यक्ष, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि पब्लिक में जो असन्तोष की भावना है वह इस विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित करने पर जाहिर होगी और निश्चित रूप से अमूल्य सुझाव आ सकेंगे। पुलिस विभाग में घटनाओं की कमी नहीं है हमको पुलिस की बहुत आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक घटना सदन के सामने कुछ दिन पहले रखी थी, कुछ दिन पहले रखी थी। तीन चार साल पहले हल्दियों में रास्ते में वह घटना हुई थी। मैं दूसरी घटना जो आज से तीन साल पहले हुई वह बताना चाहता हूं। तीन साल पहले की इसी जौहरी बाजार की बात है। गूधरमल सिन्धी नाम का एक व्यक्ति था। उसने पुलिस वालों को पांच रुपये रिश्वत के नहीं दिये गेम्बलिंग के मामले में। चूंकि उसने रिश्वत के पैसे नहीं दिये थे वे उसे पकड़कर ले गये। उससे रिश्वत के पैसे मांगे और उसको तंग किया। चार घंटे उसको बन्द रखा। बाद में ऐसा कहते हैं कि एक पुलिस के इन्सपेक्टर ने उसको आकर ठोकर मारी और उसी ठोकर मारने के साथ उस सिन्धी के प्राण निकल गये। उसकी बुढ़िया मां आई और रोने लगी। उसको कहा गया कि तेरे लड़के की लाश तुझको नहीं देंगे। उसको यह कहा गया कि यह लिख कर दे कि वह गिर कर मर गया। ऐसा लिखने के बाद ही उस बुढ़िया को उसके लड़के की लाश दी गई। वह लाश लेकर शमशान पर पहुँचती है, लोगों ने शिकायत की कि पुलिस इन्सपेक्टर की ठोकर से यह व्यक्ति मारा गया है, मेडिकल जुरिस्ट शमशान पर पहुँचा, उसने वह लाश नहीं जलाने दी। वह उसको होस्पिटल में ले गया, उसका वहां पर पोस्ट मार्टम किया गया। पोस्टमोर्टम की रिपोर्ट और मेडिकल जुरिस्ट की रिपोर्ट आज भी मौजूद है जिससे यह साबित होता है कि इस आदमी की मौत गिरने के कारण नहीं हुई, गिरने से कोई चोट नहीं आई है, गूधरमल सिन्धी की मौत रीड की हड्डी कोई जोर के जूते या जोर से घूंसे या चोट के कारण हुई है। वह

(श्री जनार्दनराय नागर)

रिपोर्ट आज भी होस्पिटल में मौजूद है ।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस के विभाग का सम्पर्क जनता से सुबह से लगाकर दूसरे रोज सुबह तक यानि चौबीसों घन्टों रहता है। दिन भर और रात भर में कई घटनायें होती हैं, जलसे होते हैं भाषण होते हैं। जनता अपने भाव मंत्रियों तक पहुँचाना चाहती है । मैं समझता हूं कि पुलिस का सबसे अधिक सम्पर्क है। पुलिस का रात को पहरा लगता है, जनता की रक्षा के लिये, पहरा जनता की जान-माल की सुरक्षा के लिए होता है। इस तरह से जनता का पुलिस विभाग से २४ घंटों का सम्पर्क आता है। इसलिये पुलिस विभाग के बारे में यहां पर विचार किये जाने से पहले या सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाने से पहले इसको जनमत जानने के लिए भेज दिया जाना जरूरी है क्योंकि यह जनता पर लादा जा रहा है। इसलिए जनता का विचार इस सम्बन्ध में जानना अत्यन्त आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष, आजादी के बाद में हम विकास योजना के बारे में और करों के बारे में कानून लाते हैं, मगर माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि आज जो विधेयक हमारे सामने आया है वह आज की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। उस समय इस प्रकार के कानून का उन्होंने भयकर विरोध किया। आज का पुलिस विधेयक जो हमारे सामने आया है उसके एक क्लॉज़ की तरफ में आपका ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहता हूँ जिसको मैंने विशेष रूप से पढ़ा है, वह है क्लॉज ६१। इसमें लिखा है कि यदि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट स्वयं-सेवक दल या किसी दूसरी संस्था पर, जो परेड करती है, किसी प्रकार की अनुशासन की शिक्षा देती हो, सरकार चाहे तो प्रतिबन्ध लगा सकती है। हो सकता है, यदि देश की सुरक्षा या प्रजातन्त्र के लिए कोई खतरा पैदा हो तो ऐसा कानून लगाया जा सकता है और मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा जो इसका समर्थन करूगा। मगर माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता; पंडित जवाहरलाल नेहरू, डा० राजेन्द्रप्रसाद, श्री राजगोपालाचार्य विद्यार्थियों के अनुशासन के बारे में अपने विचार प्रकट करते हैं, मगर सरकारी कॉलेजों और स्कूलों में वह अनुशासन की शिक्षा नहीं दी जाती है जो दी जानी चाहिये और जिसके लिये हमारे महान् नेता इतने चिन्तित हैं व दूसरी ओर इस प्रकार के सरकार काले कानून बनाने जा रही है कि जो संस्थाएं अनुशासन सिखाती हैं, जब चाहें उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की कौन सी संस्थाएं हैं जिनसे आपका अभिप्राय है और आज आप प्रतिबन्ध लगाने की बात करते हैं। मुझे कोई ऐसी पार्टी या दल दिखाई नहीं देता जो इस प्रकार का कार्य करते हों। हमारे यहां कई दल हैं, कई पार्टीज़ हैं। स्काउट का सवाल ही पैदा नहीं होता। माननीय अध्यक्ष, स्काउट्स की संस्था है और उसके लिये हमारे बजट में प्रोविजन है। उस पर प्रतिबन्ध लगाने की कोई बात ही नहीं है। ए. सी. सी. और एन. सी सी. भी चलती हैं, हमारे यहां कांग्रेस की तरफ से भी सेवा-दल चलता है। मैं यह कहूँगा कि कोई संगठन किसी प्रकार से खतरनाक नहीं है। मैं नहीं समझ पाया कि कौनसी संस्था विशेष के लिये यह कानून रखा गया

Page No.52

(श्री जनार्दनराय नागर)

है। उनको चाहिये था कि निश्चित संस्था विशेष पर यह प्रतिबन्ध लगाने की बात कह देते। कौन सी संस्था के लिये यह प्रतिबन्ध लगेगा ? इस प्रकार से इस काले कानून द्वारा किसी संस्था की जड़ काटने का प्रयास नहीं होना चाहिये।

(श्री हरिदेव जोशी, सभापति, पदासीन)

मैं समझता हूँ कि कानून वही बनाये जावें जिससे जनतन्त्र को लाभ हो। कोई विशेष वेश-भूषा धारण करके कहीं केम्प नहीं लगा सके। माननीय सभापति, हम केम्प बना सकते हैं और उन केम्पों में काम करते हैं एक विशेष वेशभूषा द्वारा। हमें उन केम्पों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। मैं समझता हूँ कि पुलिस के कानून में उनके लिये प्रावधान होना चाहिये कि विशेष मन्त्रियों के दरवाजे पर कोई आदमी बिना मतलब के न जाए। अगर वह जाता है तो उससे पूछा जाए कि आप कौन से विभाग में नौकरी करते हैं और किस काम के लिये यहां पर आये हैं। अगर कोई काम नहीं हो तो उसको सजा दी जानी चाहिये। फालतू वेशभूषा धारण करके वे मन्त्रियों के दरवाजे पर पहुँच जाते हैं या सेक्रेटेरियेट में चले जाते हैं तो उनको पुलिस के द्वारा फौरन पकड़ लिया जाना चाहिये। वे लोग जनता की प्रगति में, जनता के विकास में बाधक हैं। इसलिये उन लोगों को जो विशेष कैंम्प के हों, विशेष वेशभूषा के हों, उनके लिये कानून बनाया जाना चाहिये। वह हमारे लिये खतरा है: जो बिना मतलब के विशेष केम्प के और वेशभूषा के होने के कारण घूमते हैं।

आज लोग कसरत नहीं करेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं बनायेंगे, एक ओर तो हमारे नेता कहते हैं कि लोगों का स्वास्थ्य गिर रहा है उनका चेहरा गिर (मुर्झा) रहा है, उनको डिब्बों का दूध पिलाया जाता है, खाने को अच्छा घी नहीं मिलता है, वेजीटेबल घी दिया जाता है और दूसरी ओर नेता वही इस कानून द्वारा लोगों पर प्रतिबन्ध लगाते हैं कि लोग व्यायाम नहीं करें, मिलिट्री एक्सरसाइज़ नहीं करें। मैं देश की परिस्थियों का अवलोकन करने के पश्चात् देख सकता हूं कि देश को आत्म निर्भर होना चाहिए। हम नहीं समझते कि हम सुरक्षा के बारे में भी आत्मनिर्भर का पाठ अपनी जनता को पढ़ा रहे हैं। हमें तो देश को आत्म सुरक्षा का पाठ पढ़ाना चाहिए और लोगों को कहना चाहिए कि तुम्हें अपनी रक्षा आप करनी होगी और तुम्हें पुलिस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मैं समझता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि इस प्रकार का प्रावधान जो क्लॉज़ ६१ में रखा है वह सही स्थिति निर्माण नहीं करता और मैं समझता हूँ इस प्रकार के कानून में जो प्रावधान रखा है उसके पीछे हमारे नेताओं की भावना कलुषित है। इस प्रकार की मनोवृत्ति से कानून नहीं बनाये जाते हैं और यदि इस प्रकार के कानून बनाये भी जाते हैं तो वे सफल नहीं होते। इसलिए माननीय सभापति महोदय मैं सदन का अधिक समय न लेकर क्लॉज ६१ के प्रति विशेष आपत्ति करता हुआ और चूंकि यह मामला आम जनता से सम्बन्धित है; जनता के मूलभूत अधिकारों से सम्बन्धित है, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का क्लॉज़ बनाने से पहले इस सारे कानून को जनता में प्रसारित करना चाहिए और इसमें जनता की राय जाननी चाहिए कि लोग इसको पसन्द करते हैं या

(श्री जनार्दनराय नागर)

नहीं करते हैं और वे इस प्रकार का बन्धन अपने ऊपर स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं ? कौन सी राय जनता सदन के सामने रखना चाहती है ? अतएव श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य, श्री भैरोसिंह, का जो प्रस्ताव आया है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, अभी सदन के समक्ष सरकार की ओर से यह राजस्थान पुलिस विधेयक, सन् १९५७ प्रस्तुत किया गया है, इसका दूसरी ओर से विरोध किया गया है और वह विरोध इस आधार पर किया गया है कि इसको जनमत के लिए प्रसारित किया जाय । इससे पहले भी कुछ इस प्रकार के बिल यहां पर आये और उनका विरोध किया गया और वह इसलिए कि उनको प्रवर समिति के विचारार्थ सुपुर्द किया जाय । अब क्योंकि सरकार की ओर से स्वयं यह व्यवस्था की गई कि इस बिल को कानून बनाने से पहले प्रवर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय तो विरोधी दल के माननीय सदस्यों के सामने जब किसी अन्य आधार पर विरोध करने का कोई कारण नहीं रहा, तो उन्होंने इसके भी आगे कदम बढ़ाया और वह यह कि इसको जनमत के लिए प्रसारित कराया जाय । मैं समझता हूँ कि यदि कहीं सरकार की ओर ऐसी व्यवस्था की जाती तो वह विरोध ही करते । यह तो मैं समझता हूं, कि कुछ परम्परा सी ही प्रतीत होती है । कोई भी चीज सरकार चाहे अच्छे विचारों के साथ सदन के समक्ष लाये, लेकिन हमारे विरोधी दल की ओर से हर किसी न किसी आधार पर विरोध करना ही होता है । जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इसके उद्देश्य में, जैसा कि दूसरी ओर से भी इसको प्रस्तुत किया गया था, स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यह आवश्यकता इस लिए प्रतीत हुई कि चूंकि जब पहले कानून बना था, उससे अब इस युग में अवस्था बदल चुकी है और वह आज की स्थिति के अनुकूल नहीं है । मैं समझता हूं कि यह आबजेक्ट ही काफी था, हमारे समझने के लिए कि इस विधेयक को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? हमारे माननीय सदस्य भी इस बात को तो कह चुके हैं, कि यह कानून अब से ४ कम १०० वर्ष पहले इस देश में बना था, और यह निश्चित है कि उस समय अंग्रेजी राज्य था और अंग्रेजी राज्य भी एक बड़े बवन्डर का सामना कर चुका था और वह चाहता था कि हिंदुस्तान में अपने शासन की जड़ों को मजबूत रखें । इसलिये उन्होंने पुलिस का कानून बनाया और अब हम दस वर्ष हुए स्वतन्त्र हो चुके हैं, आज हमारे यहां विदेशी शासन नहीं है और देश का शासन जनता के हाथ में है । अभी कहा तो यह गया कि इस विधेयक को जनता का जनमत लेने या लोकमत के लिए प्रसारित किया जाय । मैं समझता हूँ कि हम लोग जो यहां १७६ बैठे हुए हैं, जनता के ही प्रतिनिधि हैं और जनता का पूर्ण विश्वास लेकर यहां आये हैं । जनता ने अधिक से अधिक अपना विश्वास इन लोगों के प्रति प्रकट किया है, यह जो कुछ भी कार्य करेंगे, वह जनहित के लिए करेंगे । यदि किसी को संदेह है तो वह इस बात के लिए इसका विरोध कर सकता है । क्या जनता ने हमको इस बात का अधिकार नहीं दिया, कि हम यहां ऐसे कानून भी बनाने में सहायोग दें, जैसा कि यह कानून है । पुलिस के सम्बन्ध में बड़ी आशंका प्रकट की गई । पुलिस को

Page No.54

(श्री जनार्दनराय नागर)

शायद उसी रूप में आज भी देखा गया जिस रूप में कि अब से दस पन्द्रह वर्ष पहले या जब यह कानून बना था, देखा करते थे। मैं समझता हूँ कि वह एक युग था, जब पुलिस का शासन इस प्रकार का था, कि जनता में उस समय भय का होना स्वाभाविक था। उस समय वास्तव में पुलिस राज्य था। उस समय का शासन और फौज के बल पर ही इस देश में चलता था, लेकिन अब अवस्था बदल चुकी है। आज सत्ता विदेशियों के हाथ में नहीं है। आज जो शासक कहलाते हैं वह इस देश के निवासी हैं, वे कोई विदेशी नहीं हैं। और जिन्होंने उनको चुन कर भेजा है वह भी इस देस के निवासी हैं उनका कोई स्वार्थ दूसरा नहीं है। पुलिस यहाँ पर शपथ लेती है, तो वह किसी दूसरी हुकूमत के प्रति नहीं वह अपने देश के प्रति वफादार रहने की शपथ लेती है। जो चुनकर लोग आये हैं, वह देश का शासन कर रहे हैं, और उस शासन के न्दर जो पुलिस काम करेगी, उनसे दूर रह कर विदेशी तौर पर शासन नहीं करेगी। इसलिये पुलिस को उसी दृष्टि से देखना हमारे लिये अशोभनीय है। यह भय तो उन लोगों की ओर से आना चाहिये, जिन्होंने बीस–बीस और तीस–तीस वर्ष पुलिस के डंडे खाये थे। पुलिस द्वारा जिनका दमन किया गया था, जिनको हर प्रकार से पीड़ित किया गया था। लेकिन वे आज इसको इस रूप में नहीं देखते। मेरा तो यह विचार रहा है, कि पुलिस को कम से कम उसी रूप में देखा जाये जिस प्रकार से भगवान ने अपने आपको प्रकट किया है। कि ईश्वर किस प्रकार से व्यवहार करता है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है :

'परित्राणाय साधुनां, विनाशाय च दुष्कृताम्'

वह इसलिए है कि भगवान जो अवतार लेता है, या किसी रूप में भी आता है, वह इसलिए आता है, कि यहां पर जो साधु पुरुष हैं, उनकी रक्षा करे और जो दुष्ट हैं, उनको दण्ड दें। मैं समझता हूं कि पुलिस का आज यही कर्तव्य रहता है। पुलिस का सबसे पहला काम यह है कि जो साधु हैं, सज्जन हैं, अच्छे नागरिक हैं, देश की शांति और व्यवस्था में जो सहायक होते हैं, उनकी रक्षा करना पुलिस का काम है, लेकिन जो इसके विपरीत हैं देश की शांति में विघ्न डालते हैं जो देश के अन्दर अव्यवस्था को उत्पन्न करते हैं, असामाजिक तत्व पैदा होते हैं, उनसे देश को बचाने के लिए पुलिस को दृढ़ एवं सशक्त बनाना आवश्यक है।

इस विधेयक में जो बातें बतलाई हैं मैंने भी इसे देखा है, लेकिन माननीय मित्रों ने वे चीजें ढूंढ निकाली हैं, जिनसे वे सिद्ध कर सकें, कि पुलिस जनता पर अन्याय करेगी, अत्याचार करेगी। मैं समझता हूँ यह चीज नहीं। पुलिस आज इस रूप में नहीं रही है, पुलिस आज सच्चे रूप में जन सेवक है। असहाय लोगों की सहायता करने वाली है। समाज में जो भय पैदा करने वाले हैं, समाज की शान्ति में बाधा डालने वाले हैं उनका नियमन करेगी। अगर पागल आदमी को सड़क पर दौड़ने फिरने दें, तो मैं समझता हूँ म्युनिसिपेलिटी की ताकत नहीं, कि उस पागल से जनता की रक्षा करे वह कार्य पुलिस ही कर सकती है। जहां हम इस कानून द्वारा पुलिस को शान्ति प्रिय जनता की रक्षा के लिये अधिकार देते हैं, तो उसमें भयभीत होने की क्या बात है।

इसके अलावा इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया गया कि इसमें सैनिक संगठनों

(श्री जनार्दनराय नागर)

पर रोक लगाई गई है, यह ठीक है कि किसी साम्प्रदायिक संस्था के लिये कोई अधिकार नहीं, कि वह निजी तौर पर सैनिक संगठन करे, वर्दी पहन कर परेड करे। इस प्रकार की धारा होने से विधेयक पर इस बात का लान्छन नहीं आता कि जिसका विरोध किया जाय। मैं समझता हूँ, आज की सरकार राष्ट्रीय सरकार है, इसका सबसे पहला कर्तव्य यह होता है कि यहां की जनता को पूर्ण रूप से सैनिक शिक्षा प्राप्त हो। इसी आधार पर सरकार की ओर से इस प्रकार की व्यवस्था की हुई है कि जो भावी नागरिक बनने वाले हैं, उनको स्कूलों में ही एन० सी० सी० और ए० सी० सी० की ट्रेनिंग दी जाये; ताकि समय आने पर सैनिकों की तरह इनका इस्तेमाल हो सके। सैनिक अनुशासन सिखाने का हमने छोटी कक्षाओं से काम आरम्भ कर दिया है। इसके अलावा भी कई ऐसी संस्थायें हैं, जिनका कोई साम्प्रदायिक आधार नहीं, जो राष्ट्रीय संस्थायें हैं, उनमें भी सैनिक संगठन की शिक्षा दी जाती है। मैं समझता हूं, इस प्रकार की असाम्प्रदायिक जितने भी संगठन होंगे, उनको कभी भी हमारी सरकार इन कानून की धारा में नहीं जकड़ेगी। इसके विपरीत यदि कोई संगठन है तो उसको नियमन करना सरकार का कर्तव्य होगा।

सभापति महोदय, कई ऐसी संस्थायें हैं, जिन्होंने अभी नहीं बहुत अरसे पहले इसका प्रचार किया। आप पुरानी बातों को जाने दीजिये, आज से ठीक २० वर्ष पहले सन् १६३७ में जब प्रोवीन्सिल ओटोनोमी हमें प्राप्त हुई थी, उस समय सभी एम० एल० एज का दिल्ली में कनवेन्शन बुलाया गया था। वहां मुझे अच्छी तरह से याद है महामना पंडित मदनमोहन मालवीय ने यह बात रखी थी कि हम ऐसी आजादी चाहते हैं, जिसमें हमारा हर एक व्यक्ति एक सैनिक बन कर निकले। यह हमारी उस वक्त की आवाज थी इसका किसी ने विरोध नहीं किया। हम ऐसे सैनिक संगठनों को कभी बरदाश्त नहीं कर सकते जो देश के अन्दर साम्प्रदायिकता फैलावें देश में अशान्ति पैदा करें साम्प्रदायिकता के आधार पर झगड़ा पैदा करें। हम सन् ४७ को भूले नहीं है जिस समय हमें आजादी मिलने वाली थी उसी समय हमारी साम्प्रदायिक संस्थाओं ने अंग्रेजी शासन से मिल कर यहां अशान्ति फैलाई। उस समय इन संगठनों ने सिर उठाया। उनका मकसद ही यह था कि यहां स्वराज्य कायम न होने दें, राष्ट्रीय सरकार के बनने में विघ्न डाले. उस समय अंग्रेजी सरकार ने ऐसे तत्वों को प्रोत्साहन दिया जो देश के अन्दर अशान्ति पैदा करें ताकि छ महीने के अन्दर अन्दर वापिस उनको सत्ता मिल सके। उनमें खास तौर से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और मुस्लिम नेशनल गार्ड ने अंग्रेजी सरकार कायम करने में सहयोग दिया। इन साम्प्रदायिक संस्थाओं ने अपने इस प्रकार के संगठन बनाये, इस प्रकार की पार्टी बनाई, इस प्रकार की वर्दियां इनको दी गईं जिनके कारण हमारे देश में खून की होली होने लगी; साम्प्रदायिकता के आधार पर वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गये। इन साम्प्रदायिक दंगों में सबसे अधिक हाथ था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और मुस्लिम नेशनल गार्ड का। इसके अलावा इस प्रकार की भी संस्थायें हैं जिनका आधार साम्प्रदायिकता नहीं था जैसे कांग्रेस सेवा दल जो न हिन्दुओं की संस्था है, न मुसलमानों की, न ब्राह्मणों की, न राजपूतों की; बल्कि एक राष्ट्रीय सेवादल

(श्री जनार्दनराय नागर)

है जो जनता की सेवा के लिये है। एक तरफ तो ऐसे दल हैं जो राष्ट्र की रक्षा के लिये सैनिक संगठन के तौर पर कार्य करते हैं और दूसरी ओर हमारी सरकार है जो इस प्रकार की व्यवस्था करेगी कि हमारी जनता को सैनिक शिक्षा मिल सके।

चार-छः महीने पहिले की बात है कि विशेष सैनिक अधिकारी सरकार की ओर से निश्चित किया गया था, उसका यह कार्य था कि वह जिले जिले में जाकर ऐसे प्रौढ़ व्यक्तियों को जिनकी आयु ३५ और ४० के बीच हो उनके १०० के संगठन को लेकर क्षेत्रीय सेना के रूप में उनका संगठन किया जाये। उस सैनिक अधिकारी का कार्य यह था कि सौ-पचास व्यक्तियों को लेकर तीन-तीन और दो-दो महीने की सैनिक शिक्षा दे। हमारे देश के लोगों को सैनिक शिक्षा मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार ने कर रखी है, लेकिन कुछ लोग नये तौर पर अगर इस प्रकार की संस्थायें चलाते हैं, जिस प्रकार बेलचियों का दल पाकिस्तान में है, जो हमारे देश पर हमला करने की सोचता है, यदि इसी प्रकार की संस्थायें हमारे यहां पनपती हैं, तो पुलिस का सबसे पहला कर्तव्य यह होगा कि ऐसी संस्थाओं को पनपने न दें।

श्री भैरूसिंह : तो देश की रक्षा आपसे होने वाली नहीं।

श्री चतुर्वेदी : (जारी रखते हुए) देश की रक्षा हो रही है और होगी। आज के युग में पुलिस के अधिकारी ऐसे नहीं रहे कि जिन पर हमारा विश्वास नहीं हो। आज जनता भी यह नहीं चाहती कि इस प्रकार के बिल को जनमत के लिए प्रसारित किया जाय। जनमत के लिए प्रसार की ऐसी चीजों की आवश्यकता रहती है जो कोई सामाजिक कानून हो; जैसे बाल-विवाह विधवा-विवाह आदि ऐसे कानून हैं जिनके लिए जनमत जानने की आवश्यकता होती है। सभापति महोदय, आज-कल तो जनमत हर पांच वर्ष में प्रदर्शित हो जाता है, जब कभी उप चुनाव होते हैं उनमें जनमत प्रदर्शित हो जाता है। यह कानून अगर बन जाता है तो विशेषतः साम्प्रदायिक संस्थाओं को भय होगा, आर्थिक आधार पर बनी हुई संस्थाओं को डरने की आवश्यकता नहीं। साम्प्रदायिक संस्थाओं में आज जनता का विश्वास नहीं, वे एक-दो संस्थायें हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया। उनका यह उद्देश्य रहा है और है कि इस देश के लिए जनतन्त्र उपयोगी नहीं, वे इस बात को मानते हैं और एकतन्त्र के पक्षपाती हैं। मैंने इन संस्थाओं के इस प्रकार के केम्प भी देखे जिनमें इन संस्थाओं के नेताओं ने यहां तक कहा कि इस देश के लिए जनतन्त्र उपयुक्त नहीं। जिन संस्थाओं की यह मान्यता है कि जनतंत्र इस देश के लिए उपयोगी नहीं वे ही इस प्रकार की बातें कर सकते हैं कि पुलिस को अधिकार नहीं दिये जायं। वे लोग जनतंत्र को नहीं चाहते, वे सामन्तशाही और एक तंत्र चाहते हैं इसलिए वे इस बिल का विरोध करते हैं। यहां तक भी कहा गया कि इससे तो स्वतंत्रता का अपहरण होगा। आपने स्वतंत्रता का अर्थ क्या लगा रखा है? मेरी समझ में मैं कपड़े पहनता हूं, भोजन करता हूं, खुली हवा में घूमता हूं; यह हमारी दैनिकचर्या है, अगर इसमें कोई बाधा डालता है तो हम उसका विरोध करेंगे। इसके अलावा मैं इतना कर सकता हूं कि मैं अपनी छड़ी घुमा सकता हूं लेकिन स्वतन्त्रता के यह माने नहीं कि उस

(श्री चतुर्वेदी)

छड़ी से मैं किसी का सिर फोड़दूं। अगर ऐसा कोई करता है तो वह दोषी है। अगर मेरी छड़ी घुमाते हुए दूसरे का सिर फूटता है तो यह इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिये। स्वतंत्रता का अर्थ उच्छृंखलता नहीं मान लें, स्वेच्छाचारिता न मान लें। स्वतंत्रता एक हद तक होती है। हम चाहे जो कुछ करें; शराब पी कर घूमें, किसी को लाठी मार दें, नंगे हो कर सार्वजनिक स्थानों पर घूमें, यह किसी रूप में स्वतंत्रता नहीं कही जा सकती।

आज देश के शासन की बागडोर जनता के हाथ में आई है इसलिए जितने भी कानून होंगे जनता के लिये उपयोगी होंगे। अगर इसी प्रकार के कानून से अगर हम यह मान लें कि इससे स्वतंत्रता का अपहरण होता है तो गलत है इसी प्रकार के कानून से स्वतंत्रता की सुरक्षा होगी, स्वतंत्रता ठीक तरह से कायम रहेगी, जो स्वतंत्रता का उपभोग करना चाहते हैं उनको संरक्षण मिलेगा इस प्रकार के कानून से।

इसी तरह अहिंसा शब्द का भी प्रयोग किया गया। एक मेरे माननीय सदस्य ने कहा कि इस प्रकार का जो कानून हमारे गृह मन्त्री जी बनाने जा रहे हैं, इसमें कुत्ते मारने से हिंसा हो जावेगी।

हम अभी महात्मा बुद्ध की २५ वीं शताब्दी मना चुके हैं और इससे इतनी भावना फैलना स्वाभाविक है कि लोग आज अहिंसा की बात करते हैं। गांधी की इस भूमि में, महावीर स्वामी की इस भूमि में और महात्मा बुद्ध की इस धरती में अहिंसा की भावना का होना जरूरी है। पर इसके साथ यह भी हमें समझना जरूरी है कि एक कुत्ता अगर पागल है जिसके कारण कई आदमियों की जानें भी खतरे में पड़ सकती हों तो उसे मारा जाना आवश्यक समझा जावे; उन आदमियों की जानें बचाने के लिये तो मारा भी जा सकता है इसमें अहिंसा बाधक नहीं है। इसमें अगर हम हिंसा मानेंगे तो यह अहिंसा का अर्थ नहीं, अनर्थ होगा। अहिंसा का एक अर्थ यह भी है, कि अगर अधिक लोगों की रक्षा के लिये एक की हिंसा भी करनी पड़े, तो वह हिंसा अहिंसा में बाधक नहीं हो सकती।

श्री भैरोंसिंह : इसमें पागल कुत्ते का ही नहीं, बैल मारने का भी प्रावधान है।

श्री जुगलकिशोर : बैलों से भी इतनी दुर्घटनाएं होती हैं कि····

एक माननीय सदस्य : जुड़े बैल नहीं, बैल; सफेद बैल।

(हंसी)

श्री जुगलकिशोर : बैल भी अगर बाजार में उपद्रव करके लोगों को पीड़ा पहुंचाए और उसे भी अगर गिरफ्तार कर ले तो इसमें कौन सी हिंसा होती है? और वह भी प्रावधान कब रक्खा है जब राहगीरों के लिये, ट्राफिक के लिये, लोगों के लिये, उनको जान के लिये अगर बैल भी खतरनाक हो जाय तो उसे उस हालत में गिरफ्तार किया जा सकता है। मनुष्य के जीवन का भी आखिर कुछ मूल्य है। गौ माता का मैं बड़ा सेवक हूँ। बैलों को भी देवता मानता हूं....

श्री भैरोंसिंह : इसीलिये बैलों को मारने का समर्थन करते हैं ?

(हंसी)

श्री जुगलकिशोर : लेकिन इसका अर्थ यह कभी नहीं हो सकता कि अगर चैन दस-बीस आदमियों को मार दे और फिर भी उसको पकड़ा न जावे, नियन्त्रित न किया जावे; तो इस स्थिति में मैं समझता हूँ कि अगर इधर हिंसा की गन्ध आती है उनको तो उधर भी बहुत से आदमियों की हिंसा की गन्ध नहीं आती उनको। तो इसलिये मैं निवेदन करूँगा कि यह जो पुलिस एक्ट सरकार की ओर से रक्खा गया है वह बहुत ही सुन्दर है और समयोचित भी है। आज समय के लिये यह अपेक्षित है। आप पुलिस को आज भक्षक नहीं, रक्षक समझिये। आज यदि हम लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, झगड़े नहीं करते, किसी दूसरे को मारते नहीं, किसी को कुदृष्टि से नहीं देखते, और कोई ऐसा असामाजिक काम नहीं करते तो पुलिस से डरने की हमको जरूरत नहीं। पुलिस हमारी रक्षक है और सेवक है। जब हम आपस में प्रेम से रहते हैं तो पुलिस हमारी रक्षा का काम करती है। हम रात को आनन्द से खुर्राटें लेकर सोते रहते हैं और पुलिस हमारी चौकीदारी करती है, पुलिस हमारी पहरेदारी करती है। लेकिन जब दुर्भाग्य से हम भाई-भाई आपस में लड़ जाते हैं, एक दूसरे के सिर को फोड़ते हैं तो ऐसी हालत में पुलिस को अवश्य हमें गिरफ्तार करके सजा देनी चाहिये, पकड़ कर ले जाना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिये यह जो विधेयक सरकार की ओर से रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूँ और चाहता हूँ कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे, इसे जनमत के लिये प्रसारित करने की जरूरत नहीं।

श्री नरेन्द्रसिंह : सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं गृहमन्त्री महोदय से एक प्रश्न करूँगा कि भारत के दूसरे प्रान्तों में यह पुलिस विधेयक कहीं पारित हुआ है या नहीं?

श्री सभापति (श्री हरिदेव जोशी) : (श्री रामकिशोर व्यास से) आप तो रिप्लाई दे दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : माननीय चेयरमैन महोदय, मैंने सदन के सामने एक प्रस्ताव रक्खा था। यह पुलिस बिल कुछ अर्से पहले सदन में पेश किया गया था कि इसे विचार करने के लिये प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे, लेकिन इस बिल का कुछ माननीय सदस्यों ने विरोध किया और उन्होंने यहां अपनी रायें दीं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द न किया जाकर जनमत के लिये भेज दिया जावे।

यह उनकी बात मेरे कुछ कम समझ में आई। जो कारण इसके लिये उन्होंने बताये वे भी कम समझ में आये। जो दलीलें दी गईं और जिन बातों को लेकर बहस की गई वे भी इस मौके पर करने की थीं या नहीं, यह भी मेरे कम समझ में आया।

मैं आपके सूचनार्थ निवेदन करूँ, आपको भी शायद मालूम होगा कि आज से करीब सौ साल पहले सेन्ट्रल लेजिस्लेचर ने एक कानून बनाया था, उस कानून को राजस्थान में भी एडॉप्ट किया गया और उसके जरिये आज पुलिस का काम-काज चल रहा है। वही यहां आज भी लागू है, लेकिन महसूस यह किया जा रहा है आज कि सौ साल पहले जो समाज की परिस्थितियां थीं वे आज नहीं हैं, अतः यह कानून भी आज

(श्री रामकिशोर व्यास)

की परिस्थितियों के अनुसार बदला जाना अनिवार्य सा है। तो कानून समाज की परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, इसी सिद्धान्त के अनुसार यह कानून यहां पेश किया जा रहा है।

इसमें आज जो अधिकार दिये गये हैं, इसमें आज जो बातें हैं वे अधिकांश वही पुरानी हैं, इसमें केवल वे बातें बदली गई हैं जो आज की आवश्यकता के अनुसार अनिवार्य हों; जैसे निवेदन करूं कि ट्राफिक है। आज हमारे पास इसके बारे में बहुत कम नियम हैं, इसमें इस बारे में बहुत से नियम रक्खे हैं। आप देखते हैं कि रात दिन कई प्रकार के एक्सीडेन्ट होते हैं, पर उन पर पूरा कन्ट्रोल करने के लिये हमारे यहां कोई समुचित कानून नहीं है, वे नियम इसमें रक्खे गये हैं तथा और और भी कई बातें हैं जिनको आज की सामाजिक आवश्यकता के अनुसार पुलिस को देना आवश्यक समझा गया है। यह कोई बिल्कुल नया कानून हो, ऐसी बात नहीं है। इसमें कई अंश अधूरे हैं, ऐसा भी कहा गया, पर ऐसा है नहीं।

तो इस समय तो मैंने इसकी डिटेल में आपको जाने के लिये निवेदन नहीं किया है। आज तो इस पर डिटेल में विचार करने के लिये अगर ठीक स्थान हो सकता है तो वह प्रवर समिति है और उसी के सामने भेजने के लिये आपसे निवेदन किया जा रहा है। प्रवर समिति क्या राय देती है, उसमें कौन सी सिफारिश करती है, क्या घटाती है और क्या बढ़ाती है, यह जब आपके सामने आये तो जैसा आप मुनासिब समझें उस पर सोच-विचार करें और इसे पास करें। इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहता।

इसलिये मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव रक्खा गया है उसे आप स्वीकार करें। यह प्रवर समिति में जाने लायक है और वहां जाना चाहिये, यही मुझे इस समय कहना है।

जनता की राय जानने के लिये भेजना मैं इसलिये भी उचित नहीं समझता कि आप लोग जो सदन में आये हैं, क्या मैं उनको जनता का प्रतिनिधि नहीं मानूं ? आप चुन कर आये हैं, इतना रुपया खर्च हुआ है, आप लोगों ने बड़ी परेशानी उठायी है; आप जनता के चुने हुए अधिकारी हैं, आपको उनके मुतल्लिक राय देने का पूरा पूरा अधिकार है, उस जनता ने आपको अपना प्रतिनिधि चुन कर यह अधिकार दिया है। पुलिस बिल पर तो आप चाहें कि उनसे राय ले लीजिये और जब दूसरे बिल आते हैं तो आप खुद ही राय जाहिर करते हैं; और और बिल भी आते हैं और आप मुनासिब राय फरमाते हैं, इस पर भी आप अपनी मुनासिब राय जाहिर कीजिये। यह नहीं कि यही कहिये, जैसी आपकी मुनासिब राय हो, आप यहां जाहिर कीजिये। जो आपको मुनासिब नहीं मालूम पड़े आप कहें, प्रोविज़न्स ठीक नहीं हैं, उनका विरोध कीजिये। यदि आप समझते हैं कि ठीक है तो उनकी ताईद कीजिये, बल दीजिये। यह नहीं कि ड्युटी को निभाना नहीं चाहते और जनता की राय के लिए इसको भेजना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि ऐसे बिल जनता में राय के लिये भेजे नहीं जाते, समाज-सुधार का यदि कोई बिल होता है तो वह जनता की राय के लिए भेजा जाता है। जहां तक प्रशासन-सुधार का बिल हो वह जनता की

Page No.60

(श्री रामकिशोर व्यास)

राय के लिए नहीं भेजा जाता। तो मेरा यही निवेदन है कि ऐसे बिल जनता की राय के लिए, आपने देखा होगा, कहीं भी नहीं भेजे जाते हैं और यदि आप उसको भेजना चाहते हैं तो यह एक नया रूप बनायेंगे।

मैं आपसे निवेदन करूँगा कि यह बिल एक बार गजट में प्रकाशित हो चुका है। जनता को हर वक्त राय देने का अधिकार है। जब यह बिल गजट में प्रकाशित हो चुका तो यही समझा जाना चाहिए कि जनता की राय के लिए दी गया है। आप उनके प्रतिनिधि हैं, जनता अपने सुझाव आपके पास भेज सकती है, गवर्नमेंट के पास भेज सकती है। जो भी उनके सुझाव हैं, आप सदन में रख सकते हैं। इसलिए इस वक्त इसको जनता की राय के लिए भेजना गैर जरूरी है। इसमें गैर जरूरी वक्त लगेगा और इससे कोई उचित लाभ भी नहीं होगा। जबकि आप इस लायक हैं कि विचार प्रकट कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए।

बहुत सी बातें अधिकारों के बारे में कही गई हैं। मैं समझता हूँ कि उनका जवाब आज नहीं दूं तो अच्छा होगा। इस पर डिस्कशन का मौका आयगा। इस वक्त कि फलां अधिकार देना उचित है और फलां अधिकार देना अनुचित है, फलां का कुत्ता मारने का अधिकार है, बैल मारने का अधिकार दे दिया है; जब वह दर्जा आये तो ठीक है, उस पर डिस्कशन होगा। सिलेक्ट कमेटी की स्टेज पर डिटेल्स में जाना उचित नहीं है। इसलिए मैं नम्र निवेदन करता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में जाने दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय,

श्री सभापति (श्री हरिदेव जोशी) : फरमाइये।

श्री भैरोंसिंह : मैंने जो प्रस्ताव रखा है है उसके ऊपर फिर जवाब देने का है।

श्री रामकिशोर व्यास : He has no right of reply.

श्री भैरोंसिंह : इसमें राइट ऑफ रिप्लाई है।

श्री रामकिशोर व्यास : It is my resolution, not yours. You might have suggested anything.

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, आपने (श्री रामकिशोर व्यास ने) प्रस्ताव पेश किया है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और मेरा उसमें प्रस्ताव है कि जनमत जानने के लिए इसको प्रसारित किया जाय। जब उनको बहस का उत्तर देने का अधिकार है तो मुझे भी उत्तर देने का अधिकार है।

श्री सभापति : किस रूल के अन्तर्गत आप जवाब देना चाहते हैं?

श्री भैरोंसिंह : जरा आप भी बता दीजिये कि कौनसा रूल मुझे उत्तर देने से डिनाई करता है। जब तक मैं ढूंढूं तब तक आप बता दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : उनको अब बोलने का अधिकार नहीं है इस पर।

It is always a positive right which is given.

Page No.61

श्री भैरोंसिंह : राइट ऑफ रिप्लाई तो है।

श्री सभापति : It was a suggestion, आपका एक सजेशन था।

श्री भैरोंसिंह : सजेशन नहीं है, प्रस्ताव है बाकायदा लिखा हुआ।

श्री सभापति : किस रूल के अनुसार चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मुझे तो अधिकार है।

श्री सभापति : किस रूल के अन्तर्गत ?

श्री भैरोंसिंह : रूल ६८ में लिखा हुआ है, When a Bill......

श्री सभापति : रूल ६८, हां।

श्री भैरोंसिंह : रूल ६८ में है "when a Bill is introduced or on some subsequent occasion, the member-in-charge may make one of the following motions in regard to his Bill; namely:—

(a) that it be taken into consideration by the Assembly either at once or at some future day, to be then speciifeb;or."

श्री सभापति : वह तो मेम्बर इनचार्ज के लिए है।

श्री भैरोंसिंह : मेम्बर इनचार्ज ने प्रस्ताव पेश किया है तो मैंने भी प्रस्ताव पेश किया है।

"That it be resered to a Select Committee, or (c) that it be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by a date to be specified in the motion; provided that no such motion shall be made until after copies of the Bill have been made availadle...

यह तो इसके लिये लिखा है। अब आगे लिखा है :

"On the day on which any of the motions referred to in Rule 98 is made or on any subequent day to which the discussion thereof is posfponed, the principal of the Bill and ite provisions may be discussed generally but the details of the Bill must not be discussed further than is necessary to explain its principles.,......" At this stage no amendments to the Bill may be moved, but- (a) if the member-in-charges moves that his Bill be taken Into consideration, any member may move as an amendment that the Bill be refbeered to a Select Committee or be circulated for the purpose of elicting opinion thereon by a date to be specified in the motion: or."

इसका मतलब सभापति महोदय, यह है कि यदि उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आता है कि इस बिल को सदन में विचारार्थ लिया जाय या उसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय या इस रूल के मातहत ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय कि इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय, जहां सिलेक्ट

Page No.62

(श्री भैरोंसिंह)

कमेटी की मूवर को अधिकार है, राइट ऑफ रिप्लाई का अधिकार है उसी प्रकार से पब्लिक ओपिनियन को सर्कुलेट करने के प्रस्तावकर्ता को भी अधिकार है । उसका उल्लेख आगे है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I draw your attention to Rule 227.

श्री सभापति : रूल २२७ क्या है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Order of speeches and right of reply- "Sub-clause (3) : A member who has moved a motion may speak again by way of reply and if the motion is moved by a private member, the Minister concerned may with the premission of the Speaker, speak......"

(विराम)

श्री भैरोंसिंह : Rule 228. The reply of the mover of the original motion shall in all cases conclude the debate,

(घंटी)

श्री सभापति : आपको (श्री रामकिशोर व्यास को) कोई आब्जेक्शन है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी, कोई आब्जेक्शन नहीं है । अगर आप चाहें रिप्लाई देना तो दे दें; वैसे राइट तो है नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : राइट है साहब । आगे लिखा है :

"Subject to the provisison of rule 227 (2) the reply of the mover of the original motion shall in all cases conclude the debate."

मैं बोलना शुरू करूं सभापति महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो ।

श्री सभापति : शुरू कीजिये, बोलना तो बन्द रखा ही नहीं था ।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मुझे इस सारी बहस का उत्तर देने के पहले एक बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने का ख्याल आता है ।

आज से १०-१२ वर्ष पूर्व जिस समय राजस्थान में जागीरदारों का राज्य था, जिस समय राजाओं का राज्य था उस समय मुझे बड़े राजाओं के समक्ष तो जाने का कोई अवसर नहीं मिला लेकिन कई बड़े बड़े जागीरदारों के समक्ष कई कारणों से जाने का मौका मिला था । उनसे यदि किसी बात के सही होने पर भी कोई अर्ज या मिन्नत की जाती थी तो सभापति महोदय, उनके पास कई ऐसे चुगल बैठे हुए रहते थे जो उन जागीरदारों व राजाओं को यदि राजा या जागीरदार सही बात करना चाहते तो भी वे उसे करने के लिये मना करते थे । मुझे कुछ ऐसा लगता है कि वही हवा, चाहे १० वर्ष बाद में ही आई है, लेकिन हमारे नजदीक में आ रही है और उसी कारण सभापति महोदय, विरोधी दल की ओर से चाहे सही बात ही कही जाय, समय के अनुकूल बताई जाय, उचित कही जाय लेकिन उस तरफ के बैठने वाले दो-तीन माननीय सदस्यों का परमानेन्ट ड्यूटी का सा काम हो गया है, वे अक्सर खड़े होकर यही

(श्री भैरोंसिंह)

कहेंगे कि विरोधी दल के सदस्य केवल विरोध करते हैं, केवल इस नाते बात कह रहे हैं। मैं समझता हूँ उनका यह काम यदि वे स्वयं सोचें तो आज से १० वर्ष पहले वाले जागीरदारों के सलाहकारों के काम से ज्यादा अच्छा नहीं है । लेकिन आज प्रजातन्त्र है और उस समय एक-तन्त्र था। उस समय उनकी सलाह से जागीरदार चलते और चल सकते थे और नहीं भी चलते थे। लेकिन आज के प्रजातन्त्र में यदि आपकी इस प्रकार की सलाह व मनोवृत्ति सरकार के मार्ग निर्देशन में भूल करती है तो जिस प्रजातन्त्र को आप पनपाना चाहते हैं, मैं समझता हूं आप वास्तविक रूप से उसे नहीं पनपा पायेंगे और आप जनता की सेवा नहीं करते, बल्कि लोगों को उससे घोर असंतोष है। जहां इस प्रकार के वातावरण के निर्माण की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूँ, इस प्रकार की बातें माननीय सदस्यों को शोभा नहीं देती।

एक माननीय सदस्य ने इस कानून को काला कानून बताया है और इसको माप दण्ड बनाया है । मैं के शब्दों में कहता हूं चाहे माननीय सदस्य ने कहा है या जिस संस्था के वे सदस्य हैं। उनके नेताओं ने कहा था; सिक्योरिटी बिल आया था, उसको काला कानून बताया था। आचार्य कृपलानी की किताब मेरे पास पड़ी है, उन्होंने भी पुलिस कानून को काला कानून बताया था। मैं यदि उन्हीं के शब्दों में इसको काला कानून बताता हूं तो मित्र कहते हैं कि काला कानून बताने की मनोवृत्ति हो गई है। मनोवृत्ति आपकी हो गई है जो वाजिब बात के लिये भी कहते हैं कि हमारी ऐसी मनोवृत्ति हो गई है। मुझे भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य की बात सुन कर अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की ५० वर्षों तक पिटाई हुई है उनका विरोध करना चाहिये। मुझे एक उदाहरण याद आ गया। लोग कहते हैं कि बच्चे जब पढ़ते हैं तो पढ़ते समय उनकी ज्यादा पिटाई होती है और बदकिस्मती से वही बालक आगे चल कर अध्यापक हो जाता है तो वही दूसरे बच्चों की सबसे ज्यादा पिटाई करता है। यदि इसी प्रकार की मनोवृत्ति भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य की है कि हमारी ५० वर्षों तक पिटाई हुई थी इसलिये पिटाई का बदला लेने के लिये पिटाई का कानून होना चाहिये तो मैं उनके दिमाग की दाद देता हूँ।

(करतल-ध्वनि)

लेकिन लगता है कि आजादी की लड़ाई में लड़ने का ठेका उधर बैठे हुए सदस्यों ने ही लिया था! आपने आजादी की लड़ाई के समय काम किया है तो क्या उसमें विरोधी दल के सदस्यों का किंचित मात्र भी हाथ नहीं था ? मुझे अफसोस है कि आजादी की लड़ाई लड़ते समय लोगों के दिमाग में यह बात नहीं थी कि हम कम्युनिस्ट हैं, या समाजवादी हैं या हिन्दू महासभा के हैं। या जन संघ के हैं। आजादी की लड़ाई लड़ते समय लोगों के दिल में यह भावना नहीं थी। आज यदि यह याद दिलाने के लिये भरतपुर के सदस्य ५० वर्ष की पिटाई को इस प्रकार का मापदण्ड बताते हैं तो वह आजादी के महत्व को कम करने वाली और आजादी के पवित्र इतिहास पर कलंक लगाने वाली बात होगी। हम उस इतिहास का जिक्र करते हैं।

(श्री भैरोंसिंह)

मावली से आने वाले माननीय सदस्य भी इसी बात को दोहराते हैं। इतिहास में आपका भी वर्णन है, लेकिन आज की परिस्थिति में सेवा ज्यादा करने वाले हम ज्यादा हैं। मैं उनकी दिक्कत को महसूस करता हूं कि वे क्यों करते हैं ? यहां पर सरकार की तारीफ करने में उनको लाभ है। हाथ का हाथ लाभ बन सकता है। उनकी तारीफ के कारण, मैं समझता हूं, भविष्य में निश्चितरूप से लाभ मिल सकता है। लाभ उनको क्या मिलेगा इसका वर्णन नहीं करना चाहता। उनके जैसे विद्वान् विरोधियों की बातों को गौण समझ कर यदि इस प्रकार के भाव व्यक्त करते हैं तो यह उनके लिये शोभा की बात नहीं है बल्कि सदन के लिये भी शोभा की बात नहीं है, यदि उनके जैसे विद्वान् के मुंह से इस प्रकार की बात निकलती है तो।

सभापति महोदय, प्रश्न यह नहीं है। मन्त्री जी ने कहा जनमत की क्या जरूरत है, हमने कौनसा अधिकार दे ही दिया है ? मैंने जो बातें कहीं उनका उत्तर देने की उन्होंने कोशिश की। मैं भी समझता हूं कि अभी अधिकार नहीं दिया है। अभी इस पर विचार-विमर्ष होगा, सिलेक्ट कमेटी की भी राय होंगी। लेकिन यदि जनमत संग्रह का महत्व नहीं होता और यदि जनमत की आवश्यकता ही नहीं पड़ती तो रूल्स ऑफ प्रोसिजर में इसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि आप रूल्स ऑफ प्रोसिजर को पढ़ें तो उसमें प्रावधान है कि यदि कोई मेम्बर चाहे तो जनमत संग्रह के लिये प्रस्ताव रख सकता है। इसका मतलब यह है कि जो कानून प्रस्तुत करते हैं वह सिलेक्ट कमेटी के पास भी जा सकता है और जनमत के लिये भी जा सकता है ! लेकिन यह कहना कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, चुनाव जीतकर लाखों रुपये खर्च करके आये हैं, इसलिये हम कानून पास कर सकते हैं, इसे प्रवर समिति में भेजने की जरूरत नहीं है या जनमत संग्रह के लिये भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जनता के रिप्रजेन्टेटिव है, यह कहां तक उचित है ? यदि इसकी जरूरत नहीं होती तो रूल्स ऑफ प्रोसिजर में इसका प्रावधान नहीं करना था।

अब सवाल यह आता है कि जो समस्याएं मैंने बताई वे इसे प्रवर समिति में भेजने से ही पूरी होती हैं या नहीं ? जहां तक पुलिस के आन्तरिक मामलों का प्रश्न है वहाँ तक मैं मान कर चलता हूँ कि उसके बारे में सिलेक्ट कमेटी में भी विचार कर सकते हैं। सब इन्स्पेक्टर को अपोइन्ट करने की पॉवर एस. पी. को दी है, इन्स्पेक्टर को स्थानान्तरित करने की पॉवर एस. पी. को दी है या नीचे वालों के लिये पॉवर्स एस. पी. को दी है; इन सब बातों पर विचार करने के लिये यदि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय तो सारी बातों का निर्णय हो सकता है, लेकिन इस पुलिस एक्ट द्वारा जनता के अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है। मैं मावली से आने वाले माननीय सदस्यों और अन्य माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि राजस्थान की प्रथम विधान सभा में राजस्थान सरकार की ओर से २ कानून बनाने की चेष्टा की गई थी, उनमें से एक तो था स्टेट सिक्योरिटी बिल और दूसरा था एसेन्शियल सर्विसेज मेन्टीनेन्स बिल। जिस समय ये दोनों बिल पेश हुए उस समय

(श्री भैरोंसिंह)

विरोधी दल ने डट कर उनका मुकाबला किया। नतीजा यह हुआ सभापति महोदय, गृह मन्त्री जी शायद परिचित नहीं होंगे, ये दोनों बिल सरकार ने वापिस लिये और इसलिये वापिस लिये कि सरकार ने स्वयं ने महसूस किया कि ये काले कानून हैं और आज की परिस्थिति इनके अनुकूल नहीं है, इसलिये इन्हें सदन में पेश नहीं करना चाहिये। इसलिये दोनों कानून वापिस लिये। उन दोनों कानूनों की जो भावना और मंशा थी वह इस पुलिस बिल में उन्होंने रख दी है, नाम बदल दिया है। स्टेट सिक्योरिटी बिल और एसेन्शियल सर्विसेज बिल का नाम बदल कर, छोटा सा नाम देकर राजस्थान पुलिस बिल में सबका समावेश करके प्रस्तुत कर दिया। उन दोनों बिल्स को माननीय सदस्य पढ़ें, उन्हें पढ़ने के बाद मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि वे इस मत के होंगे कि जिन परिस्थितियों को देख कर पहले उन दो बिल्स को वापिस लिया था आज दो वर्ष में इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं बन गई हैं जिससे उन भावनाओं का प्रावधान इस पुलिस बिल में किया जाय।

माननीय गृह मन्त्री जी की ओर से, मुझे यह उम्मीद थी कि कम से कम उनके द्वारा स्पष्टीकरण होगा। वे समझायेंगे, कन्विन्स कराने की चेष्टा करेंगे कि इस प्रावधान की क्यों आवश्यकता हुई? उनकी ओर से ऐसा कोई उत्तर नहीं मिला, सन्तोषप्रद उत्तर तो क्या, कोई उत्तर ही नहीं मिला। इतना कह कर मैं इस विषय को बन्द करना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, एक प्रश्न और आया, जनता को मिलिट्रलाइज्ड करने का। इस सदन के अन्दर जिस समय मैंने यह बात प्रस्तुत की थी, मैंने समझा था कि मेरे इस दृष्टिकोण पर सरकार के खिलाफ बगावत करने की दृष्टि से, सरकार को समाप्त करने की दृष्टि से, सरकार को उखाड़ने की दृष्टि से विचार करेंगे और जो बात वास्तव में जनता के हित की दृष्टि से सुझाई थी, उस कार्यवाही को रोकना चाहेंगे। सभापति महोदय, जिस प्रकार की मेरे मन में शंका थी, वह शंका भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूरी की। उन्होंने कहा कि आजादी के दिनों में जैसे मुस्लिम नेशनल कॉन्फ्रेन्स की एक्टीविटीज़ देखी थीं और आर० एस० एस० की एक्टीविटीज़ को देखा है, उनसे हमें ज्ञान हुआ है कि इस प्रकार का तबका, इस प्रकार की संस्थायें यदि देश में पनपती हैं, तो देश को खतरा है; सभापति महोदय, वे ऐसा कह सकते हैं। पुलिस की तारीफ के लिए कह सकते हैं, यदि वे पुलिस की तारीफ नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल हो सकती है और पुलिस के द्वारा उन पर आघात-प्रत्याघात हो सकते हैं। जब वे एक तरफ तारीफ की बात कहते हैं तो वे भूल जाते हैं कि आर० एस० एस० की एक्टीविटीज़ क्या हैं, आर० एस० एस० की आवश्यकता किस तरह से है? मुझे अफसोस है कि आर० एस० एस० का उन्हें थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, वे नहीं कह सकते कि यह ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका बैक ग्राउन्ड क्या है, यह वे नहीं कह सकते। इस संस्था में केरेक्टर बिल्डिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। यह संगठन किस प्रकार का है किस प्रकार का अनुशासन इसमें है, इसका उन्हें ज्ञान नहीं है क्योंकि पुलिस की तारीफ करनी थी, इसलिए कह दिया कि इस प्रकार की संस्था का खात्मा होना चाहिए। मैं यह मान कर चलता हूँ सभापति महोदय, चाहे जो इल्जाम

(श्री भैरोंसिंह)

लगायें, अपने मुंह से बात वे किसी रूप में कहें, लेकिन उस संस्था द्वारा देश के अन्दर ऐसी परिस्थिति-निर्माण करने का इल्जाम नहीं है जिसके कारण देश की आजादी खतरे में पड़ती है। उस समय तक जब तक संविधान इजाजत देता है, वे जिस तरह चाहें कार्यवाही करें। यदि कोई अखाड़े में जाता है, वहां दंड बैठक लगाता है, अनुशासन की कार्यवाही सीखता है, शरीर को सुदृढ़ बनाने की कार्यवाही करता है तो उसमें सरकार को क्या एतराज होगा? मुझे शंका थी और मैं देख रहा था कि क्लॉज़ ६१ के पीछे कोई रहस्य है और वह रहस्य है आर० एस० एस० की एक्टीविटीज़ को बन्द करने का। यह रहस्य माननीय गृह मन्त्रीजी के मुंह से नहीं निकला, भरतपुर से आने वाले सदस्य के मुंह से निकल गया। मेरी शंका का समाधान होना चाहिए था, लेकिन एक और शंका प्रस्तुत कर दी गई है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं कि आर० एस० एस० की एक्टीविटीज़ क्या हैं? सन् १९४७ के अन्दर जिस समय देहली के अन्दर भीषण अत्याचार हो रहा था, सरकार विरोधी भावनायें पनप रही थीं, देहली को खत्म करने की योजनायें बन रही थीं, उस समय स्वयं सरदार पटेल ने आर. एस. एस. की मदद लेकर देहली को बचाया था और उसके फलस्वरूप स्वयं सरदार पटेल ने कहा था कि यदि भारतवर्ष में कोई संस्था है, जिसमें अनुशासन है, जिसमें देश-प्रेम की अटूट भावना है, तो वह आर० ए० एस० (संस्था) है। आज उसी संस्था के एक सदस्य कहते हैं कि इसे बन्द करना चाहिये, इसकी एक्टीविटीज़ को बन्द करने का अधिकार पुलिस को दिया जाय। मैं यह कहूं कि पुलिस को अधिकार यदि दिया जाय तो गबन के मामले रोकने के लिये, पुलिस को अधिकार दिया जाय तो जो सरकारी रकम का दुरुपयोग होता है उसको रोकने के लिए, पुलिस को अधिकार दिया जाय तो जो जनता के पैसों का दुरुपयोग करते हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए....

(शेम-शेम)

लेकिन वे अधिकार नहीं दिये जाते। आज भरतपुर की जनता चिल्लाती है कि भरतपुर नगरपालिका के अध्यक्ष जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन स्वायत्त शासन विभाग चुप रहता है, पुलिस कुछ कार्यवाही नहीं करती है। उस पुलिस की तारीफ करते हैं, वे कहते है आर० एस० एस की एक्टीविटीज़ को बन्द कर दिया जाय। मैं समझता हूं ऐसा कहने से पहले उन्हें अपने भावों को देखना पड़ेगा, इस मनोवृत्ति को बन्द करना पड़ेगा। मैं आपको कह दूं कि आप आर. एस. एस. की एक्टीविटीज़ को बन्द नहीं कर सकते, आर० एस० एस० की एक्टीविटीज़ में हाथ नहीं डाल सकते, डालने की कोशिश करेंगे तो वही होगा, जैसे आर० एस० एस० को पहले बान किया था और बाद में बान उठाना पड़ा। दो-चार साल से आर० एस० एस० बढ़ा है और बढ़ेगा। जो अनुशासन है और उससे जो वातावरण पनपा है, जो यह ताकत है उसको आप रोक नहीं सकते। पुलिस-कानून बना कर आप पुलिस को शक्तिशाली बनाने की चेष्टा करते हैं। सभापति महोदय, मुझे अफसोस है कि हमारा जो समझने का माप-दण्ड है वह अधूरा है। हमारा माप दंड क्या है, यह अनिश्चित है। किस व्यक्ति को देश-प्रेमी मानें, यह अनिश्चित है। कौन देश-प्रेम की भावना से भरा हुआ है, यह अनिश्चित है। और फिर आप इसे कांच

Page No.67

(श्री भैरोंसिंह)

में देखने की कोशिश करते हैं; तो आपको मालूम होगा कि देश-प्रेम उधर नहीं है। देश-प्रेमी बलिदान करने को तैयार हैं। आप स्वय का मुंह कांच में देखें, तो काला कानून नहीं, काला मुंह देखेंगे क्योंकि आप दूसरों पर इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं।

(करतल-ध्वनि)

परिस्थित यह है और इस परिस्थिति में मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का कानून राजस्थान की जनता से सम्बन्धित है। एक प्रश्न आया था, तो गृह मन्त्रीजी ने बताया था कि इसमें संकेत किया गया है, इसमें प्राव-धान है। आपके द्वारा, सभापति महोदय, कुत्ते मारने का प्रश्न मैंने उठाया था; अब प्रश्न यह है कि बैल को मारने का भी प्रश्न आता है। भरतपुर के आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोई बैल पागल हो जाये तो मारा जा सकता है। मैं मानता हूँ, यदि यदि कोई जोड़ी के अन्दर बैल पागल हो जाय तो उसे मारा जा सकता है। लेकिन प्रश्न यह आता है कि हमारे देश के अन्दर विशेष प्रकार की संस्कृति है वह संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से किसी तरह भी प्रभावित नहीं हो सकती और यदि प्रभावित होती है तो संस्कृति के मूल में आप आघात करते हैं। हमारी संस्कृति के अन्दर गाय का महत्व है, गाय का विशेष महत्व है; गाय किसी प्रकार की हो लूली हो या लंगड़ी हो, किसी प्रकार की हो। इस कानून के अन्दर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बैल को मारने की व्यवस्था की है, पागल होने की सूरत में नहीं पागल होने का जिक्र नहीं है, पढ़ा नहीं। उन्होंने शायद, उसमें स्पष्ट रूप से है कि यदि कोई डिसएबल्ड है, चल-फिर नहीं सकता है और उसका कोई मालिक नहीं है तो सरकार आज्ञा दे सकती है कि उसको मार दिया जाय। यह आज्ञा किन किन जानवरों के लिये दी जा सकती है, इसमें गाय और सांड को एक्जेम्प्ट किया है, लेकिन बैल को शामिल किया है। हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि वे गाय भक्त हैं, वे गाय-भक्त नहीं, ढोंगी हैं। यदि वे गाय-भक्त होते तो, चाहे बैल पागल हो....

(करतल-ध्वनि)

उसे मार दिया जाय, ये शब्द नहीं कहते।....

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैंने ये शब्द नहीं कहे थे।

श्री भैरोंसिंह : नहीं कहे थे तो अच्छा है।

सभापति महोदय, ऐसी व्यवस्था की है; अशान्ति का नाम लेकर एडीशनल पुलिस फोर्स अपोइन्ट कर दी जाय। माननीय गृह मन्त्रीजी को जवाब नहीं मिलता इसलिए वे नहीं चाहते कि इस प्रश्न को सदन में मैं वापिस लाऊं। मैं समझता हूँ कि माननीय गृह मन्त्री को इस सम्बन्ध में ज्ञान नहीं था, इसलिए नहीं कह सके। लेकिन इसके क्लॉज़ेज़ जितने भी हैं, उनका सीधा सम्बन्ध जनता से है। यदि एडीशनल पुलिस अपोइन्ट की गई तो वह जनता के लिये की जायगी और जनता से उसकी कोस्ट वसूल की जायगी। यदि टैक्स वसूल किया जायगा तो वह जनता से किया जायगा और टैक्स वसूल करने में जो खर्चा होगा वह भी जनता से वसूल किया जायगा। इसके अलावा किसी व्यक्ति विशेष से सरकार नाराज हो गई और देख लिया कि विधान

(श्री भैरोंसिंह)

सभा में कोई मेम्बर सरकार का विरोध करता है तो उस पर पाबन्दी लगा दी जाय कि वह जयपुर क्षेत्र में नहीं घुस सकता; ऐसा प्रावधान भी किया गया है। हमारी सरकार इन चारों चीजों पर विचार कर सकती है, यह कोई कहे, सभापति महोदय, तो यह कहने से काम नहीं चलेगा कि इसमें जो प्रावधान है, उन पर सिलेक्ट कमेटी में विचार किया जा सकता है। लेकिन इस पर जनता से राय लेनी है कि क्या विधान सभा को यह अधिकार दिया जाय कि जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको यह अधिकार दिया जाय कि वे कमिटमेंट कर लें ऐसे कानून बनाने के लिए, जिस कानून के द्वारा लोगों को जिला बदल, प्रान्त बदल और घर बदल किया जा सकता है, लोगों के लिए एडीशनल पुलिस फोर्स अपोइन्ट की जा सकती है, लोगों के ऊपर कलेक्टिव फाइन इम्पोज़ किया जा सकता है लेंड रेवेन्यू का रुपया वसूल किया जा सकता है, और इस पर जो पैसा खर्च हो वह जनता से वसूल किया जा सकता है। इस कानून का जनता से सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध के कारण ही जनता से राय लेनी चाहिये। लेकिन यह कह कर कि सिलेक्ट कमेटी में चला जायगा और वहां पर हम सब विचार कर लेंगे। मैं समझता हूँ सभापति महोदय, यह बात ठीक नहीं है; जो किसी भी परिस्थिति के अन्दर वाजिब नहीं कह सकते।

सभापति महोदय, एक प्रश्न आया था कि आज क्या इस बात की आवश्यकता है कि देश में सैनिक शिक्षा दी जाय। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि एन० सी० सी० और एन० सी० सी० के रूप में सरकार की ओर से कुछ व्यवस्था की जा रही है लेकिन उन्होंने कहा कि गैर-सरकारी संस्थायें यदि इस प्रकार के काम करती है तो उनको रोक देना चाहिए, और जिस कारण कहते हैं, वह भी सुना दूं। उन्होंने एक-दो संस्थाओं के नाम लिये, उन संस्थाओं की मनोवृत्ति है उसका दिग्दर्शन कराऊं लेकिन प्रश्न यह आता है कि डेमोक्रेसी की और संविधान की दुहाई दी जाती है, जिसके अन्दर हर व्यक्ति को कोई काम करने की स्वतन्त्रता है, विचारधारा को पनपाने की स्वतन्त्रता है, जिसके अन्दर हर व्यक्ति को विचारधारा के अनुसार, जो किसी भी दृष्टि से देश के लिए अहितकारक न हो, उन विचारधाराओं को पनपाने का अधिकार है, उस देश के अन्दर केवल यह कह कर कि सैनिक शिक्षा दी जा रही है, वह गैर-सरकारी संस्थाओं के द्वारा दी जा रही है, यह आपत्तिजनक है।

मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के सेवादल हैं, वहां परेड कराई जाती है, पर उनका नाम नहीं लिया क्योंकि वे अपने आपको देशभक्त समझते हैं, दूसरे दल हैं उनका नाम नहीं लिया, उनकी मनोवृत्ति है उसका परिचय दे दिया। जहां सरकार की इच्छा है सैनिक शिक्षा देने की वहां इसी पवित्र कार्य को दूसरी सार्वजनिक संस्था अपने हाथ में ले ले तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है, यदि देश के लिये अहितकर नहीं है तो। पाकिस्तान के बोर्डर पर हमारे सदन में चर्चा हुई थी कि स्मगलिंग होता है और इसके लिये भारत सरकार चिंतित है। राजस्थान सरकार भी कहती है कि इसके लिए हम एक्शन लेना चाहते हैं। फिर हमारे देश के नवयुवकों को सैनिक शिक्षा देकर अगर सार्वजनिक संस्थाएं तैयार करें, देश पर दुश्मन का हमला हो और अगर गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा

(श्री भैरोंसिंह)

सीखे हुए सैनिक, उनमें यदि अनुशासन, देश प्रेम होगा और उनके पास शस्त्र होंगे तो वे हमारे देश में घुसने वाले दुश्मन को मुँहतोड़ उत्तर देंगे। पर आप समझते हैं कि देश प्रेम की, देश सेवा की ठेकेदारी आपकी ही है तो मैं बताता हूँ कि यह चुनाव जीतने से, भाषण देने से ही आप देश प्रेम और देश सेवा के ठेकेदार नहीं हो सकते। चुनाव जीत गये तो इसमें क्या बहादुरी की ? सारी सरकारी मशीनरी आपके पास थी, उसके बल पर आपने चुनाव जीते। चुनाव जीतने के लिये मैं तो शाबाशी तब देता जब कि आप लोग इस्तीफा देकर चुनाव लड़ते और चुनाव जीतते। सरकार आपके हाथ में थी, इसलिये आप चुनाव जीत कर आये हैं। यह एक जबरदस्त फैक्टर है जिसके कारण आप चुनाव जीत कर आये हैं। पर जब यह प्रश्न इस सदन में उठाया जाता है तो आप कहते हैं कि इस्तीफा देने की परम्परा नहीं है। पर मैं कहता हूं जहां इस प्रकार की परम्परा नहीं है वहां सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं होगा। पर यहां तो सरकारी मशीनरी का खूब अच्छी तरह से उपयोग होता है और उपयोग का प्रश्न यदि सदन में रखते हैं तो उसका दुरुपयोग होता है····

(हंसी)

भरतपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने ऐसे शब्दों में रखा मानों देशप्रेम का ठेका उन्होंने ही ले रखा हो। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि ठेकेदारी को बन्द करें, कम से कम देश प्रेम के मामलों में तो ठेकेदारी को बन्द करें। बदकिस्मती से देश-प्रेम एक सदस्य में ही रह गया और कोई इस देश प्रेम को उठा कर ले गया तो कहीं हम सब देश प्रेम से सदा के लिये वंचित न हो जायं। इसलिये देशप्रेम की ठेकेदारी को छोड़ कर इसका विकेन्द्रीकरण करें, यह विकेन्द्रीकरण का जमाना है। इसलिये सभापति महोदय, मैं दो बातें और कह कर अपना स्थान ग्रहण करूँगा।

एक प्रश्न यह आया कि क्या हम इस प्रकार का कानून बनायें ? मैंने कहा था कि इसमें कई एक्ट्स को रिपीट किया गया है, गैम्बलिंग एक्ट और दूसरे कई एक्ट्स का रिपिटीशन किया गया है। इसके साथ साथ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इन्डियन पीनल कोड की कई सेक्शन्स का इसमें रिपिटीशन किया गया है, इसलिये इस कानून की आवश्यकता नहीं। इसके अभाव में अगर आज भी पुलिस किन्हीं क्रिमिनल्स का चालान करती है तो इसके लिये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इन्डियन पीनल कोड के प्रोविजन्स हैं, उनके तहत चालान करती ही है।

मैं समझता हूँ, पिछले ५ वर्षों से मैं विधान सभा का सदस्य रहा हूँ और इन दो महीनों से इस विधान सभा का भी सदस्य हूं और थोड़ी बहुत प्रशासन के मामलों में मुझे जानकारी है। इन ७ वर्षों में कौन से स्पेशल सर्कम्स्टान्सेज़ बने हैं जिनके कारण स्पेशल कानून के लाने की आवश्यकता पड़ी ? यदि किसी प्रकार से स्पेशल सर्कम्स्टान्सेज़ पैदा होते हैं तो उस सूरत में स्पेशेल लॉ बनाया जाता है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे यहां कोई स्पेशल सर्कम्स्टान्सेज पैदा हो गये हों और उनके कारण हमारे यहां स्पेशल लॉ बनाने की आवश्यकता पड़ गई हो।

यह मन्त्रीजी शायद मेरे प्रस्ताव को

(श्री भैरोंसिंह)

स्वीकार कर लेते पर कुछ गीत गाने वालों ने उनको बरगलाया। मैं उन गीत गाने वालों से निवेदन करूँगा कि विरोधी दल विरोधी दल है और विरोधी-दल की बातों में विरोधाभास है; इसे वे भूल जायं। जितना इस देश के प्रति प्रेम उनके दिल में है, हमारे दिल में भी उतना ही प्रेम है। गीत गाने को उनमें मिलते हैं कि नहीं; इस साथ को छोड़ना पड़ता है, यह बात जुरा है।

ऐसी सूरत में मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो कानून बनने जा रहा है, सिलेक्ट कमेटी में जा रहा है, उसका सीधा जनता से सम्बन्ध है, केवल पुलिस को काम देने का, डी. आई. जी., आई. जी. को अधिकार देने का नहीं, जनता के अधिकारों पर हमला करने की बातें इसमें हैं और अगर यहां जनता के अधिकारों पर हमला करने वाला कोई कानून बने तो इस सदन के हर सदस्य का कर्त्तव्य हो जाता है इस प्रकार जनता के अधिकारों पर जो कुठाराघात होता है उसका डट कर विरोध करें, क्योंकि जनता ने हमें यहां चुन कर भेजा है, जनता के अधिकारों की रक्षा करें, केवल यह समझ कर कि विरोधी दल ने विरोधियों की सी बातें की हैं, इस बात को दरगुजर न कर जायं। मैं सदन के सब माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा और खास तौर से निवेदन करूंगा कि जनता के अधिकारों का प्रश्न है, अतः पार्टी की तरफ से व्हिप इश्यू होता है उसकी पर्वाह नहीं करनी चाहिये। इन सारे बन्धनों को तोड़ कर नागरिकों के अधिकारों के रक्षा के लिये आगे आयें और व्हिप की पर्वाह न करें। दो दिन के लिये व्हिप इश्यू होगा, दो दिन के बाद आदमियों की कमी होगी तो आपकी गरजें की जायंगी। इसलिए मेरा यह प्रस्ताव आया है कि इसके पक्ष में मत दें और जनता की ओर से जो कर्त्तव्य करने के लिए चुना गया है, उस कर्त्तव्य को पूरा करके वास्तविक रूप में जनता ने ठीक चुनाव किया है, इसे सिद्ध करेंगे।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि श्री भैरोंसिंह ने जो यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि राजस्थान पुलिस बिल, १९५७ को जनमत के लिये प्रसारित किया जावे, इसे स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह: 'हाँ' पक्ष जीता।

श्री सभापति (श्री हरिदेव जोशी): डिवीजन चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह: हां, साहब।

श्री सभापति: एक बार और पूछ लूं, क्या चाहते हैं आप?

श्री भैरोंसिंह: डिवीजन।

(विभाजन-घंटी के पश्चात्)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान पुलिस बिल, १९५७ को जनमत के लिए प्रसारित करने के लिए जो प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह जी ने रखा है, स्वीकार किया जाये।

(मतदान के पश्चात)

ना पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : हां, पक्ष जीता।

श्री सभापति : क्या चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : जो होता है।

श्री सभापति : यहीं काउन्ट कर लें ?

श्री सतीशचन्द्र : वहीं चलेंगे।

श्री सभापति : ठीक है। जो 'हां' पक्ष के हों वे 'हां' की लोबी में चले जावें और 'ना' पक्ष वाले 'ना' की लोबी में चले जावें।

श्री सभापति : संशोधन के पक्ष में २६ मत और विपक्ष में ४६; संशोधन गिर गया।

(करतल ध्वनि)

विभाजन सूचियें इस प्रकार हैं :

'हां' पक्ष—(२६)

श्री अनूपसिंह
श्री भैरोंसिंह (खाचरियावास)
श्री चन्द्रसिंह
श्री दयाकृष्ण
श्री हीरा
श्री हुकमसिंह
श्री जगदीश प्रसाद
श्री कालू
श्री केसरीसिंह
श्री लादू
श्री लक्ष्मीचन्द
श्री मदनसिंह
श्री मंगलसिंह
श्री मोघजी
श्री मुरलीधर
श्री नरेन्द्रसिंह
श्री पृथ्वीराज
श्री रघुवीरसिंह
श्री रामकरणसिंह
श्री रामनारायण
श्री रूपाराम
श्री सरदारसिंह
श्री सतीशचन्द्र
श्री सूरजमल
श्री तनसिंह
श्री बीरका

'ना' पक्ष—(४६)

श्री अब्दुल गफ्फार खां
श्री आबिद्अली
श्री अमरा
श्री आनन्दसिंह
श्री बद्रीप्रसाद
श्री बहादुरसिंह
श्री भँवरलाल कालाबादल
श्री भवानीशंकर
श्री भीमसेन
श्री बृजमोहनलाल शर्मा
श्रीमती चन्द्रकला
श्री चुनीलाल
श्री दलीपसिंह
श्री देवा
श्री धन्नालाल हरित
श्री धरमपाल
श्री गणपति लाल वर्मा
श्रीमती गौरीपूनिया
श्री गोपाललाल

(श्री सभापति)
श्री गोपीसहाय
श्री गुलाबसिंह
श्री ज्ञानचन्द
श्री हरिभाऊ उपाध्याय
श्री हरिकिशन
श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री
श्री हरिश्चन्द्र
श्री हजारी
श्री जयचन्द्र
श्री जयसिंह रानावत
श्री जनार्दनराय
श्री जुगलकिशोर
श्रीमती कमलाबाई श्रोत्रिय
श्री किशन लाल
श्री लल्लूराम
श्री लक्ष्मण
श्री मनोहर
श्री नारायणलाल
श्री नरोत्तमलाल जोशी
श्री नाथूराम
श्री नाथूराम मिर्धा
श्री परसराम
श्री पी० के० चौधरी
श्री पूनमचन्द
श्रीमती प्रभा
श्री रामचन्द्र
श्री रामदान
श्री रामेश्वरदयाल
श्री रामकिशोर व्यास
श्री रावत
श्री सज्जनसिंह
श्री सम्पतराम
श्री शंकरलाल
श्री शिवनाथसिंह
श्री श्रीनिवास
श्री श्रीभानसिंह
श्री सूबेदारसिंह
श्रीमती सुमित्रादेवी
श्री उमेद
श्री विद्यासागर

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कुछ लोग न्युटरल रहे।

श्री सभापति : स्थिति आपने देख ली है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान पुलिस बिल, १९५७ को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय, जिसमें निम्नलिखित सदस्य रहें :

सम्बन्धित मन्त्री
एडवोकेट जनरल
श्री रामप्रसाद लड्ढा
श्री आबिदअली
श्री गुलाबसिंह
श्री शंकरलाल
श्री रावतराम (चूरू)
श्री लल्लूराम
श्रीमती प्रभा मिश्रा
श्री गोपाललाल पुरोहित
श्री जयेन्द्रसिंह
श्री नाथूराम
श्री बालमुकुन्द
श्री नत्थीसिंह

Page No.73

(श्री सभापति)

श्री मदनसिंह

श्री शिवनाथसिंह

श्री छोटूसिंह

श्री नाथूलाल

श्री लक्ष्मीचन्द

श्री लादूराम

श्री सोहनलाल

यह कमेटी अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिवस को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(स्वीकृत)

प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विराम)

नेक्स्ट, एन्टरटेनमेन्ट्स टैक्स बिल।

राजस्थान एन्टरटेनमेन्ट्स टैक्स बिल, १९५७

(अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

खण्ड १५ से २१

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान एन्टरटेनमेन्टस टैक्स बिल, १९५७ के क्लॉज़ेज़ १५, १६, १७, १८, १९, २० और २१ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ १५, १६, १७, १८, १९, २० और २१ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

शिडयूल पहला व दूसरा।

(विराम)

प्रश्न यह है कि शिड्यूल पहला और शिड्यूल दूसरा विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

शिड्यूल पहला और शिड्यूल दूसरा विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खण्ड १ इत्यादि

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, टाइटल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड १, टाइटल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह विधेयक पारित किया जाय।

श्री श्रीभानसिंह : मिस्टर चेयरमैन, सर, क्या यह थर्ड रीडिंग है?

श्री सभापति : Yes.

श्री श्रीभानसिंह (वैर) : आज यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि वित्त मंत्री महोदय ने शायद हमारे लोकल सेल्फ मिनिस्टर के बिना पूछे ही एन्टर्टेनमेंट्स टैक्स बिल को म्युनिसिपल बोर्ड से लेकर अपने नीचे कर लिया। जहां तक एन्टर्टेनमेन्ट्स टैक्स का

(श्री श्रीमानसिंह)

सिद्धान्त है कि वह किस रूप में लगाना चाहिये या नहीं, क्योंकि यह पहले से ही लगा हुआ टैक्स है इसलिये हम उसके सिद्धांत को मान सकते हैं, मगर यह कहना चाहिये कि गांधीवाद को मानने वाले माननीय वित्त मंत्री इस तरह का एक × × × × सकते हैं, इसका मुझे ताज्जुब है। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट तो मेरी समझ में नहीं आती कि यह टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन किस की है; यह राजस्थान गवर्नमेन्ट की है या कि सेन्ट्रल की है? क्योंकि जहां तक सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का जो टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन है उसकी रिकमन्डेशन्स से तो मैं वाकिफ हूं, मगर राजस्थान गवर्नमेन्ट का कोई टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन बैठा हो इसकी रिकमन्डेशन्स से तो मैं वाकिफ नहीं हूं। मैं उन्हीं रिकमन्डेशन्स की ओर जो कि सेन्ट्रल टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने की है धीरे धीरे ध्यान दिलाऊंगा। मगर फिर सबसे पहले सवाल यह आता है कि वित्त मन्त्री महोदय ने किस आधार पर यह कहा कि उस कमीशन ने यह रिकमन्डेशन्स दी हैं कि यह टैक्स स्टेट गवर्नमेंट ले ले? उन्होंने आधार यह बताया कि एक युनिफॉर्म रेट्स होनी चाहिये तो जहां युनिफॉर्म रेट्स का सवाल है वह भी हम सोचेंगे। जहां तक बड़े शहर हैं, कॉस्पोपोलीटन शहर हैं वहां तो युनिफार्म रेट्स हो सकती हैं, मगर राजस्थान के अन्दर जहां कि सिर्फ आबादी करीब पचास हजार है, जहां कि कारपोरेशन नाम जो उदयपुर का है वहीं भी इतनी आबादी नहीं है और उससे नीचे आज तो जहां भरतपुर और अलवर हैं और इनके अलावा और भी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां के जो शहर हैं उनकी आबादी बारह हजार या अट्ठारह हजार के आसपास है। इस आबादी में आखिर एक सिनेमा है और वह भी गिरी हुई हालत में, तो उन पर भी इस प्रकार का टैक्स होगा। जयपुर के अन्दर दो-चार सिनेमा हो सकते हैं। रेट्स की युनिफोर्मिटी के बारे में जो टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने सजेशन दिया है वह किस आधार पर और किस हद तक हमारे यहां के सिनेमा हाउसेज पर लागू होता है, यह देखने की बात है! मान लीजिये, एग्जेम्प्शन की लिमिट चार आने पर हम दो आने लगाते हैं, टैक्स के तो ऐसी हालत में हमें सोचना यह होगा कि चार आने पर दो आने टैक्स के लगाना क्या भरतपुर के लोग या अलवर के लोग बर्दाश्त कर सकते हैं? वहां आदमी इतना मालदार नहीं जितना जयपुर, जोधपुर का हो सकता है। वहां के आदमियों की आर्थिक स्थिति उतनी दृढ़ नहीं जितनी जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के लोगों की हो सकती है। अगर आप युनिफोर्मिटी ऑफ रेट्स की आड़ लेकर जयपुर, जोधपुर, करोली और भरतपुर सभी जगह एक सी रेट्स कर देते हैं तो यह हमारा गलत आधार है, गलत सिद्धांत है। एक शहर की आबादी १० हजार और एक शहर की आबादी पचास हजार है, उसकी रेट्स को समान रखना मैं समझता हूँ, टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की सिफारिश के विरुद्ध है। यह चीज वहां पर लागू हो सकती है जहां पर इन्डस्ट्रीज ज्यादा हों। लेकिन हमारी स्टेट उतनी डेवलप्ड नहीं है, इसलिये जो आधार यह माना गया है कि युनिफोर्मिटी हो,

---

× × × श्री अध्यक्ष की आज्ञा से यह अभिव्यक्ति कार्य-विवरण से हटाई गई।

(श्री श्रीभानसिंह)

तो । मैं समझता हूं, इससे लोकल बोडीज़ को हानि होगी । यह आधार हमारी स्टेट के लिये एप्लाई नहीं करता ।

दूसरा जो टैक्स का सिद्धांत है, आखिर उन सिद्धांतों का माननीय वित्त मन्त्री महोदय को पालन करना चाहिये । जब हम टैक्स यूनियन स्टेट और लोकल बोडीज़ और पंचायतों के बीच बांटते हैं तो किसी न किसी आधार पर बांटते हैं, किसी सिद्धांत पर बांटते हैं । इसी प्रकार एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स जो स्टेट लेना चाहती है उसका कोई न कोई आधार अवश्य होना चाहिए । आखिर म्युनिसिपैलिटी जो ऑक्ट्रोय लेवी करती है उसकी टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने सिफारिश की है, उसको स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथ में ले सकती है, इसको एबोलिश करना चाहिये, लेकिन यह तो नहीं किया । इसको अगर स्टेट लेती है तो इसकी आमदनी भी ज्यादा है, टैक्स के कलेक्शन की रेट भी ज्यादा है । मगर हमारी सरकार ने जो एन्टर्टेनमेंट टैक्स अपने हाथ में लिया है उसका कलेक्शन भी बहुत कम है, जिसको हरएक म्युनिसिपैलिटी कलेक्ट कर सकती है, जिसका लोकेलाइज़्ड इन्सीडेन्स एक पर्टिकुलर सिनेमा हॉल में है । उस टैक्स को स्टेट गवर्नमेंट ने लिया । इस प्रकार टैक्स के एकीकरण का जो आधार है वह टेक्सेशन इनक्वायरी कमेटी के सिद्धांतों के प्रतिकूल है । जिन सिद्धांतों के आधार पर यूनियन सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बोडीज़ और पंचायतों को टैक्स लगाने का आधार है उनमें से किसी आधार को भी ध्यान में नहीं रखा गया है । हर एक जगह टैक्स लगाने का आधार इन्डीविज्युअल की केपेसिटी पर निर्भर करता है । इस बिल के अन्दर आखिर यह नहीं बताया गया कि रेट्स क्या होंगी ? यह जो बिल प्रस्तुत किया गया है वह एक प्रकार से मनी बिल और फाइनेन्स बिल के रूप में रख दिया गया है, हाउस को यह नहीं बताया गया कि आखिर हमारे यहां रेट्स किस आधार पर लगाये जायेंगे ? आधार केवल स्लेब सिस्टम है । हमको देखना यह होगा कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमिशन की रिपोर्ट, जिसको कि वित्त मंत्री महोदय देख रहे हैं उसमें यह डिस्कोजन दिया गया है कि ६६ प्रतिशत आमदनी गरीब आदमियों से आती है और ६५ प्रतिशत कोन्ट्रीब्युशन एन्टरटेनमेंट टैक्स का लोकल बोडीज़ में आता है । जब यह आधार टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने रखा हैं तो उसी आधार को हम देखें तो इसी आधार पर टैक्स रेट निर्धारित करते हैं । तो जैसा कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने कहा, जो आधार रखा उस बात को या तो बिल्कुल देखा ही नहीं गया या समझा ही नहीं गया । जहां स्लेब सिस्टम के बारे में कहा गया, ६६ प्रतिशत गरीब आदमियों पर यह हिट करता है........

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय सदस्य इस बिल का विरोध कर रहे हैं क्या ?

श्री श्रीभानसिंह : मैं, स्टेट गवर्नमेंट ने जो टेक्स लेवी किया है, उसके प्रिंसिपल का विरोध कर रहा हूँ ।

श्री नाथूराम मिर्धा पुनः बोलने को खड़े हुए)

श्री सभापति : (श्री श्रीभानसिंह से) जारी रखिये ।

(श्री श्रीमानसिंह)

श्री श्रीमानसिंह : कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं, यों ही बीच में खड़े हो जाते हैं...

श्री मदनसिंह : मिनिस्टर्स को प्रीविलेज दिया जा रहा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : (श्री मर्वा से) क्या आप धौंस जमा रहे हैं क्या ?

श्री श्रीमानसिंह : (जारी रखते हुए) सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो स्लेब सिस्टम है, जैसी कि हमारे वित्त मन्त्री महोदय की मंशा है, इसी आधार पर वे टैक्स लेवी करना चाहते हैं, तो मेरा कहना यह है कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को आप यदि फौलो करते तो मेरा ख्याल है कि यह जो टैक्स लेवी करने का सिद्धांत है वह अपूर्ण है। फिल्म इन्क्वायरी कमेटी जो गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया द्वारा नियुक्त की गई थी उसकी रिपोर्ट भी इसके विरुद्ध है। अगर हम स्लेब सिस्टम लेवी करते हैं तो सब से ज्यादा असर गरीब आदमियों पर होगा। इसलिये फिल्म इन्क्वायरी कमेटी ने यह सजेशन दिया कि परसेन्टेज बेसिस पर यह टैक्स लेवी होना चाहिये। अगर आप टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की सिफारिशों को मानते हैं तो उसका क्लिअर उल्लेख होना चाहिये। लेकिन इसमें इस बात का उल्लेख नहीं, आखिर आपका टैक्स लेवी करने का बेसिस क्या है ? आप यदि दूसरे प्रान्तों की नकल करते हैं, जैसी उत्तर प्रदेश आदि की, तो वहाँ पर जो स्लेब सिस्टम है, यदि उसी आधार पर यहाँ मानते हैं तो ठीक नहीं है। यहाँ परसेन्टेज सिस्टम को लागू करना जरूरी है। इस प्रकार बाइस पर्सेन्ट या २० पर्सेन्ट एडमिशन फीस का लेते हैं अगर आप टोटल इनकम पर भी लेना चाहते हैं तो उसका कोई बेसिस होना चाहिये। जो स्लेब सिस्टम की इसमें व्यवस्था रखी है यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए यह सिस्टम इमप्रेक्टिकेबल है। हम जब आमदनी चाहते हैं तो हमें यह देखना होगा कि इस जगह के आदमियों की पर्चेज़िंग पॉवर क्या है ? जहां के लोगों की क्रय शक्ति ज्यादा होती है वहाँ से स्टेट गवर्नमेंट रिटर्न भी ज्यादा ले ले। लेकिन इस बिल में इस बात का उल्लेख नहीं कि जब पर्चेज़िंग पॉवर लोगों की कम हो जायगी, क्या स्लेब सिस्टम सिस्टम को आधार मानकर रेट्स रिड्यूस भी की जायगी ? वैसी हालत में स्लेब सिस्टम का क्या हाल होगा ? जब टिकट की एडमिशन फीस कम करते हैं तो उसकी डिमान्ड ज्यादा होगी। इसका नतीजा यह होगा कि ६६ प्रतिशत आमदनी जो गरीबों से होती है, तो इसका गरीब आदमियों पर असर ज्यादा पड़ेगा। हमारे देश के अन्दर फिल्म इन्डस्ट्री अभी इस स्टेज पर नहीं है, यह इतने हाई लेवल पर नहीं आयी है कि इस पर सेट बेक लगा दें। एक तरह के आदमियों पर ज्यादा टेक्स लगाना, मैं समझता हूं, एक तरह से इस इन्डस्ट्री को धक्का पहुंचाने के समान है। जैसा कि मैंने स्लेब सिस्टम का डिवीजन बताया उसी के आधार पर आज जो रेट्स प्रिवेलेन्ट हैं; जैसे चार आने से आठ आने टिकट हैं, उस पर २ आने टेक्स के लगा देते हैं और इसी प्रकार आठ आने के टिकट पर दो आना बढ़ा दिये; तो वह दस आने का होता है। इस तरह से दो आने की इंन्क्रीज सिनेमा टिकट के रेट्स में हो गई। अगर इस टैक्स बर्डन को केल्कुलेट करें तो हमें पता चलेगा कि जहां दो आने के चार आने टैक्स के हो गये उसका

(श्री श्रीमानसिंह)

नतीजा यह होगा कि एक-दो आने की इन्क्रीज़ से साढ़े चार आना टेक्स बार्डन बढ़ गया। वित्त मन्त्री केल्कुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि साढ़े चार आने का बर्डन कितना पड़ता है? तो इसलिये हमको फिर यह रिड्यूस करना पड़ेगा और रिड्यूस अगर करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को इतनी आमदनी नहीं हो सकती कि जिसके लिये वह इसे एक्वायर करने जा रही है।

इसके अन्दर एक और एग्ज़ेम्शन रखा है। इस एग्ज़ेम्प्शन का आधार टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की सिफारिश बताई गई है, पर इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि जब रिकमन्डेशन हम मानते हैं, तो या तो उसको पूरी तरह से पढ़ते नहीं या शायद समझते नहीं और इसलिये उसको पूरी तरह से रखते नहीं। यह आखिर मेरी समझ में बात नहीं आई कि जो बात हमारे माफिक हो उसको तो रख लेते हैं पर रिकमन्डेशन का उसूल बताया गया है उसको एक भी जगह नहीं माना गया है; जैसे कमीशन वालों ने बताया कि जो एग्ज़ेम्प्शन को लिस्ट है एन्टेंनमेंट टैक्स की वह कम्प्लीकेटेड है, हैरेसिंग है जैसा कि देखा गया है कि दस-बारह एग्ज़ेम्पशन्स रक्खे हैं। आखिर उनका सिद्धान्त तो यह है कि किसी प्रकार जो अच्छी एक्टीविटीज़ हैं उन पर वह टैक्स हैवी न पड़े। कमीशन ने कहा कि इतनी कॉम्प्ली-केटेड लिस्ट को रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके दो आधार हैं।

एक आधार तो है कि सिनेमाओं से जो प्रोसीड मिलता है उसको किस काम में एप्लाई करते हैं, चैरिटेबल या फिलेन्थ्रोपिक पर्पज़ में?

दूसरा आधार यह है कि एन्टर्टेनमेंट का कैरेक्टर क्या है? एजुकेशनल वेल्यु है या क्या है?

ये दो आधार हैं, जिन पर अपने को एग्जेम्प्शन रखना है और इन्हीं दो आधारों को कमीशन ने बताया है। उन्होंने जो आधार ये बताये उनको डिवाइड किया गया है, प्रोफेशनल और नोन प्रोफेशनल के अन्दर। इन दो आधारों को मान लेने से आसानी थी क्योंकि ये दस-बारह आधार रखने से कॉम्प्लीकेशन्स होते हैं, हैरेसमेंट होता है जैसा कि हमारे यहां जो कल्चरल एक्टीविटीज़ हैं, कल्चरल जिनका वेल्यू है, उनको एग्ज़ेम्प्ट किया गया है, उनका निर्णय करने का अधिकार ब्युरोक्रेसी के ऊपर छोड़ दिया गया है। कमीशन ने इस तरीके के बारे में कहा है कि इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसे कोडिफाई नहीं कर सकते, यह नहीं बता सकते कि इन्डियन म्युजिक कौन सा है, फोक डान्सेज़ किस तरह से होते हैं, कौन से हैं; तो इनको क्लासिफाई नहीं दिया जा सकता। डिफाइन ये हो नहीं सकते थे। तो इसका नतीजा यह होता है कि जो अमेच्योर्स हैं और जिनको एन्करेज करना चाहते हैं उनका डिफिकशन किस पर डिपेन्ड करता है? ऑफिशियल्स की मर्जी पर। इसको वही इन्टरप्रेट कर सकता है। जिसकी कल्चरल वेल्यु है उसको रिजेक्ट कर सकता है और जिसकी कल्चरल वेल्यु नहीं है उसको वह मन्जूर कर सकता है। तो इससे जो अमेच्योर्स हैं, थियेटर्स, ड्रामाज़ या डान्सेज़ आदि एक्टीविटीज़ हैं उनको सैट बैक मिलता है। इसलिये कमीशन ने यह सजेस्ट किया था, उसे हमें मान लेना चाहिये था। लिस्ट को कॉम्प्लीकेटेड नहीं बनाना चाहिये। पर उन्होंने वही कॉम्प्लीकेटेड लिस्ट बनाई। अन्त में मैं माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान रिपोर्ट

(श्री श्रीभानसिंह)

के पेज ४४२ पर दिलाता हूँ जहां लिखा है :

"Likewise entertainment tax is levied by almost all the municipalities and yield them substantial revenues, however, Government feels that this is a Source better utilised by the state Government as in the case of certain other States."

तो यह जो व्यू था यह हमारी राजस्थान सरकार ने ही रक्खा था टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन के सामने। उसने अपनी तरफ से यह सजेस्ट नहीं किया था कि गवर्नमेंट ही इसको ले आउट करे। अगर कमीशन यह सजेस्ट करता तो मान सकते थे कि लोकल बोडीज़ से टैक्स लिया जाए। पर जो प्ली दी गई सरकार की ओर से, जो सजेशन था हमारी खुद की सरकार की ओर से, तो उसमें टैक्स लेने का जो सिद्धान्त है मैं उस सिद्धान्त का विरोध करता हूँ।

आज हम यह कहते हैं कि म्युनिसिपल बोर्ड्स, नगरपालिकायें हमारी प्लानिंग में अपना फंक्शन परफोर्म करें, डेवलपमेंट की स्कीमों को कैटर करें, उन्हें डवेलप करें; पर इसके लिए उनके पास फाइनेंसेज़ की कमी है। यह हम जानते हैं और यह जानते हुए भी हम जब उनके आमदनी के रिसोर्सेज़ अपने हाथों में ले जाते हैं और जो ऐसे टैक्स हैं जिनका एक बडन पूअर मैन(Poor man) पर पड़ता है जिसके अगेन्स्ट पब्लिक ओपीनियन है; जैसे ओक्ट्रॉय, उनको छोड़ते जावें तो यह स्पष्ट होना चाहिये।

यह सेन्ट्रेलाइज़ेशन की नीति से भी कनेक्टेड है। टैक्सेशन का फर्स्ट प्रिन्सिपल यह है कि लोकल बोडीज़ को स्वतन्त्र फन्कशन करने दिया जावे, ऐसे टैक्सेज़ उन पर ही छोड़े जायें। तो इसलिए मैं लास्ट पोइन्ट पर भी वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह टैक्स लोकल बोडीज़ को ही लेने देना चाहिये क्योंकि स्टेट के पास ऐसे भी सोर्सेज हैं जिनको टेप करें तो अच्छी तरह से आमदनी ले सकते हैं, जितना इससे उम्मीद करते हैं।

श्री तनसिंह : माननीय सभापति, यह जो एन्टर्टेनमेंट टैक्स बिल हमारे सामने विचारार्थ रक्खा गया है इस विषय में काफी कहा जा चुका है। लेकिन फिर भी कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर इस समय इस स्टेज पर विचार करना चाहिए और जब तक उन मुद्दों पर निश्चित रूप से हम एक राय नहीं बना लेते, जब तक हम उन मुद्दों पर एक निश्चित रूप से आगे का रास्ता नहीं बना लेते, मैं समझता हूँ, तब तक हम अन्धकार में आगे बढ़ते रहेंगे।

(श्री सज्जनसिंह, सभापति, पदासीन)

हमने म्युनिसिपेलिटीज़ से उनकी आय के साधन छीनने का प्रयास किया है और इसके बदले में हमने उनको तीन साल के आंकड़ों के मुताबिक कम्पेन्सेट करने की भी व्यवस्था रक्खी है, लेकिन कई ऐसी जगहें भी हो सकती हैं जहां वास्तविक रूपसे कोई टैक्स वसूल न हुआ हो। उनके लिये कोई व्यवस्था इसमें नहीं है। सम्भवतः कई ऐसी म्युनिसिपेलिटीज़ भी होंगी जिन्होंने अपने यहां साल भर पहले ही टैक्स लगाया हो, उनका भी क्या होगा? उन्हें कैसे कम्पेन्सेट किया जावेगा?

श्री श्रीभानसिंह : Mr. Chairman, Sir, I am sorry, I used a word

Page No.79

(श्री श्रीमानसिंह)

XXXX I wish to have your permission to withdraw it. Some say it is unpa-rliamentary. I wish that the House may permit me to withdraw it.

श्री सभापति :You can withdraw it.

श्री श्रीमानसिंह : Thank you, Sir.

श्री तनसिंह : तो मैं निवेदन करना चाहता था इस विषय की कोई स्पष्ट बात इसमें नहीं है। अब हम इस कानून को अगर इसी रूप में पास करते हैं तो किसी को यह मालूम नहीं है कि सरकार इस कानून के द्वारा म्युनिसिपेलिटीज़ पर क्या टैक्स लगाने जा रही है ?

मेरे एक पूर्व वक्ता ने कहा कि वह स्लैब सिस्टम है, लेकिन यह सम्भवतः उस ओर बैठने वाले हैं इसलिए यह भी मालूम हो सकता है, पर हमें तो इस विषय में भी मालूम नहीं है कि स्लैब सिस्टम होगा या क्या होगा ? मैं समझता हूँ कि वित्त मन्त्री महोदय द्वारा या उनके वित्त विभाग द्वारा डिस्क्रिशनरी सिस्टम होगा तो भी कह नहीं सकता, जो चीज़ जहां करनी होगी उस पर कोई अंकुश नहीं होगा। स्लैब सिस्टम के लिये आश्वासन भी दे दिया जावे तो कानूनन बाध्य नहीं किया जा सकता है कि उन्हें स्लैब सिस्टम इंट्रोड्यूम करना ही होगा बल्कि आज का यह कानून यदि पास हुआ तो इसका मतलब यह होगा कि हम सरकार के हाथ में अपने किये हुए दस्तखतों का एक कोरा कागज़ दे रहे हैं और उसके अनुसार सरकार चाहे जितना टैक्स इस गरीब जनता पर लगाना चाहे लगाये। अभी यह कहा गया है कि यह एक मनोरंजन है, एक लग्ज़री है। माननीय सभापति जी, यह मनोरंजन या लग्ज़री नहीं रही, यह तो एक आवश्यकता बन गई है; खास कर उन लोगों के लिए जो परिश्रम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके लिए दिन भर की थकावट के बाद यह एक सस्ता साधन है अपने आपको रिलेक्स करने का; और वह है चित्र देखना, उनके जीवन की यह एक आवश्यकता सी बन गई है। यह अमीर लोगों के लिए लग्ज़री अवश्य है लेकिन यह अब गरीब लोगों के लिए लग्ज़री नहीं रही।

तो ऐसी अवस्था में यह कहना कि स्टेट की आय के साधनों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे यह निवेदन करना है कि स्टेट के साधनों की कीमत किन लोगों को चुकानी पड़ती है, केवल गरीब लोगों को ही नहीं बल्कि उन स्वायत्त शासन संस्थाओं को जो बड़ी मुश्किल से अपने यहां पर स्थानीय विकास के कार्य करती हैं। यह हो सकता है कि आप उन पर कृपा-दृष्टि रख कर कोई चीज़ का निर्णय करें, लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि एक्चुअल आंकड़ों के हिसाब पर जो कुछ निर्णय किया जा रहा है उसके ऊपर कोई सिद्धांत नहीं है। यह हो जाय कि उन संस्थाओं को इतने पर्सेन्ट कम्पेन्सेशन दिया जाय तो समझ में आ सकता है कि कितना कम्पेन्सेशन दिया जावेगा। तीन साल के आंकड़ों पर निर्णय कर लिये जाने का मतलब उसी प्रकार है कि अपने दस्तखतों को कोरे कागज़ में वित्त मन्त्री महोदय को रुपया बटोरने के लिए दे रहे हैं। यदि यह बात हुई तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो यह दिखावा किया जा रहा है कि हम नगर-

---

XXXX श्री अध्यक्ष की आज्ञा से उक्त अभिव्यक्ति कार्य-विवरण से हटाई गई।

(श्री तनसिंह)

पालिकाओं को उनकी आय लेने के बदले मुआवजा देंगे, यह मुआवजा भी पूर्णतया उनके डिस्क्रीशन पर है। इसलिए यह भी सिस्टम निश्चित नहीं है। इस कानून को पास करने से हम जनता के साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं और खास कर स्वायत्त संस्थाओं के प्रति। अगर सरकार को अपने धन-संचय करने के रास्ते निकालने हैं तो एक नहीं अनेक हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इस एन्टर्टेनमेण्ट टैक्स का सवाल है माननीय वित्त मन्त्री महोदय इस बिल के स्टेटमेण्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में बताते हैं कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने ऐसी रिपोर्ट की है। मैं यह मानने के लिए तैयार हो सकता यदि सदन की मेज पर वह रिपोर्ट रख कर हम लोगों को भी सरकार अपने विचार प्रकट करने का मौका देती। क्या टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने इस राय को देकर कोई और भी बात की सिफारिश की है या नहीं? इन सब बातों पर विचार करने के लिए यह आवश्यक था कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाती। उसके अभाव में हम इस समय यह निर्णय करने की स्थिति में नहीं हैं कि क्या उसका एक पक्षीय निर्णय है, या उस निर्णय को तोड़ मरोड़ कर काम में नहीं लाया जा रहा है और लाया जाय? क्या अवश्यम्भावी बात है? उसको मीट आउट करने के लिए क्या किया है? तो जल्दी में बनाया हुआ यह कानून, मैं समझता हूँ कि वित्त मन्त्री महोदय को फिर संशोधन लाकर इसको सदन में पेश करना पड़ेगा।

माननीय वित्त मन्त्री महोदय कहते हैं कि जो रेट्स बढ़ायी जावेंगी, प्रत्येक असेम्बली के पहले सेशन में उसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखी जावेगी और सदन उसमें अपने प्रस्ताव द्वारा संशोधन कर सकता है। लेकिन मुझे निवेदन यह करना है सभापति महोदय, कि कानून में ऐसी व्यवस्था है। लेकिन जब पहली बार सरकार टैक्स की तालिका निश्चित कर रही है तो क्यों नहीं उसको सदन की मेज पर रखना चाहिए? पहले पहल टैक्स सरकार मुकर्रर करना चाहती है, उसकी तालिका बना कर इसके साथ ही क्यों नहीं लगा दी गई? इसका स्पष्ट प्रमाण यह निकलता है कि कोरे कागज़ पर दस्तखत करा कर गरीब जनता पर भारी टैक्स सरकार लगाना चाहती है वरना उसे असेम्बली में पेश करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये थी।

इसके आगे है कि टैक्स बदलने की व्यवस्था है उसको गजट में शाया किया जायगा और सब ओर से जो राय आवेगी उस पर विचार किया जायगा। पहली रेट्स पर विचार क्यों नहीं किया जायगा, इसके लिए इसमें कुछ नहीं कहा गया है। अब किये गये सरकार के कामों पर टीका करना छोड़ने के बजाय अच्छा हो उस काम को हमारे हाथ में दिया जाय, हम रेट्स की तालिका को निश्चित करें; फिर प्रकाशित होकर टैक्स की तालिका के अनुसार कार्यवाही की जाय। इससे यह सिद्ध होता है कि सरकार इससे बचना चाहती है, सरकार हमेशा ऐसे कानून को पास कराना चाहती है जिसके द्वारा वह स्वयं भी स्पष्ट नहीं है कि वह क्या करना चाहती है? एक माननीय सदस्य महोदय ने इस विषय में उतावले होकर बड़े जोश खरोश के साथ बताया कि इन विरोधियों का काम हो गया है कि हर टैक्स का विरोध करें। यह मैं

(श्री तनसिंह)

मानता हूँ, यह एक महत्वपूर्ण काम है हर टैक्स का विरोध करना । लेकिन उसका आधार भी होता है और निश्चित विरोध के कारण, तथ्य पूर्ण विरोध के कारण उसके लिए सरकार का आधार निराधार है । प्रत्येक बात जो कही जाय वह निश्चित रूप से कही जाय और उसका युक्ति संगत और तर्क पूर्ण उत्तर दिया जाय । मैं देखता हूं कि इतने क्लॉज़ेज़ पास करने के बाद जो खामियां इसमें रह गई हैं, जो मूलभूत आधार की बात है, जो बिल के प्रिन्सिपल्स की बहस के वक्त कही थीं, उनके लिए माननीय वित्त मंत्री महोदय चुप हैं । ऐसी अवस्था में मेरा यह निवेदन है कि इस बिल को पास कराना चाहते हैं, यदि बहुमत के आधार पर ही इसको पास करा लिया जाय तब भी सरकार को चाहिए कि इस कानून को लागू न करें । यह एक ऐसा महत्व पूर्ण कानून है कि जिस पर नगरपालिकाओं की राय जानना आवश्यक था । केवल सरकार यह कहना चाहती है कि आर्थिक स्थिति गम्भीर है इसलिए इसको वह पास कराना चाहती है । हम सरकार का साथ भी दे दें, पास भी करा दें तो भी सरकार को इस अवस्था पर विचार करना चाहिए कि इस कानून को पास करने के बाद स्वायत्त संस्थाओं के विकास कार्यों पर क्या बाधा पड़ेगी, उनका किस प्रकार निराकरण किया जावेगा ? उसके साथ साथ गरीब लोगों की जो चीज़ एक नेसेसिटी बन गई है उन पर क्या आवश्यकता से अधिक टैक्स का बर्डन डाला जाय ?

इन चन्द शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वह इस कानून को पास न करे ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापति महोदय, मैं इस सदन के सन्मुख जो एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स बिल है उसके सम्बन्ध में दो ही शब्द कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ । स्वाभाविक है, जब किसी आदमी को पैसे की जरूरत हो तो वह बहुत बारीकी के साथ रास्ता निकालता है कि मुझे कहां कहां से पैसा मिल सकता है और जब वह एक रास्ते पर चलता है तो कई दफा ऐसा भी मौका आता है कि वह यह सोच भी नहीं पाता कि यहां का पैसा लूं या न लूं । क्योंकि उसका एक मात्र दृष्टिकोण यह रहता है कि मुझे पैसे की जरूरत है और पैसा चाहिए और उसी आधार पर वह इस चेष्टा को लेकर निकलता है । कभी कभी यह भी होता है कि वह लाचारी की अवस्था में, लाचार होकर यहां तक पैसे की खोज में निकल जाता है कि आगे जाकर लड़की के पास भी पैसा मांगने चला जाता है क्योंकि उसको जरूरत होती है और वह यह कभी नहीं सोचता कि मैं किससे मांग रहा हूं और क्या करूं । इस तरीके से वह पैसा मांगने चला जाता है । अब यही स्थिति हमारे यहां है । हमारे बजट में पैसे की कमी है, उसकी पूर्ति के लिये यह कतई सोचा नहीं गया कि कहां से पैसा लाया जाय और कहां से से नहीं लिया जाय । सिर्फ यही उद्देश्य रहा कि पैसा निकाला जाय ।

आज सरकार और नगरपालिका का जो सम्बन्ध है वह मैं समझता हूँ, वह पिता और पुत्री के सम्बन्ध के समान है । नगरपालिका एक कन्या है सरकार की और हमारी सरकार पैसे की खोज में जब उसको पैसे की जरूरत हुई तो वहां तक पहुँच गई ? म्युनिसिपैलिटी जो नगरपालिका है वह पैसा वसूल करके नगर के उत्थान के काम में लगाती है । किन्तु हमारी सरकार ने यह सोचा कि इस पैसे को भी हाथ में लिया जाय जहां तक हाथ लगे ।

(श्री मुरलीधर व्यास)

आज नगरपालिकाओं की क्या हालत है, इसके बारे में जब मैं सोचता हूँ तो बीकानेर नगरपालिका की जो हालत है, वह मेरे सामने आती है। वहां पर छोटे छोटे लोग दरख्वास्तें लेकर पहुँचते हैं और कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में इतने मकान या इतनी झोपड़ियां हैं, लेकिन वहां पर एक भी बत्ती नहीं है; इसलिये आप वहां पर दीपक लगा दें तो नगरपालिका वाले कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिये एक भी बत्ती नहीं लगा सकते। वे झोपड़ियें अंधेरे में पड़ी रहती हैं। दूसरी ओर लोग जाकर कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में पानी के नल नहीं हैं इसलिये वहां पर नल लगा दें ताकि आम लोगों की दिक्कत दूर हो जाय, तब जवाब मिलता है कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिये पानी की टूंटी नहीं लगा सकते। अब जब नगरपालिका की यह हालत है और आप भी उससे परिचित हैं क्योंकि हर नगरपालिकाओं को पैसा आप अपने खजाने से देते हैं। एक ओर आप नगरपालिकाओं का पैसा अपने खजाने से देते हैं और दूसरी ओर नगरपालिका की आमदनी को अपने अधिकार में लेते हैं तो दोनों बातें असंगत मालूम पड़ती हैं। आपको नगरपालिकाओं को देना पड़ता है चाहे किसी भी रूप में दें क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। दूसरी ओर उनकी जो आमदनी होती है उसको आप लेना चाहते हैं। तो ऐसी हालत में, मैं समझता हूँ नतीजा यह होगा कि आप उसकी आमदनी को अपने क्षेत्र में लेंगे और उसको वसूल करने के लिये आपको कुछ आदमी रखने पड़ेंगे, यह देखने के लिये कि पैसा आता है या नहीं? नगरपालिकाएं अपने इन्सपेक्टर्स की देख-रेख में पैसा वसूल कराती हैं लेकिन आपको अलग आदमी रखने पड़ेंगे। आपके आदमी अपने अपने ढंग से काम करेंगे। उसमें क्या क्या चलेगा, जो मानते हैं वह मानते हैं। कोई नहीं भी मानते हैं तो एक नया खर्चा लेकर रूपया निकालना और फिर म्युनिसिपेलिटीज़ को दूसरे रूप में देना ऐसी हालत में यह कहां तक न्यायसंगत है, यह सोचने की बात है?

हम एक तरफ विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं। जो साधन और सुविधाएं स्टेट के हाथ में हैं उनको धीरे धीरे दूसरों के हाथ में दें ताकि वे उसे अपने उपयोग में लें और दूसरी ओर आप कानून बनाते हैं और पैसा वसूल करने की योजना बनाते हैं जिससे केन्द्रीकरण होता है और व्यवस्थितरूप से काम करने में दिक्कत आती है। आप इस पैसे को केन्द्रित करने की कोशिश करते हैं तो मैं वित्त मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जितना नगरपालिका पर कुठाराघात होगा उतना ही साधन उसको मिलना चाहिये। जिस नगरपालिका को आप हमेशा देते हैं उससे वापिस लेने की क्या बात कही जाय? जैसा मैंने पहले कहा, एक पिता पुत्री से क्या ले; वह तो कन्या है? उससे क्या लेंगे और यदि लेंगे तो इसमें अपयश होगा। लोग इसे अपशकुन समझते हैं और बुरा समझते हैं। तो कन्या से रुपया लेने की बात करें, मैं समझता हूं, यह अच्छी बात नहीं है। ऐसी स्थित में वित्त मन्त्री जी को देखना है कि यह वाजिब है या नहीं? यह सारी स्थिति होते हुए, मैं समझता हूं, यह जो टैक्स है उसका पैसा वसूल करने का अधिकार नगरपालिका को ही होना चाहिये, उसमें बहुत लाभ होगा। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय

(श्री दयाकृष्ण विजय)

सभापति महोदय, इस बिल के तीसरे वाचन के समय मैं इसके अलग अलग क्लॉज़ेज़ पर विचार नहीं कर रहा हूँ लेकिन समग्ररूप से विचार कर रहा हूँ। जब मैं इस मनोरंजन विधेयक को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि हम कहीं एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ....

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : माननीय सदस्य इस पर जनरल डिस्कशन के समय बोल चुके हैं इसलिये किसी नये पोइन्ट पर बोलना चाहते हैं तो बोलें।

श्री मदनसिंह (दांता) : नये पोइन्ट तो कहां से आ सकते हैं ?

श्री दयाकृष्ण विजाय : माननीय सभापति महोदय, मैं यह बता रहा था कि इसमें कहीं न कहीं ऐसी गलती है, जिसके कारण इतने विवाद के पश्चात् भी जब मैं देखता हूं तो माननीय सदस्य इसके विरोध में ही खड़े हुए हैं। हमें इस बात को बड़े ठण्डे दिमाग से विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन इतने वक्ताओं के बोलने के बाद भी कोई भी वक्ता इसके पक्ष में नहीं बोले, इस बात पर विचार करना है। जहां तक शासन की घोषित नीति है वह तो विकेन्द्रीकरण की ओर है और जहां तक क्रियात्मक रूप है, शासन को केन्द्रित करके सारे अधिकार; चाहे वे आर्थिक हों या राजनैतिक, अपने अन्दर केन्द्रित करने का प्रयोग है। यह मूल में ही, सैद्धान्तिक गलती है। यहां हम चाहते हैं कि हमारे प्रारम्भिक उपयोग; पंचायतें, नगरपालिकायें जो हैं वे सुदृढ़ हों। हमारे लिये यह आवश्यक है कि उनके साधन-श्रोत जो उनमें शक्ति संचार करते हैं और जनता की भलाई का काम करते हैं यदि उनको आप अपने हाथ में लेते हैं तो हम इन प्रारम्भिक संस्थाओं को, जो प्रजातन्त्र की रीढ़ हैं उन पर कुठाराघात करते हैं। इस बात पर हमको विचार करना है।

अभी एक माननीय सदस्य ने भावनात्मक विचार करते हुए बताया था कि नगरपालिका कन्या का स्वरूप है जिसे हमें कुछ देना चाहिये या जिसकी मदद करनी चाहिये, न कि उससे कुछ लेकर उसको हम अपने पर निर्भर बना दें।

फिर दूसरा प्रश्न आता है; आखिर जो टैक्स लगा रहे हैं उसका किस जनता पर असर पड़ेगा ? पंचायत या नगरपालिका टैक्स लगाती है तो पंचायत या नगरपालिका के दायरे पर उसका असर पड़ता है। लेकिन हमने इस टैक्स को लगाकर सामान्य जनता पर लगा दिया है। हमने जनता की योग्यता का मापदण्ड नहीं देखा। एक शहर की जनता और दूसरी ग्रामीण जनता, उनमें से शहर की जनता कितना टैक्स देने की क्षमता रखती है और ग्रामीण जनता कितना देने की क्षमता रखती है इस चीज को हमने नहीं देखा। आज हम समानता की बात करते हैं; देश में समानता हो। राजस्थान की जनता में समानता हो ! लेकिन जब तक हमारे कदम उस ओर नहीं उठेंगे, जब तक हम इस ओर प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आज यह प्रयत्न दिखाई देता है कि एक गरीब जिसकी जेब में दिन भर के परिश्रम के बाद २ पैसे आते हैं उसको भी उसकी जेब में से निकाल लेना चाहते हैं, उसको इन टैक्सों के नाम पर। हो सकता है कि शहर की जनता की जेब में ज्यादा पैसे हों और उस पर टैक्स लगाने की आवश्यकता

(श्री दयाकृष्ण विजय)

हो, लेकिन हम सब को एक लाठी से हांकते चले जायं, यह सम्भव नहीं है। आज शहर की जनता जिस अनुपात में कमाती है उसी अनुपात में ग्रामीण जनता नहीं कमाती। आज हम देखते हैं कि ग्रामों में मजदूरी बहुत सस्ती है और शहरों में मजदूरी महंगी है। यहां वह मजदूर जो दिन भर मेहनत करता है, पांच-छः रुपया कमाता है लेकिन गांव में मजदूर दिन भर मेहनत करने के बाद चार आने, छः आने और अधिक से अधिक एक रुपया कमा पायेगा, तो आप उससे कैसे आशा करें कि वह कमाई को वापिस करे। यह स्वाभाविक बात है कि हर एक व्यक्ति दिन भर मेहनत करने के बाद यह अपेक्षा रखता है कि उसे मनोरंजन मिले। आज हम विदेशों के अन्दर देखते हैं; रूस के अन्दर देखते हैं, अमेरिका के अन्दर देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहां मजदूर सात-आठ घंटे काम करने के बाद, वहां सरकार के द्वारा चलाये हुए मनोरंजन के साधनों में जाकर, चल-चित्रों में जाकर मनोरंजन करता है और सरकार इस प्रकार के साधन उनके लिए जुटाती है, लेकिन हम उन गरीब मजदूरों के लिए मनोरंजन के साधन न बनवायें, स्टेडियम वगैरह न बनवायें और उसकी जगह उनकी आर्थिक ताकत को खींच लेना चाहते हैं, यह बड़ी भारी सैद्धान्तिक गलती है।

तीसरी सैद्धान्तिक गलती इस बिल के अन्दर जो है वह यह कि कौन से मनोरंजन के ऊपर हमको टैक्स लगाना चाहिए और कौन से मनोरंजन पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, इस प्रकार का कोई विश्लेषण नहीं किया गया है। जहां पर अपवाद स्वरुप छोड़ा गया है, उनमें ऐसी चीज आ जाती हैं, जिन्हें आप बतलायें या न बतलायें, लेकिन यह सच है कि जिनसे आय हो सकती है, वास्तव में उनसे आय नहीं होती है। ऐसी चीजें जिनसे आय नहीं होती है, उनको छोड़ गया है, उन आय के साधनों पर टैक्स लगाया गया है; इस बात पर विचार करना चाहिए। जैसे आप सिनेमा को लीजिये। सिनेमा के अन्दर कुछ चित्र ऐसे आते हैं, जो केवल वासना प्रधान होते हैं, कुछ चित्र ऐसे आते हैं जो निर्देशक द्वारा शिक्षा देने के लिए बनाये जाते हैं। हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि जब एक सेंसर बोर्ड चित्रों के लिए बिठाया गया है, जो चित्रों को सेंसर करता है, वह किसी चित्र पर लिख देता है केवल वयस्कों के लिए, यानि फलां उम्र के बच्चों के लिए वर्जित है, तो हमें विचार करना पड़ेगा कि यदि सरकार चाहती है कि ऐसे चित्रों को न देखें, तो उस पर टैक्स बढ़ाया जाय। राजस्थान सरकार द्वारा सब सिनेमाओं पर समान टैक्स हो, इस सम्बन्ध में हम विचार कर सकते हैं। यदि हम विचार करें तो हम देखेंगे कि ऐसे चित्रों पर, जो कि बालकों के लिए वर्जित हैं, जो समाज के लिए हितकर नहीं है, ऐसे चल-चित्रों पर, ऐसे सिनेमाओं पर हमें टैक्स अधिक लगाना चाहिए। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हम शराब बन्दी पर विचार करते हैं, हम मानते हैं, सदन का हर एक सदस्य इससे सहमत है कि इसको बन्द कर देना चाहिए, तो इस पर भारी कर लगा दिया जाय, ताकि लोग न पीयें। उसी प्रकार मैं प्रश्न रखता हूं कि ऐसे चल-चित्रों पर, जो वासना जागृति के लिए हैं, जो समाज का हित करने के लिए नहीं हैं, उन पर टैक्स अधिक लगाना था। हमने सारे चल-चित्रों को, सारे मनोरंजन के साधनों को एक लकीर पर चलाने की कोशिश की है, यह भी एक सैद्धान्तिक भूल की है।

Page No.85

(श्री दयाकृष्ण विजय)

इन सारी बातों को बताते हुए, मैं यह बात फिर कहना चाहता हूं कि न तो हमने मनोरंजन के साधनों पर विचार किया, न तो गरीब जनता पर विचार किया और न इस प्रकार की अन्य बातों पर विचार किया। इन सारी बातों को विचारने का यह अवसर है। इसलिए ऐसा कर जो जनता के साथ एक प्रकार का भयंकर कुठाराघात करेगा, मैं समझता हूँ कि ऐसे बिल को वापिस लेना चाहिए। आज इस बिल की जरूरत नहीं हैं, क्योंकि पंचायतें अपना काम कर रही हैं, नगरपालिकाएं अपना टैक्स ले रही हैं, आगे इस प्रकार के सरकार ले लेगी तो वह अलग नौकर रखेगी, इन्सपेक्टर रखेगी और उसका खर्चा जनता पर आयेगा। आज नगरपालिका ऐसा काम करती है, उसको राज्य द्वारा लगा कर जनरलाइज़ कर दें सामान्य जनता पर, इस बात पर विचार करने के लिए मैं कहता हूं कि इस बिल को वापिस लिया जाय और यह कर नगरपालिका को वापिस कर दिया जाय। मेरा एक संशोधन था वह गिर गया। लेकिन मैं इस विचार का हूं कि यह नगरपालिका के क्षेत्र का काम है, उसके क्षेत्र के काम को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए यह एन्टरटेनमेंट टैक्स नगरपालका को दे देना चाहिए और राज्य द्वारा न लेना चाहिए।

श्री सभापति : श्री अनूपसिंह।

श्री पी. के. चौधरी : सभापति महोदय,

श्री सभापति : I have called the name of Shri Anoop Singh.

श्री पी. के चौधरी : Pardon.

श्री सभापति : Mr. Anoop Singh's name has been called out.

श्री अनूपसिंह : माननीय सभापति महोदय सदन में मनोरंजन कर विधेयक के ऊपर बहस हो रही है और उसमें मनोरंजन कर की व्यवस्था म्युनीसिपेलिटीज़ के हाथ से निकाल कर सरकार ने अपने हाथ में लेने के लिए जो संशोधन यहां रखा है, उसको देखने से यह मालूम होता है कि हमारी सरकार येन केन प्रकारेण, किसी तरह से अपने बजट के घाटे की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ साधन किसी तरह जुटाना चाहती है। इसके साथ साथ सारी जगह पर कोई नया कर लगाया जाता है और उसके पीछे किसी न किसी कमेटी की सिफारिश लगा दी जाती है कि अमुक कमेटी ने इस तरह की सिफारिश की है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं और कमेटी जो हमसे ज्यादा समझती है, जिस कमेटी में एक्सपर्ट्स हैं, उस कमेटी की राय है कि इस तरह का कर लगाना चाहिए। इस तरह कमेटी के पर्दे में हमारा काम होता है, कर हमने लगाया है, यह हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे, कमेटी से कहलवायेंगे और कमेटी की रिपोर्ट आगे रख कर कहेंगे कि कमेटी की रिपोर्ट में कहा कि इस साधन से बेनीफिट लेना जरूरी है, इसलिए हमने यह संशोधन रखा है। इस तरह से कोई न कोई बात आगे रख कर सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए कटिबद्ध मालूम होती है।

सभापति महोदय, सरकार के लिए अगर यह जरूरी है कि किसी न किसी तरह से पैसा ही लेना है तो मेरे ख्याल से सरकार ऐसे जितने भी रास्ते हैं, जितने भी साधन हैं, जो स्कोप्स हैं, वे स्कोप म्युनीसिपेलिटीज़ के हाथ में न रहें, वे म्युनीसिपेलिटीज़ चाहे एक कस्बे

(श्री अनूपसिंह)

की हों, चाहे बड़े शहर की हों, उनके साधन धीरे धीरे बटोर लें; जितनी सुविधायें उनको कर की दे रखी हैं, वे सरकार ले लें। आप जानते हैं कि जितनी जगह म्युनीसिपेलिटीज़ हैं, उनमें से बहुत कम ऐसी हैं जिनकी धन की हालत ठीक है और उनके पास इतना कम पैसा है, इतना कम धन है कि जनता को जो सुविधायें देनी चाहिए, रास्ता बनाने के लिहाज से, सड़क बनाने के लिहाज से, सफाई के लिहाज से जो सुविधायें हमारी म्युनीसिपेलिटीज़ के द्वारा मिलनी चाहिए, उस तरह से नहीं मिल सकती हैं। मैं समझता हूं कि उनके हाथ में जितने कार्य हैं, उतना पैसा नहीं पाती हैं, फिर म्युनीसिपेलिटी कहती है कि पैसा नहीं है, सरकार फिर कहती है कि जो पैसा है, वह हमें दे दो, और हम तुमको तीन वर्ष का हिसाब लगा कर जो कुछ एवरेज होगा, वह हम तुमको दे देंगे। जो काम म्युनीसिपेलिटीज़ के करने के होते हैं वे कार्य घोटाले में डाल कर पैसा वसूल कीजिये। मैं कहता हूं कि आप म्युनीसिपेलिटीज़ की आर्थिक स्थिति पर भी थोड़ा बहुत विचार कीजिये। जो म्युनीसिपेलिटीज़ हैं वे जनता की बनाई हुई हैं, जनता के आदमियों की बनी हुई हैं और असल में प्रजातन्त्र के मूल सिद्धान्त को विकसित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, उनके अन्दर जिम्मेदारी की भावना लाने के लिए, होती है, यह एक सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त का मूल रूप है कि हमारे लोगों में अपने काम को अपने हाथों, सामूहिक रूप में करने की जिम्मेदारी बढ़ायें। लेकिन आप उनके पास पैसा न छोड़ें। अगर जनता के काम को करने के लिए कहते हैं तो म्युनिसिपेलिटीज़ कहती हैं कि पैसा नहीं है। जो साधन हमारे पास थे, वे ले लिये गये, इसलिए जिस तरह के कार्य करने चाहिए थे वे नहीं कर सकते हैं।

मेरे अर्ज करने का मतलब चैयरमेन महोदय, यह है कि सरकार को यह देखना चाहिये कि पहले तो मनोरंजन जैसी चीज पर कोई कर होना ही नहीं चाहिये। दिन भर के घोर परिश्रम के बाद शाम के समय मनोरंजन के समय आप उसे कहें कि हंसो भी मत, दिन भर मेहनत करते हो तो पसीना भी पूँछो मत, हंसो मत, अगर हमे तो हंसने पर भी टैक्स लगेगा, गम को मिटाने पर भी कर लगेगा; तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किस बात का यह प्रजातन्त्रवाद है ? म्युनिसिपेलिटी के लिये जो कर लगे हैं, हंस जाओ तो कर, जन्म जाय तो कर, मर जाओ तो कर, हर चीज पर कर है। आखिर किस बात का कर ? अगर आप जनतन्त्रवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं तो सम्हल कर चलना पड़ेगा। यह दूसरे प्रांतों के साथ होड़ नहीं है कि साथ साथ भागते जायं। हमें यह देखना पड़ेगा कि शहर की कमेटीज की बात यहां पर फिट होती है कि नहीं, हमारा प्रान्त कितना विकसित है ? हमारे यहां पढ़े-लिखे आदमी कम हैं, जो प्रजातन्त्र को समझते तक नहीं; फिर उन पर कर लगा कर उनकी छाती पर रख दें तो वे क्या कर सकते हैं ? अन्त में माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि यह कर प्रजातन्त्र के मूल सिद्धान्तों पर कुठाराघात के रूप में है, इसको पास करने से पहले ठंडे दिमाग से सोच लें कि म्युनिसिपेलिटीज़ के हाथ में ही यह अधिकार रहना चाहिए। सरकार को जोर देकर बाध्य करें कि यह कर वसूल करने का अधिकार म्युनिसिपेलिटीज़ के हाथ में ही रखना चाहिये। मैं इसका विरोध करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

Page No.87

श्री पी. के. चौधरी : माननीय सभापतिजी, एन्टर्टेनमेंट टैक्स गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले, मैं इसके खिलाफ तो नहीं हूँ पर जिस ढंग से यह प्रस्ताव वित्त मन्त्री सदन के सामने लाये हैं वह मुझे ठीक नहीं लगता। यह जो प्रस्ताव लाया गया है उसे वित्त मन्त्री काफी ऑनेस्टी से हमारे सामने नहीं रखते, जहां कि टैक्स की रेट्स को छुपाया है। वहां रखा है रेट्स गवर्नमेंट फिक्स करेगी, रेट्स Publish किये जायंगे, फिर अमल में लाये जायंगे। साथ ही कहा गया है :

"Provided that no previous publication shall be necessary for the first order made under this subsection."

यह पहली दफा ऑर्डर निकलेगा तो पब्लिकेशन की जरूरत नहीं है। दूसरा क्लॉज़ ४, सब क्लाज (३)....

श्री जनार्दनराय नागर : सभापति महोदय, माननीय मित्र ने कहा है कि वित्त मन्त्री ने ईमानदारी से नहीं किया, ++कहा है। यह वाक्य उचित नहीं है, यह अनपार्लियामेंटरी है। उनसे कहें कि वे इसे विद्ड्रॉ करें।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि यह डिसऑनेस्टी वड़े अनपार्लियामेंटरी है, इसको वे, उचित होगा, विदा करें।

श्री पी. के. चौधरी : मैं सभापतिजी, निवेदन करूंगा कि पहले आप तय कर लें कि वर्ड अनपार्लियामेंटरी है तो मैं विदा कर लूंगा।

++ अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से उक्त शब्द कार्य-विवरण में से हटाया गया।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : It casts an aspersion on the honest intention of the Government and the Hon'ble Minister moving this. I feel, therefore, that this to my mind is not parliamentary.

श्री पी. के. चौधरी : I wihdraw the word,

श्री सभापति : Thank you.

श्री पी. के. चौधरी : लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि वित्त मन्त्री महोदय ने जो सही पिक्चर है वह हाउस के सामने नहीं रखी है। इस बिल में प्रोविजन है कि जो टैक्स गवर्नमेंट फिक्स करेगी, उसकी एप्रूवल तो हाउस से लेनी पड़ेगी; immediately in the next session of the House the Vitta Mantri is suppoosed to take the approval of the House और इस हाउस को अधिकार है रिसाइन्ड करने का, मोडीफाई करने का, कैन्सिल करने का। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि वित्त मन्त्री महोदय जो रेट्स फिक्स करेंगे उसको rescind, modify और cancel करने की सत्ता तो सदन में निहित है, पर सदन की बैठक चालू नहीं है और ऐसे मौके पर रेट्स फिक्स की जाती हैं तो गवर्नमेंट के ऑर्डर से, ऑर्डिनेन्स से रेट्स फिक्स करते हैं, पर जो सार्वभौम सत्ता, कॉम्पीटैंट ऑथोरिटी है कि जो उन रेट्स को मोडिफाई करे या केन्सिल करे, तो वह यह सदन है, ऐसी हालत में जब आज हम इस कानून को पास करते हैं तो रेट्स का स्ट्रक्चर हमारे सामने क्यों नहीं रखा? रेट्स के लिए उन्हें दुबारा इस हाउस की ही तो एप्रूवल लेनी पड़ेगी। फिर आज ही हाउस के सामने क्यों नहीं रखा? मैंने वे शब्द इसलिए इस्तेमाल किये थे कि

(श्री पी० के० चौधरी)

सदन के सामने साफ तस्वीर, कि क्या रेटस फिक्स करना चाहते हैं, वह हमसे छुपाना चाहते हैं, हमें बताना नहीं चाहते कि क्या रेटस फिक्स करेंगे। हम समझते हैं कि रेट्स को मन्जूर करना या नामजूर करना, यह अधिकार इस सदन को ही है, और वित्त मंत्री इस बात को मानते हैं तो फिर उन्होंने रेट्स के स्ट्रक्चर को हमारे सामने क्यों नहीं रखा? इसलिए मैंने कहा था कि उन्होंने सही तस्वीर सदन के सामने नहीं रखी है। मैं नहीं समझता कि सदन के प्रिविलेज का राइट पैदा होता है कि नहीं होता, पर मैं समझता हूं कि सदन को यह रेटस नहीं बताते हैं तो पहले पहल वे पब्लिश भी नहीं करेंगे और जो रेट्स चाहेंगे वे थोप देंगे। अच्छा होता स्लेब सिस्टम में जो रेट लगाना चाहते हैं वह यहां रख देते, इस सदन में हम उसे पास कर देते। इससे बहतर होता कि जो स्लेब बनाना चाहते हैं हमारे सामने रख देते और हम देखते कि पब्लिक को इससे कितना पैसा देना पड़ेगा, इसका सिनेमा इन्डस्ट्रीज़ पर क्या असर पड़ेगा? पर यह सब चीज इतनी वेग रखी है, छुपा कर रखी है, इसलिए मैंने कहा कि जिसे अनपार्लियामेंटरी वर्ड माननीय सदस्य ने फरमाया........

श्री जनार्दनराय नागर : छुपाना और बेईमानी से रखना; इनमें तो बहुत अन्तर है, बहुत फर्क है।

श्री सभापति : He has already withdrawn that word,

श्री पी. के. चोधरी : So I was saying.........

श्री भैरोंसिंह : यह बताया जाय कि डिस्ऑनेस्टी वर्ड है, इसको किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है?

श्री सभापति : Mr. P. K. Chowdhry.

श्री मदनसिंह (दांता) : वाकई में जो डिस्ऑनेस्टी की है उसको साबित किया जाय तो इस्तीफा देने को तैयार हैं क्या!

श्री सभापति : The Hon'ble Member is in possession of the House and he should continue.

श्री पी. के. चौधरी : जब सदन को सब अधिकार दिये गये हैं इस बात के लिए, तो यह सदन ही रेस्पोन्सिबल है स्टेट के मेनेजमेंट के लिए। जो गवर्नमेंट है उसके मेनेजमेंट की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, एग्जीक्युटिव हमारे लिम्स हैं, हाथ पैर है। सरकार जो काम करती है, असली जिम्मेदारी इस सदन की है और मैं समझता हूँ कि जब सदन चल रहा है तो यह पूरी की पूरी जिम्मेदारी सदन की है। अगर टैक्स बढ़ाये जाते हैं तो बदनामी मिलेगी; तो पब्लिक तो सदन को ही जिम्मेदार मानेगी और कहेगी कि आपने फलां कानून पास किया और हम पर टैक्स लगाये। जनता यह नहीं कहेगी कि फाइनेन्स मिनिस्टर ने यह बिल पास किया है। जब हम एक दफा किसी कानून को मंजूर कर लेते हैं तो उसकी जिम्मेदारी अल्टीमेटली हमारी हो जाती है। हम सब अपनी जिम्मेदारी मंजूर करते हैं और हमारी गैर मौजूदगी और गैर हाजरी में, जब सदन की बैठक नहीं होती हैं, उस समय सरकार इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स पास करती है और हम सरकार के उस ऑर्डिनेन्स की रेस्पेक्ट करते हैं, हम उसको कैंसल नहीं करते हैं। हमारी कितनी

[श्री पी० के० चौधरी]

भलमनसाहत है कि हम आज ऐसा नहीं करते कि जो ऑर्डिनेन्स सरकार पास करती है, जिस समय सदन की बैठक नहीं है, हम उस पर अपनी सील या मोहर लगा देते हैं। जब हम इस तरह करते हैं तो हमारे वित्त मन्त्रीजी को हमसे कोई बात छुपानी नहीं चाहिये, जो बात हो स्पष्ट कह देनी चाहिये। हमको रेट्स बता देनी चाहिए कि इस कारण से यह जरूरी था। आयन्दा तो आप, सेल्स टैक्स पर जो भी कर लगाये हैं, वापिस करते जावेंगे, मगर आपने अभी सदन को पूरी जानकारी नहीं दी। सदन को एक बैक आइडिया लेकर हमसे ऑथोरेटी ले ली जाती है। मैं समझता हूँ कि हमको रेट जरूर बतानी चाहिये ताकि हम उसको देख सकें और अच्छी तरह से एग्जामिन कर सकें कि इसका लोगों पर क्या असर होगा, जनता पर इसका क्या इफेक्ट होता है, जो सिनेमा इन्डस्ट्रीज् हैं उन पर इसका क्या असर होता है? मैं समझता हूँ कि सदन का यह अधिकार है कि वह इस पर विचार करे कि इसका इन्डस्ट्री या पब्लिक पर क्या असर पड़ता है? जहां पर सिनेमा इंडस्ट्री नहीं है वहां पर डेवलप-मेण्ट पर इसका क्या असर होता है? हमको इस बात का अधिकार है और हम कह सकते हैं कि फाइनेन्स मिनिस्टर रेट रख कर हमको बतावे।

दूसरी बात इसमें जो रखी गई है वह यह है कि कॉम्पलीमेन्ट्री पासेज़ पर भी टैक्स लगेगा। मैं समझता हूँ कि यह टैक्स कॉम्पली-मेन्ट्री पासेज् को बन्द करने के लिये ही रखा गया है। यह तो आज किसी की इज्जत करने के लिये दिया जाता है, मगर इस पर भी हमने यह रखा है कि हम नहीं दे सकें। अगर कोई व्यक्ति जिसकी वह इज्जत करता है आयेगा तो जो सिनेमा का मालिक है उसको यह टैक्स भोगना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि वित्त मन्त्री इस पर ध्यान देंगे और जो क्लॉज ४ (४) है उसकी तरफ मैं उनका ध्यान आकर्षित करता हूँ। उसमें कॉम्पलीमेन्ट्री पासेज् के बारे में लिखा है कि इसमें भी एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स देना होगा। आपने उसका पूरा फायदा ले लिया। कॉम्पलीमेन्टरी पास हम तो किसी व्यक्ति की इज्जत करने के लिए देते हैं, जैसे वित्त मन्त्री जाते हैं तो हम उनको अपने सिनेमा में ले जाते हैं, यह एक इज्जत का रूप है। हम उनको एक प्रकार से सम्मान देते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि कॉम्पलीमेन्ट्री पासेज् पर एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स जो लगाया जाता है, यह विपरीत स्टेप है और मैं समझता हूं कि फाइनेन्स मिनिस्टर इस पर ख्याल करेंगे।

दूसरी बात, एडमिशन इन दी सिनेमा हाउस है; उसमें रखा गया है कि बगैर एन्ट-र्टेनमेन्ट टैक्स दिये किसी को सिनेमा हाउस में नहीं ले जाना चाहिये। यदि कोई सिनेमा वाला किसी अपने रिश्तेदार को या किसी दूसरे मिलने वाले को ले जाता है तो सरकार की पुलिस वहां पर रहेगी और उसको तंग करेगी क्योंकि इसमें यह क्लॉज रखा गया है कि बगैर टैक्स पे किये कोई भी व्यक्ति सिनेमा में नहीं जा सकता और अगर चला जाता है तो उस सिनेमा प्रोप्राइटर पर एक्शन लिया जायेगा। मैं यह आपको पढ़ कर सुना देता हूं:—

"Save as otherwise provided by this Act no person other than a person who has to perform some duty in connection with an entertainment imposed upon him

Page No.90

(श्री पी० के चौधरी)

by any law or otherwise, shall be admitted for payment to an entertainment where the payment is subject to the Entertainment Tax, except with a ticket stamped with an impressed, embossed, engraved or adhesive stamp (not before used) issued by the State Government for the purpose······ अब इसमें प्रेक्टीकल डिफिकल्टी क्या होगी ? कोई भी व्यक्ति सिनेमा में नहीं जा सकेगी।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप Clause by Clause बहस कर रहे हैं ?

श्री सभापति : I think he is referring to the clause by way of referring.

श्री पी० के० चौधरी : उसके रिलेटिव हो सकते हैं, उसके बाल-बच्चे हो सकते हैं।

श्री सभापति : The Hon'ble Member should confine his discusson to the general principles of the Bill.

श्री पी० के० चौधरी : जनरल में ही इस बिल को प्रेस कर रहा हूं। एक बात पर मैंने यह प्रेस किया कि आपने सदन को पूरी जानकारी नहीं दी। सदन को अन्धेरे में रखा गया।

दूसरी बात एडमिशन के मामले में भी उदारता का अभाव दिखाई देता है, जैसा हम देखते हैं कि फाइनेन्स मिनिस्टर ने सब बातों को ध्यान में नहीं रखा है। इसमें करप्शन की गुंजाइश रहती है। सभी लोग जानते हैं कि सिनेमा मालिका के बाल बच्चे या रिश्तेदार आकर सिनेमा में जाकर बैठ जाते हैं, मगर यह जो क्लॉज़ है उसमें सबके लिए रेस्ट्रिक्शन है ? चाहे वह औरत हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की कोई भी बगैर एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स दिये नहीं जा सकता। इसका नाजायज फायदा उठाया जावेगा और करप्शन फैलेगा।

मैं समझता हूँ कि इस क्लॉज़ की भाषा भी बराबर नहीं है, इसको लेंग्वेज बराबर नहीं है; इससे ऐसी सिचुएशन होगी कि सिनेमा प्रोप्राइटर के बाल-बच्चे हैं, और उनको वह सिनेमा दिखाना चाहता है तो उनको फायदा सरकार के रिप्रेज़ेन्टेटिव जो रहेंगे वे उठावेंगे और एक्स्ट्रा इनकम करेंगे। इसलिये यह प्रोविजन इनकम्पलीट और डिफेक्टिव और रिप्रेसिव है, ऐसा मैं मानता हूं। दो-तीन चीज़ों के बारे में मैं मानता हूं कि जो कानून बनाया गया है उसमें यह उचित नहीं है। उसूलन मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मगर जो कानून बनाये हैं वे पूरे डिफेक्टिव हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि डिफेक्टिव क्लॉज़ेज को ठीक करके इसको पास करना चाहिये। मैं इतना ही कहना चाहता हूं और साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि वित्त मन्त्री हमको रेट्स बता दें कि वे किस प्रकार इसको कार्यान्वित करना चाहते हैं ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : माननीय सभापति, मैं इस बारे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य इस पर पहले बोल चुके हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : आज तो इस पर बहस होते तीसरा दिन है। कुछ बातें मेरे ध्यान में आई हैं.......

एक माननीय सदस्य : बोलने दीजिये, साहब।

श्री सभापति : जहां तक हो थोड़े में ही बोलें।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं तो यह जरूर निवेदन करूंगा कि ऐसे छोटे मामलों में ऐसे अवसर आते हैं कि उस पक्ष से यह कहा जाता है कि प्रत्येक मामले में इस ओर से विरोध किया जाता है। विरोध किया जाता है, इसका मतलब यह नहीं कि हम लोगों की इस मामले में जिद है। ऐन्टर्टेनमेंट टैक्स में ऐसे टैक्स हटा दिये जावें जिनसे काम करने वाली गरीब जनता पर इफेक्ट न हो, ताकि वे लोग जो काम करते करते दिन भर थक जाते हैं, थोड़ा बहुत एन्टर्टेनमेन्ट कर लें। उनके लिए अगर कोई एन्टर्टेनमेन्ट का जरिया है तो यही है। इसलिए उन पर तो माफ किया जावे; तो मैं समझता कि ज्यादा उचित होगा। इसके अलावा दूसरी बात यह भी है, मैं उस पक्ष के लोगों से यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि यह एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स बिल अच्छी चीज नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय की इजाजत से खड़ा हुआ हूँ कि अगर गवर्नमेन्ट यह सोचे कि इस तरह बजट में जो कमी है उसको पूरा कर लेंगे और ऐसे जो छोटे छोटे टैक्स लगाये जाते हैं जिससे जनता को बहुत ही ज्यादा परेशान होना पड़ता है तो मैं यह निवेदन करूंगा और व्यक्तिगत रूप से और सामुहिक रूप से भी निवेदन करूंगा कि हम लोग जो जागीरदार हैं और उनको जो मुआवजा मिलेगा या हमारे और भी कुछ खुदकाश्त आदि के सवाल हैं उनको कर्टेल कर लिया जाय। अगर इससे जनता का कुछ फायदा होता हो तो हम खुद व्यक्तिगत रूप में भी सहयोग दे सकते हैं।

श्री मदनसिंह (दांता) : माननीय सभापति महोदय, सभी तरफ से यह कहा जा रहा है कि कोई नया सजेशन हो तो अच्छा है इसलिये मैं नया सजेशन देता हूँ क्योंकि उधर से बारबार यह चीज आती है कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता की भावना को यहां सदन में रखते हैं; तो मैं तो यह कहूंगा कि अभी जयपुर की म्युनिसिपैलिटी का चुनाव इसी आधार के ऊपर लड़ा लीजिए। इससे अच्छी तरह मालूम हो जायगा कि जनता में हमारे और आपके बारे में क्या फीलिंग्स हैं। इसके साथ ही कई ऐसी मिस–अन्डरस्टेंडिंग्ज़ हो रही हैं कि यह म्युनिसिपैलिटी के अधिकार है और उनसे यह छीने जा रहे हैं; तो इसमें आप म्युनिसिपैलिटी के ही विचार ले लीजिए। उसमें कोई बात नहीं हो सकती कि चाहे यह टैक्स आप लें या म्युनिसिपैलिटी ले। म्युनिसिपैलिटी का तो यह अधिकार है और क्या मालूम वर्षों से जो अधिकार की प्रतीक्षा कर रहे थे उनको आप पुलिस के जरिये छीने जा रहे हैं, जो म्युनिसिपैलिटी और पंचायतों के अधिकार हैं वे भी आप छीन रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ये जो म्युनिसिपैलिटी के अधिकार हैं उनके ऊपर तो आपको आघात नहीं करना चाहिए और यह निश्चित रूपसे आपसे मैं कहूँगा कि सदन में तो इसकी बहुत कम चर्चा हो रही है लेकिन जब से जनता को मालूम हुआ है कि म्युनिसिपैलिटी के अधिकार लिए जा रहे हैं, बहुत जगह इसका विरोध होगा और इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे; अगर किसी के गलत तरीके से अधिकार लिए जायें तो जनता को इस बात की बहुत फीलिंग होती है और गांव गांव में म्युनिसिपैलिटी और पंचायतों में इस चीज की जो प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमें

(श्री मदनसिंह)

अधिकार कब मिलेगा; तो मेरा कहना है कि कम से कम इस बिल को पास करने से पहले म्युनिसिपैलिटी और पंचायतों के सामने इसको रख दिया जाता और यह पूछा जाता कि इस बारे में उनकी क्या राय है? उनको कम से कम समझाने की जरूरत थी। इस तरह से तो आपके १२६ सदस्य हैं और आप अपनी डिक्टेटरशिप रख सकते हैं। जब हमारी ओर से किसी बिल के लिए यह कहा जाता है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो आप हमारे उस प्रस्ताव को भी ठुकरा देते हैं। इसी बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए कहा तो आपने उसको नहीं माना और अभी आपके सामने जो नये नये विचार आ रहे हैं इसका कारण यह है कि सदस्यों की यह भावना है कि इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर देना चाहिए ताकि ठीक ढंग से हर चीज के ऊपर विचार कर लिया जाय। फिर नये नये प्रश्न उठते हैं, इसका कारण यह है कि न तो माननीय सदस्य ही इस चीज को स्टडी कर पाये हैं और न जनता ही इसको अच्छी तरह स्टडी कर पाई है। इसलिए मेरा कहना है कि जिसके जो अधिकार हैं, वे उसको देने ही चाहिए। आखिर ऐसी क्या पैसे की जरूरत पड़ गई कि म्युनिसिपलिटी से यह एन्टर्टेनमेंट टैक्स भी वसूल करने के अधिकार ले लिए गए? म्युनिसिपलिटी से अधिकार छीनने का मतलब यह है कि आप जनता से उनके अधिकार छीन रहे हैं। मुझे तो बारबार कहते हुए शर्म सी आती है कि आप म्युनिसिपलिटी से भी उनके अधिकारों को क्यों मांगते हैं! मेरे ख्याल से तो आपकी मांगने की आदत सी पड़ गई है और आपको मांगने का थोड़ा अधिकार है ही। अब बजट में कमी तो आ ही गई है। जो जो सदस्य इसके फेवर में हैं कि यह एन्टर्टेनमेंट टैक्स वसूल करके बजट के घाटे को पूरा किया जाय तो वह रोज मान प्रकाश टाकीज़ के सामने थैली ले लेकर आ जायें और हम प्रयत्न करेंगे और जब भी वहां से निकलेंगे तो आपको कुछ न कुछ दान देते ही रहेंगे ताकि आपके घाटे की पूर्ति होती रहे, अन्यथा मैं तो कहूंगा कि आप यह म्युनिसिपलिटी की चीज को छीन रहे हैं, आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। प्रजा को सब तरह के अधिकार हैं। जिस समय आप वोट लेने आये थे उस समय यह चीज नहीं थी। उस समय तो कह रहे थे कि आपका राज्य है आपका अधिकार है, म्युनिसिपलिटियों और पंचायतों द्वारा हम सारा राज्य करेंगे, पंचायतों द्वारा ही कानून बनायेंगे। इस बारे में तो मैं यहां तक कहूँगा कि नीचे से कानून बनने चाहिए। किन्तु आप ऊपर से कानून बनाते हैं। वही काम म्युनिसिपल का चेयरमैन और पंचायत का मेम्बर करता है जो कि यहां असेम्बली के मेम्बर करते हैं। सुबह भी यही बहस चल रही थी कि पुलिस ने म्युनिसिपलिटी से कुत्ते मारने का भी अधिकार ले लिया है। हम तो यह कहते हैं कि कोई सांप, बिच्छू आदि जहरीले जानवर मारने का अधिकार लेते तो आपको मालूम भी होता। इसके अलावा समझ में नहीं आता कि जब हम कोई बात कहते हैं तो उसका वह विरोध करने लग जाते हैं और यदि सिलेक्ट कमेटी में भेजने की राय देते हैं तो उसके लिए भी विरोध करते हैं। मैं कहता हूँ कि इसमें क्या फर्क पड़ता है कि म्युनिसिपलिटी इस टैक्स को वसूल करके जनता के हित में खर्च कर दे और या इस टैक्स को सरकार वसूल करके जनता के हित में खर्च कर दे। यह तो एक ही बात है,

(श्री मदनसिंह)

कोई फर्क नहीं है। जब यह पहले से ही म्युनिसिपैलिटी के पास है तो फिर इसको उसके हाथ से लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसमें फर्क यही है कि आपको बजट की कमी पूर्ति करनी है। इसका मतलब यह है कि या तो मिनिस्टरों की पे कम है जो रुपया टैक्स के जरिये वसूल करके उनको बढ़ाना चाहते हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूँगा कि वे टैक्स के औचित्य और अनौचित्य के ऊपर ही अपना विचार प्रकट करें, जनरल डिस्कशन इस पर न होने दें।

श्री मदनसिंह : अगर आप रिपीटशन समझते हैं और मुझे चैक करते हैं तो मैं बैठ जाना ही उचित समझता हूं।

श्री जनार्दनराय नागर : माननीय सभापति महोदय, जैसा मेरे माननीय मित्र ने कहा कि यह प्रश्न जो अभी चल रहा है उसके बारे में इधर के और उधर के सदस्यों में गलतफहमी हो रही है; जहां तक गलतफहमी होने का सवाल है मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि गलतफहमी उधर ज्यादा हो रही है। सवाल यही है कि यह टैक्स वसूल करने का अधिकार म्युनिसिपैलटी का है लेकिन दर-असल बात यह है कि जो भी टैक्स लगाने के लिए दिये जाते हैं उनका एक कन्वेन्शन होता है। अगर यह बात ठीक है तो उसूलन हमने कन्वेन्शन्स से और परिपाटी से मनोरंजन कर को म्युनिसिपैलिटी का ही टैक्स माना है। लेकिन राजस्थान के अन्दर पिछले तीन-चार सालों में इस कर को राजकीय टैक्स का रूप दिया जा रहा है। आज भी राजस्थान में तीन-चार जगहों को छोड़कर सभी जगह यह कर राज्य द्वारा ही वसूल किया जाता है। इसलिए यह कहना कि आज की स्थिति में यह मनोरंजन कर का राजस्थान की नगरपालिका का अधिकार है, तो उचित नहीं है। इस कर को अखिल भारतीय स्तर पर लगाने के लिए सिफारिश सेन्ट्रल टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने की है। इस कारण जब हमें इस कर को अखिल भारतीय स्तर पर लाना है तो यह अधिकार नगरपालिका से लेना कोई ऐसी बात नहीं है। इसी कारण इसको राजकीय रूप दिया जा रहा है। इसलिए मैं मानता हूं कि सरकार के लिए यह मुमकिन नहीं है कि जो कर अखिल भारतीय स्तर पर राजकीय टैक्स के रूप में विकसित किया जा रहा है उसके विपरीत कोई और निर्णय हमारी राज्य सरकार दे सकेगी। मैं यह मानता हूँ कि हमारी सरकार का यह फर्ज है कि अखिल भारतीय आधार के ऊपर जो नीतियां बनती हैं उन नीतियों का न केवल वह स्वागत ही करें बल्कि फलीभूत करने के लिए उचित कदम भी उठायें। फिर एक चीज को और भी देखना चाहिए कि यहां इसमें राज्य सरकार ने एक विशेष सुविधा दी है। तीन साल के पर्सेन्टेज को देख कर इसके लिए म्युनिसिपैलिटी को सब्सिडी दी जायगी। उसको राज्य ने एक अनुदान के रूप में आज भी इस बिल के अन्तर्गत इतना रखा है। इसलिए यह बहस, मैं समझता हूँ, अप्रासंगिक तो मैं मानता हूँ, किन्तु साथ ही वस्तु स्थिति से और आज की आवश्यकता से यह (बहस) अधिक लाभदायक नहीं होगी।

इसके अलावा यह कहा गया कि शिड्यूल को मंजूर नहीं करवाया है और जब चाहे तब टैक्स लगा कर इस सदन की बैठक की

(श्री जनार्दनराय नागर)

अनुपस्थिति में सरकार इस तरह के शिड्यूल को लगा सकती है। मैं समझता हूं कि सरकार जो इस सदन के प्रति उत्तरदायी है, और सरकार का सामान्य अधिकार है कि इस प्रकार के रेट्स का जो शिड्यूल है वह सरकार अपने विवेक से तय करे और फिर उसको सदन के सामने उपस्थित कर दे और सदन की स्वीकृति ले ले। इसलिये मैं यह मानता हूं कि शिडूल का सदन में पहले लाना कोई आवश्यक नहीं, फिर भी ला सकते हैं और सदन की स्वीकृति ले सकते हैं। सरकार यह मान कर चलती है कि सदन का उसमें विश्वास है। वह कोई भी कार्य करती है तो सदन को विश्वास में लेकर करती है, इसलिये सदन की स्वीकृति शिडूल के लिये लेना मैं आवश्यक नहीं मानता। इस प्रकार की बात कह कर, मैं समझता हूँ, कहीं न कहीं दूर रूप में सरकार के प्रति अविश्वास की भावना जो है वह भावना तो जरूर प्रगट होती है, सरकार इस मामले को खुद छिपा रही है और हमसे दूर रख रही है; अगर इस प्रकार की बातें हमारे दिमाग में आती हैं तो मैं समझता हूं यह दुर्भाग्य पूर्ण है।

तीसरी बात जो कही गई वह यह कि सरकार ने वासनात्मक फिल्मों पर ज्यादा कर नहीं लगाया, इसके अलावा शिक्षणात्मक और मनोरंजनात्मक जो फिल्में हैं उनको भी इस कर से मुक्त नहीं किया। फिल्म कौन सी वासनात्मक, कौन सी शिक्षणात्मक और कौन सी मनोरंजन कर से मुक्त होनी चाहिये, इसके विषय में मतभेद हो सकते हैं। आज जिस फिल्म को वासनात्मक आप कहते हैं, हो सकता है किसी के लिये वह मनोरन्जन का साधन हो। आज मनोरन्जन के विषय को लेकर काफी मतभेद हो सकते हैं। आज किसी व्यक्ति को अपनी थकान मिटाने के लिये जिन चीजों से वह मनोरन्जन प्राप्त करता है उसको हम पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। मान लीजिये किस फिल्म को वासनात्मक कहा जाता है दूसरा उसको देखना पसन्द करता है लेकिन कुल मिला कर हम यह मान सकते हैं कि जनता को मनोरन्जन का स्वाभाविक अधिकार है, उसमें इस प्रकार का विवेक लागू करना उचित नहीं होगा। इसलिये इस पर ज्यादा बहस न करके यह टेक्स वापिस म्युनिसिपैलिटी को दे दिया जाय, यह कतई शक्य नहीं और न यह अखिल भारतीय नीति के सिद्धान्तों के प्रतिकूल भी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सभापति महोदय, मनोरन्जन कर के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किये और जहां तक मैं समझ पाया हूं माननीय सदस्यों ने भिन्न भिन्न प्रकार से इसकी विवेचना की। मैं सदन का अधिक समय न लेकर सक्षेप में कुछ थोड़ा सा निवेदन कर देना उचित समझता हूँ। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस विधान सभा में इस एक मास में जहां एक और कृषि आय कर पारित करवाया, जिससे राजस्थान के किसानों का आर्थिक दृष्टि से गला घोंटा है और दूसरी ओर बिक्री कर लगा कर ५० लाख रुपये का बोझा राजस्थान की गरीब जनता पर थोपा; मैं समझता हूँ, इस एक महिने में इन्हीं दो बिलों मे काफी तीव्र असन्तोष का निर्माण हुआ है और इसके अलावा बिक्री कर जैसे काले कानून को अजमेर राज्य पर थोप कर वहां की जनता का गला घोटा है। इस तरह से एक ही व्यक्ति पर व्यक्तिगत आर्थिक दृष्टि से जनता को परेशान करने का भार आया है। आज मनोरन्जन कर विधेयक पारित करने का

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्रश्न भी इन्हीं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह सम्मिलित रूप में राजस्थान की समस्त स्वायत्त शासन संस्थाओं का गला घोटने का कदम है। आज राजस्थान की स्वायत्त शासन संस्थाओं की हालत की ओर आप गौर करें तो सभापति महोदय, आपको और माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि आज उनकी क्या हालत है, और फिर उन पर इस प्रकार के कानून लाये जाते हैं, जहां हमारे वित्त मंत्री जी को चाहिये तो यह था कि वे इस प्रकार का कानून सदन में प्रस्तुत करते जिससे राजस्थान की स्वायत्त शासन संस्थायें आर्थिक दृष्टि से मजबूत होतीं। मैं निवेदन करूं सभापति महोदय, आज हमारी जितनी भी नगर पालिकायें हैं, जिला बोर्ड्स हैं उनका यदि आर्थिक दृष्टि से समीक्षण किया जाय तो हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि उनकी आर्थिक दशा बहुत दुबली-पतली है। आज सरकार को चाहिये तो यह था कि वह इस प्रकार का प्रस्ताव लाती कि मनोरंजन कर सरकार अपने हाथ में लेने के बजाय बिजली विभाग और वाटर वर्क्स भी म्युनिसिपेलिटी के अधिकार में देती। जिस जयपुर नगरपालिका को, मैं अर्ज करूं, ये विभाग देने के बारे में पिछले वर्षों से पत्र-व्यवहार हो रहा है उसको अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि जयपुर की नगरपालिका आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल पंगु है। पिछले कई अर्से से सरकार से यह कहा जा रहा है कि वह पॉवर हाउस और वाटर वर्क्स म्युनिसिपेलिटी को दे दे, लेकिन सरकार इस ओर कतई ध्यान नहीं देती। सरकार का हमेशा यही दृष्टिकोण रहता है कि म्युनिसिपेलिटियां हमेशा उनकी मुहताज रहें, आर्थिक दृष्टि से सरकार पर निर्भर रहें। आज हमारी नगरपालिकायें आत्म निर्भर नहीं। सरकार को इस ओर कदम उठाना चाहिये था। आज हम देखते हैं कि स्वायत्त शासन संस्थाओं में किस प्रकार का हस्तक्षेप होता है मंत्री महोदय की तरफ से? वे चाहते हैं कि कुछ कर्मचारियों के प्रति डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाय, कुछ को निकाला जाय, यह सब क्यों होता है? इसलिए कि वे देखते हैं कि हमारा इन पर कन्ट्रोल ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य केवल एन्टर्टेनमेंट टैक्स बिल पर ही अपने विचार प्रकट करें, इसको जनरलाइज न करें।

श्री अग्रवाल : मैं, सभापति महोदय, इसी पर बोल रहा हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की स्थिति का क्यों निर्माण हो रहा है? यह केवल इसलिए कि नगरपालिका के जितने भी आय के साधन हैं वे आज सरकार के हाथ में हैं। अगर सरकार के हस्तक्षेप करने की बात सदन के सामने आती तो हम उसका स्वागत करते। जहां एक ओर नगरपालिका के समस्त आय के साधनों पर सरकार का कब्जा है वहां दूसरी ओर इनके कार्यों पर भी सरकार अपना अंकुश रखना चाहती है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, जयपुर नगरपालिका के आय के साधनों की जांच के लिए एक कमिटी नियुक्त हुई थी और उसने अपनी रिपोर्ट दी। उसमें उसने लिखा, राजस्थान सरकार जयपुर नगरपालिका की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए वाटर वर्क्स और पॉवर हाउस म्युनिसिपेलिटी के अधिकार में दे दे। इस सम्बन्ध में नगरपालिका के समस्त सदस्यों ने राजस्थान सरकार को इस विषयक पत्र भी लिखे, लेकिन उस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं। हम तो यह आशा कर रहे थे कि विधान सभा के अन्दर हमारी स्वायत्त शासन संस्थाओं को राहत

Page No.96

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

देने के लिए हमारे वित्त मन्त्री इस प्रकार का विधेयक लाते, जिसमें पॉवर हाउस और वाटर वर्क्स जिन जिन जगहों पर चल रहे हैं वे सब नगरपालिकाओं के अन्डर दे दिये जायं लेकिन यह नहीं हुआ। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रकार के विधेयक के बजाय वित्तमंत्री महोदय, जो म्युनिसिपेलिटीज़ को एन्टरटेनमेंट्स टैक्स की आमदनी थी, वह भी ले रहे हैं। वास्तव में यह उनके अनुकूल नहीं है।

जयपुर की नगरपालिका को इस मनोरंजन कर से जो लाख-पचास हजार रुपये की आमदनी होती है, आज इस विधेयक द्वारा राजस्थान सरकार इस प्रकार के कर वसूल करेगी और मैं समझता हूँ उसका कमीशन जो होगा वह नगरपालिका को मिलेगा। इसमें जो मुआवजा देने का प्रावधान रखा है उसके आधार पर पिछले तीन सालों का एवरेज निकाला जायगा; पिछले तीन वर्षों की जो वार्षिक आय होगी उसका औसत निकाल कर सब्सिडी या ग्रांट के रूप में दी जायगी। जयपुर की नगरपालिका एक चुनी हुई नगरपालिका है। कुछ अर्से तक इसका प्रशासन एक प्रशासनाधिकारी के पास रहा। उस समय के हजारों रुपये मनोरंजन कर के बकाया हैं। इसलिए मैं यह समझता हूँ कि जो जयपुर नगरपालिका का मनोरजन कर बकाया है वह वसूल होने वाला नहीं; सरकार के हाथ से तो इस प्रकार तीन साल की औसत निकाल कर सब्सिडी या ग्रांट दी जायगी तो हजारों रुपये का बकाया मनोरंजन कर के नाम से जो मिलने वाला नहीं इसका केलकुलेशन नहीं किया जायगा। अगर पचास हजार की आमदनी वार्षिक मानी जाय तो तीन साल का एवरेज १६ हजार रुपया आया। बकाया वसूल करने का प्रावधान जो इसमें है उसके अनुसार वह अधिकार राजस्थान सरकार को मिल गया तो इसका मतलब यह हुआ कि इस विधेयक के लागू होने के बाद आमदनी का जो पचास हजार रुपया है वह राजस्थान सरकार का हो जायगा और इसका लाभ भी स्वायत्त शासन संस्थाओं को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं इसका मूलतः विरोध करता हूँ।

इसी प्रकार म्युनिसिपेलिटी के करों को अपने हाथ में लेने के बारे में कई माननीय सदस्यों ने भी अपने विचार रक्खे। उन्होंने कई प्रकार की इसमें आने वाली कठिनाइयां भी सदन में रक्खीं।

आज हमारा राजस्थान वैसे ही इस माने में विशेष तौर से पिछड़ा हुआ है। मैं समझता हूं, बमुकाबले दूसरों के, यहां बहुत कम सिनेमा घर और एन्टरटेनमेंट हाउसेज़ होंगे, बहुत कम थियेटर चलते होंगे। अमेच्योर्स या आर्टिस्ट्स एसोसियेशन्स बहुत कम होंगी। इस प्रकार का कानून लागू करने से जो थोड़ी सी हैं भी, शायद उन पर भी एक प्रकार का कुठाराघात होगा, उनकी प्रगति में भी बाधा आवेगी। इसलिये मैं निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार के म्युनिसिपल करों को सरकार के अधिकार में देना, इस प्रकार के विधेयक प्रस्तुत करना, स्वायत्त शासन संस्थाओं के अधिकारों को अपने हाथ में लेना, उन पर कुठाराघात करना है।

सभापति महोदय, हम बात करते हैं एक तरफ विकेन्द्रीकरण की, पोलिटिकल डीसेन्ट्रेलाइजेशन की। हम कहते हैं कि अधिकार स्वायत्त संस्थाओं को दो, पंचायतों को दो, म्युनिसिपेलिटीज़ को दो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दो, तो इस तरह से एक तरफ विकेन्द्रीकरण

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो इस तरह के विधेयक बनाते हैं तो सभापति महोदय, यह कितनी उपहासास्पद बात होगी। यह कितने उपहास की बात होगी कि हम एक तरफ सत्ता का विकेन्द्रीकरण करते हैं, उन स्वायत्त संस्थाओं को अधिकार दें, गांव और कस्बों को शासन की दृष्टि से, शासन-प्रबन्ध की दृष्टि से उनको हम अधिकार दें, पंचायतों को अधिकार दें, काम करने की ताकत दें, और ताकत देने के साथ हुकूमत की बागडोर भी दें, यह सब कुछ दें; पर आमदनी के जरिये उनके हाथों में न दें। इतना ही नहीं, जो थोड़े बहुत साधन आमदनी के उनके हाथों में हों, उन पर भी हमारे वित्त मन्त्री जी की नजर पहुंचे और इस प्रकार से जिस मनोरंजन कर को वे आज तक वसूल करते आये हैं उनको भी अपने हाथ में लेने के लिये इस तरह का कानून प्रस्तुत करें तो यह स्वायत्त शासन संस्थाओं पर बहुत बड़ा कुठाराघात होगा; उनकी समुचित उन्नति में, उनकी प्रगति में, उनकी कार्यशक्ति में यह एक बड़ा कुठाराघात होगा। हमारी स्वायत्त शासन संस्थायें इस तरह से ठीक तरह से पनप नहीं सकेंगी। परिणाम इस कानून का क्या होगा? आमदनी सरकार के हाथों में आवेगी। मैं मानता हूँ कि उसमें से सरकार उनको कुछ देगी, एड देगी। पर मैं, सभापति महोदय, यह पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार हमारी स्वायत्त शासन संस्थाओं को, हमारी पंचायतों को, हमारे जिला बोर्डों को हमेशा सरकार की ओर मुंह ताकते रहने देना चाहती है? क्या वह यह चाहती है कि ये संस्थाएं हमेशा सरकार की दया की भिक्षा मांगे, उससे पैसे की भीख मांगे, सबसिडी के रूप में मदद मांगे और सबसिडी कितनी दी जावेगी, कितना उनका हिस्सा है यह सारा निर्णय करने का अधिकार भी हमारी सरकार के हाथों में हो, उसका निर्णय अन्तिम हो, किसी प्रकार की उसकी अपील न हो सके, रिवीजन, न हो सके, परिवर्तन उसमें न हो सके, पुनर्सुनवाई न हो सके, पुनर्निर्णय नहीं हो सके; यह विधेयक, मैं ऐसा मानता हूँ सभापति महोदय, हमेशा ये नगरपालिकाएं; ये स्वायत्त शासन संस्थाएं सरकार के सामने भीख मांगती रहें, इस स्थिति का निर्माण करेगा। इसलिये मैं वित्त मंत्री महोदय से फिर से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के कर कमीशन की सिफारिश की आड़ लेकर अपने हाथ में न लें। मैं मानता हूँ कि राजस्थान की विशेष परिस्थिति को देखते हुए, उसका अध्ययन करते हुए इन रिकमण्डेशन्स को इस रूप में लागू करने की आवश्यकता नहीं थी। रिकमन्डेशन्स तो और भी पचासों चीजों की हैं। इस प्रकार की सिफारिशों को लागू करने से राजस्थान में पनपने वाली स्वायत्त शासन संस्थाओं के राजनैतिक ढांचे के आधार वाले उनकी भूमिका, उनकी नींव को हिलाने वाले, उनकी नींव को कमजोर करने वाले, उनकी भूमिका को तहस-नहस करने वाले इस विधेयक को पास नहीं करना चाहिये। मैं फिर उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस विधेयक पर अब भी विचार कर सकते हैं, अब भी समय है। इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह (१४): माननीय सभापति महोदय, जिस बिल के सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा हो रही है, मैं समझता हूँ, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है।

हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय को इस प्रकार के कानून को सदन में प्रस्तुत करने

(श्री भैरोंसिंह)

का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सभापति महोदय, उसके लिये तो वह निश्चितरूप से धन्यवाद के पात्र हैं, परन्तु प्रश्न यह आता है कि यह धन्यवाद सदन में दिया जावे या यह धन्यवाद जनता के द्वारा सदन के बाहर दिलवाया जावे।

जहां तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न आता है, मैं, सभापति महोदय, उनका यह कार्य कोई सौभाग्य का कार्य है, ऐसा नहीं मानता हूँ और जिन माननीय सदस्य ने, जो जनता के वास्तविक प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने इस बिल का का विरोध किया है उनके द्वारा भी, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जो सौभाग्य माननीय वित्त मंत्री जी को प्राप्त हुआ है वह वास्तव में सौभाग्य नहीं है।

सभापति महोदय, मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता जो इस सदन में प्रस्तुत की गई हैं, इस बिल का विरोध किया गया है। नगरपालिकाओं के जो अधिकार हैं, उन पर कुठाराघात करने की जो चेष्टा की गई है, मैं यहाँ केवल एक संकेत करना चाहूँगा। और वह संकेत उस समय ज्यादा अच्छा होता जिस समय हमारे माननीय स्वायत्त शासन मन्त्रीजी इस सदन में उपस्थित होते। लेकिन सभापति महोदय, कुछ ऐसा लगता है कि उनकी आत्मा को भी इस बिल के कारण आघात पहुंचा है। वह आघात शायद इसलिए पहुँचा होगा कि आए दिन उनके सामने इस प्रकार के मसले आते हैं कि नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति वास्तव में खराब है और सरकार की ओर से सहायता मिलनी चाहिये। उस समय माननीय स्वायत्त शासन मन्त्रीजी की ओर से जो उत्तर मिलता है उस उत्तर से वह इस बात का प्रयत्न अवश्य करते हैं कि नगरपालिकाओं के प्रतिनिधियों को सन्तोष कराया जावे, लेकिन सन्तोष नहीं होता है और सन्तोष न होने के कारण वह केवल एक बात कह कर कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, सरकारी सहायता नहीं दे सकते हैं, यह कह देते हैं ये सारी बातें कह कर, दलीलें देकर नगरपालिकाओं के प्रतिनिधियों को जिस तरह आते हैं उसी तरह वापिस भेजने की चेष्टा करते हैं। पर सभापति महोदय, यह हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी और स्वायत्त शासन मन्त्री जी का झगड़ा था, दो विभागों का झगड़ा था, और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी ने हमारे स्वायत्त शासन मन्त्री जी को इस झगड़े में इस एक प्रतिद्वंद्विता में परास्त किया। वे अपनी इस हार........

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हमारे आपस के झगड़े से तो कोई मतलब नहीं। यह कैबिनेट से पास हो चुका है।

एक माननीय सदस्य : Not audible.

श्री भैरोंसिंह : मैं शायद जो कुछ सुन पाया हूं उसका अर्थ केवल यह लगाता हूं कि माननीय वित्त मन्त्रीजी ने यह कहा है कि हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है। मैं समझता हूं कि इनमें झगड़ा शायद जिस झगड़े के रूप में होना चाहिये उस तरह का नहीं हुआ है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि····

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): On a point of information, Mr. Chairman, माननीय वित्तमन्त्रीजी ने यह कोई सूचना ····

(विराम)

(श्री दामोदरलाल व्यास)

The Hon'ble member is misinformed. That is absolutely baseless. There is no difference of opinion between him (Finance Minister) and the Minister for Local Self Government on this point.

श्री भैरोंसिंह (१४): इस बात को तो मुझे खुशी है कि हमारे माननीय राजस्व मन्त्री जी ने हमारे वित्तमंत्री जी को संरक्षण प्रदान किया।

(हंसी)

लेकिन प्रश्न यह आता है कि झगड़ा हुआ या नहीं, झगड़ा होगा या नहीं? यह एक स्वाभाविक चीज है कि जिस विभाग का जो व्यक्ति इन्चार्ज है उसकी आमदनी पर यदि कोई दूसरा विभाग का मन्त्री आघात करता है तो मनुष्य का यह स्वभाव है कि उससे उसे डाह होती है, जलन होती है, आत्मा को वेदना होती है और वेदना के कारण, झगड़े के कारण मैं समझता हूं, शायद यह हुआ होगा, वरना स्वायत्त शासन मन्त्री जी भी कमजोर नहीं हैं, वे भी लड़ाई झगड़ा करने में पक्के हैं, पर वे कई दिनों से अस्वस्थ हैं इसलिये वित्त मन्त्रीजी को मौका मिल गया और घर में उनको परास्त किया है।

पर सभापति महोदय, मैं वित्त मन्त्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि केवल माननीय स्वायत्त शासन मन्त्रीजी को परास्त करने से काम नहीं चलेगा। उनके पीछे जो बैक ग्राउन्ड है, उनके पीछे जो शक्ति है, वह शक्ति उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि नगरपालिकाओं के अधिकारों पर जो आघात हुआ है उसका सामना करने के लिये जो शक्ति है उससे आपको मुकाबला करना पड़ेगा।

एक कानून बना कर, नगरपालिका की आमदनी पर अधिकार कर आप बचने की कोशिश करेंगे, इस नाम पर कि हमें टैक्स लगाना है और उनके कारण चाहे नगरपालिका का टैक्स हो, चाहे पंचायत का टैक्स हो, चाहे मोटर विहिकल्स का टैक्स हो, चाहे बेटरमेन्ट लेवी हो, चाहे एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स हो, चाहे जितनी प्रकार के टैक्सेज हों, उनको वसूल करना है। अब प्रश्न यह आता है सभापति महोदय, कि जहां तक विकास-कार्य का सम्बन्ध आता है, विकास कार्यों से सम्बन्धित नगरपालिकाओं का सम्बन्ध आता है, यदि विकास योजनाओं को सफलीभूत बनाना था, शहर की जो नगरपालिकायें विकास के कार्य करती हैं, उनके अन्दर जो विकास की योजनायें हैं उनके अन्दर लागू करना था, इन रुपयों की मार्फत सरकार अपने स्थान के मालिक नगरपालिका से विकास कार्य करवा सकती थी। सभापति महोदय, वह बात मुझे याद है कि उधर बैठने वाले माननीय सदस्य ने तीन दिन पूर्व यह जिक्र किया था कि सरकार एन्टेंटेनमेंट टैक्स के नाम पर जो टैक्स वसूल करेगी उस नगरपालिका को तो कोस्ट ऑफ कैल्कुलेशन जो है उसके अनुसार मिलने वाला क्या है? अगर सरकार यह न करे और नगरपालिका को ही यह कार्य दे दे, कॉस्ट ऑफ कैल्कुलेशन के नाते जो नगर-पालिका पर भार पड़ने वाला है उससे नगर-पालिका बचेगी, जो आमदनी उसको मिलने वाली है वही आमदनी उस नगरपालिका को मिलेगी और प्रोपोर्शन सम्बन्धी जो दिक्कतें होंगी, वसूली को लेकर, न वे सरकार के सामने और न नगरपालिका के सामने ही आवेंगी। सभापति महोदय, जहां तक नगर-

(श्री भैरोंसिंह)

पालिका का सम्बन्ध है, सरकार इस पर कटिबद्ध है कि उसको यह टैक्स नगरपालिका से अपने हाथ में लेना है, तो आगे जाकर यह भी कहा जा सकता है कि सरकार विकास के नाम पर, हाउस टैक्स के नाम पर जो टैक्स की रकम वसूल होती है, वह, जो ओक्ट्रोय है, इत्यादि ये सारी चीजें आज जिस प्रकार एन्टर्टेनमेंट टैक्स को अपने हाथ में ले रही है उसी प्रकार लेगी और जिस प्रकार से एन्टर्टेनमेंट टैक्स इस बिल के पास होने पर स्टेट टैक्स होगा उसी प्रकार विकास के नाम पर हाउस टैक्स भी राजस्थान स्टेट टैक्स होगा और उसको म्युनिसिपैलिटी नहीं सरकार स्वयं वसूल करेगी, ऑक्ट्रोय भी स्टेट टैक्स होगा और उसको सरकार स्वयं वसूल करेगी। नगरपालिका के टैक्स में से जो संचित निधि है उसको वापिस खींचना, मैं समझता हूं, किसी रूप में अच्छा नहीं होगा।

माननीय वित्त मंत्री महोदय चार दिन पूर्व किशनगढ़-रेनवाल गये थे, उनको जनता की ओर से मान-पत्र दिया गया। मान-पत्र देने से जनता ने ख्वाहिश की थी कि माननीय वित्तमंत्री महोदय विकास योजना में उनको आर्थिक सहायता देंगे। मान पत्र के उत्तर में माननीय वित्तमंत्री जी ने जवाब दिया कि मंत्री पद स्वीकार करना सिर दर्द हो गया। मैं मानता हूं, उनके लिए सिर-दर्द हो गया। यह क्यों बना और किसने बनाया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने कभी नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह : मेरे पास ऐसी सूचना है।

श्री सोहनलाल भटनागर : यह काल्पनिक है।

श्री भैरोंसिंह : काल्पनिक नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : आप मिसइन्फोर्म्ड हैं। वित्त मन्त्रीजी यह कह रहे हैं कि मीटिंग में कोई सिर-दर्द की बात नहीं कही।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं जिस दिन सिर-दर्द महसूस करने लगूंगा मिनिस्टरी छोड़ दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स से यह हुआ है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरा कॉन्सियश क्लियर है।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, पब्लिक में यह कहना कि मेरे सिर दर्द है....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने कभी नहीं कहा।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : मंत्री महोदय 'ना' कर रहे हैं, फिर आपका यह मानना कहां तक उचित है ?

श्री भैरोंसिंह : मैं इनको सिद्ध करूंगा प्रेस में निकलने वाला है। रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट्स भेजी हैं। उसकी प्रति अवेलेबल हो जायगी।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : प्रेस में जो जाय उसका मैं जिम्मेदार नहीं। जो मैंने कहा मैं उसका जिम्मेदार हूँ।

श्री भैरोंसिंह : आपकी किसी बात की जिम्मेदारी नहीं, रोकने की जिम्मेदारी है।

(घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य से कहूँगा कि वे विषयान्तर न हों।

श्री भैरोंसिंह : विषय पर ही आ रहा हूं। मेरी सूचना के आधार पर उनके सिर दर्द हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि टैक्सेज़ के कारण सिर दर्द की बीमारी जो मोल ले रहे हैं वह उनकी सहत की दृष्टि से, कार्यकाल की दृष्टि से सिर दर्द की बीमारी नहीं लेनी चाहिये थी। अच्छा होता कि उनको सिर दर्द से मुक्ति मिल जाय और वह मुक्ति तब ही मिलती जब ये टैक्सेज़ वे माफ कर दें।

कहने के लिये तो है कि लोकल बोडीज़ का टैक्स है, सरकार किसी प्रकार अधिकार नहीं करना चाहती ! राजस्थान के वित्त मन्त्री के लिये दो लाख तो मामूली है। यदि वे चाहें तो सदन में और सदन से बाहर २ लाख नहीं २० लाख की आमदनी ऐसी प्रस्तुत कर सकता हूँ। यदि सरकार बचाना चाहे तो बचा सकती है, यदि नयी क्रियेट करना चाहते हैं तो नयी भी क्रियेट कर सकते हैं। लेकिन उधर ध्यान नहीं दिया जाता। वित्त मन्त्री महोदय का कर्तव्य है कि यदि अनाप शनाप खर्चा होता है तो उसको रोके, जहां धन का दुरुपयोग होता है वित्त मंत्री महोदय का कर्तव्य है कि उसको रोके। तीन-चार दिन पहले ही राजस्थान के सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, माननीय सभापति महोदय, एक जबरदस्त चीज़ हुई। पांच वर्ष तक स्टोर का चेक नहीं किया। पांच वर्ष तक, जितने सिटी मजिस्ट्रेट बदले, सबने दस्तखत किये कि स्टोर को चैक किया, चैक करने के बाद दस्तखत किये। लेकिन पांच दिन पहले सरकार वर्सेज़ अयोध्यासिंह का फैसला हुआ। ७० हजार रुपयों की प्रोपर्टी माल खाने में थी, ट्रेजरी में जमा थी, उसको लेने के लिए पांच महीने तक उसको कोशिश करते हुए हो गये, उसका पता नहीं है, यह कह कह कर कि पता नहीं लग रहा है, पांच महीने हो गये। प्रोपर्टी उस बेचारे को नहीं मिल रही है। चूंकि उसकी प्रोपर्टी नहीं मिली, नाजिर का चालान हो जायगा लेकिन सरकार को तो ७० हजार रुपया देना पड़ेगा। सभापति महोदय, इस प्रकार के केसेज होते है। जहां इस प्रकार के केसेज होते हैं, इस प्रकार अनियमितता पूर्ण खर्चा राजस्थान की सरकार को भुगतना पड़ता है, ७० हजार के सोने और चांदी के जेवर इस प्रकार देने पर हमारा खर्चा बढ़ता है। हम आवश्यक रूप से कार्यवाही नहीं कर सकते और इसी कारण से यह खर्चा आज बढ़ा हुआ है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बना ही इसलिये कि वह ठीक व्यवस्था करे, अनाप-शनाप जनता के धन का जो दुरुपयोग होता है। उसको रोकने की कोशिश करे। जहां दो लाख का प्रश्न आया है तो सभापति महोदय, मैं कहूंगा कि इटुन्डी में ग्रान्ट इन एड देते हैं, आधी कम कर दें तो आधा टैक्स कम होगा। लेकिन इस प्रकार की मितव्ययता के लिए सरकार कटिबद्ध नहीं है। सरकार तो चाहती है कि खर्चा कैसे ही हो, टैक्स के रूप में जनता के पास जो पैसा है वह लिया जाय। सरकार के पास मनी को सेन्ट्रलाइज करने की व्यवस्था है और सारी मनी को सेन्ट्रलाइज़ करने की व्यवस्था को लेकर सारा स्टेट मनी बनाना है यह उनकी राजनैतिक, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था है। लेकिन जब तक आर्थिक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नहीं बनाते उस आर्थिक प्रजातान्त्रिक

(श्री भैरोंसिंह)

व्यवस्था में प्रत्येक आदमी को अपने धन का स्वामी नहीं बनाते, उस आर्थिक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में प्रत्येक आदमी को अपने धन का उपभोग करने का अधिकार नहीं देते और सरकार में इस प्रकार से जो एक कैपिटेलिस्टिक मनोवृत्ति हो रही है और सारा सरकार में निहित करने की जो चेष्टा की जा रही है वह इस प्रकार का दृष्टिकोण प्रजातन्त्र के प्रतिकूल है। लेकिन सरकार करती क्या है ? सरकार कहती है कौन अविश्वास करता है, जितने टैक्स हैं सरकार का रुपया है, जितना जनता का धन है सरकारी रुपया है, इस प्रकार की कैपिटेलिस्टिक मनोवृत्ति सरकार में किसी रूप में पनप रही है और यदि यह पनपती रही तो जो आर्थिक स्वतन्त्रता और आर्थिक प्रजातन्त्र का उपभोग करने की चेष्टा करते हैं इस देश में नहीं रहेंगे।

जहां तक एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स का प्रश्न आता है वित्त मन्त्री महोदय को सोचना चाहिए, इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि नगरपालिका का क्या हाल होता है, इसमें सुधार कर देने और प्रावधान कर देने के बाद जो आमदनी आयेगी सरकार कॉस्ट ऑफ कलेक्शन काट कर नगरपालिका को दे देगी। यह इसमें व्यवस्था करनी चाहिए थी, इसमें प्रावधान करना चाहिए था कि आमदनी का केल्कुलेशन कैसे होगा ? इसमें प्रावधान यह है कि तीन वर्ष का एवरेज निकाला जाय। मैंने इस सम्बन्ध में सभापति महोदय, पहले भी निवेदन किया था और आज भी निवेदन करता हूँ कि पिछले तीन वर्ष की एवरेज निकालेंगे और नगरपालिकाओं को फिक्स्ड आमद ही मिलेगी चाहे सिनेमाओं की संख्या बढ़ गई है या देखने वालों की संख्या बढ़ गई हो। एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स की आमद पहले दुगुनी तिगुनी हो जाय लेकिन नगरपालिकाओं को तो एक फिक्स्ड अमाउन्ट ही मिलने वाला है। सरकार चाहती तो ऐसा प्रावधान इसमें कर सकती थी कि एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स जब सरकार वसूल कर रही है, ऐसी व्यवस्था कर रही है तो दिन पर दिन बढ़ने वाली आमदनी नगरपालिकाओं को मिलती रहे। लेकिन कानून में व्यवस्था एवरेज निकाल कर देने की है, भविष्य में सिनेमाओं की संख्या बढ़ गई हो, एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स की आमद बढ़ गई हो। उसकी जो पहले तीन साल की आमद थी उसी आधार पर नगरपालिका को आमद दी जावेगी।

सभापति महोदय, प्रश्न यह भी आता है कि यदि कोई एक नया सिनेमा खोला गया है; एक नगरपालिका को ले लीजिये; मसलन झुंझुनू नगरपालिका को ले लीजिये। ऐसी व्यवस्था है कि ३ साल का एवरेज होता है लेकिन यदि नया सिनेमा खुलता है तो किस आधार पर देंगे, इसकी कोई व्यवस्था इस कानून में नहीं है। नया सिनेमा खुलने का प्रश्न आता है तो तीन वर्ष के एवरेज का सवाल नहीं होगा तो क्या बात होगी ? इसके लिये कोई प्रावधान नहीं है। जिसका तीन वर्ष का एवरेज नहीं निकाल सकते उसकी आमदनी राजस्थान सरकार नगरपालिका को देने वाली नहीं है। यदि यह मंशा नहीं तो नये सिनेमा जहां बनेंगे वहां नया टेक्स जनता से वसूल किया जायगा। किसी एक सिनेमा का एवरेज निकाल कर पर्सेन्टेज के हिसाब से कोस्ट ऑफ कलेक्शन के नाम पर कुछ काट कर उस नगरपालिका को देने का प्रावधान इस कानून में करते। लेकिन वित्त मंत्री जी स्वीकार करेंगे कि ऐसा नहीं होगा। आपने नगरपालिका की पिछली आमदनी पर कब्जा

(श्री भैरोंसिंह)

कर लिया, इन्कोजिंग टैक्स को फिक्स्ड अमाउन्ट पर तय किया और जो नये सिनेमा खुलने वाले हैं और जहां कोई टैक्स नहीं था उन पर सरकार ने अधिकार कर लिया। इसका मतलब यह है कि नगरपालिका को जो आमदनी होनी थी वह नहीं हुई और पुराने को कब्जे में कर लिया। इसलये वित्त मंत्रीजी को कहूँगा कि आज मानपत्र लेते समय सर दर्द होता है तो कल जनता से टैक्स वसूल करने के नाम पर सिर-दर्द नहीं होगा बल्कि बुखार आवेगा। इसलिये आप इस सिर-दर्द को गायब करें, एसप्रो की टिकिया लें, जनता के सिर-दर्द को आप अपना सिर-दर्द नहीं बनावें। मैं वित्त मंत्रीजी से यह भी निवेदन करूँगा कि जनता के नागरिक अधिकार जो हैं उन्हें जनता के पास रहने दें। उस पर आप अधिकार करेंगे तो सिर दर्द होगा, उस सिर दर्द को मत बुलाइये। नगरपालिका स्वयं इकट्ठा करे और स्वयं खर्च करे। आप इसमें दस्तन्दाजी न करें।

अब प्रश्न आता है कि इस स्टेज पर कानून कैसे वापिस लिया जाय। यह भी प्रश्न आ सकता है कि वित्त मंत्रीजी का इससे अपमान होगा। कहने को तो यही कहेंगे कि इसको पास करना है, लेकिन वे भी दिल से यह बात पसन्द नहीं करते होंगे। उनका दिल भी बड़ा मुलायम है और मुलायम दिल वाले व्यक्ति इस प्रकार जनता पर कुठाराघात नहीं कर सकते। लेकिन उन पर जो प्रेशर है वह इतना तगड़ा है वे नजदीक आकर बैठ गये लेकिन मैं समझता हूं इस प्रेशर का असर नहीं पड़ेगा। इसमें मान अपमान का भी प्रश्न नहीं उठना चाहिये और इसे वापिस लेना चाहिये। अब यदि प्रश्न आता है, तो मैं कहूंगा कि राजस्व मंत्रीजी को अपनी सीट पर बिठा दें ताकि वित्त मंत्रीजी स्वतंत्रता से अपने विचार व्यक्त कर सकें। वे जनता पर कुठाराघात नहीं करना चाहते हैं लेकिन उन पर जो अंकुश है उसको दूर किया जाय और उन्हें स्वतंत्र बनाया जाय। जनता पर जो कुठाराघात हो रहा है उसको दूर कर सकें और वे स्वयं भी बच सकें। नगरपालिका पर कुठाराघात हो रहा है, इन्कोजिंग टैक्स को फिक्स बनाया जा रहा है और भविष्य की आमदनी पर कब्जा हो रहा है सरकार का। इन चार बातों को प्रमुखरूप से सामने रखते हुए मैं इसका घोर विरोध करता हूँ और माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि आप किसी के प्रभाव में न आकर लग्जरी के नाम पर इसका विरोध न कर बैठें। एन्टरटेनमेन्ट टैक्स को लग्ज़री मान कर विरोध नहीं किया जाय। लेकिन जिस ढंग से किया गया और जिन पर प्रभाव पड़ता है इन दो सिद्धांतों के नाम पर मैं अपील करूँगा कि इसका विरोध किया जाय और इस ढंग से विरोध किया जाय कि आयन्दा भी म्युनिसिपेलिटीज़ के अधिकारों पर कुठाराघात न हो।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक को पारित करने के विरोध में जो कुछ कहा गया उसको मैंने ध्यान से तो सुना ही लेकिन जो म्युनिसिपेलिटीज़ के अधिकार छीने जाने की या टैक्स की वजह से जनता पर करों का बोझ बढ़ जाने की दलील दी गई, भावनाओं के साथ दी गई और यह भी मैं मानता हूं कि इस विचार से दी गई कि इस टैक्स का परिणाम म्युनिसिपैलिटीज़ और जनता पर बुरा न हो, उस पर मैंने अच्छी तरह

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

से विचार किया। लेकिन मैं माननीय सदस्यों के सामने यह बात रखना चाहता हूँ कि यदि वे इस विधेयक के इतिहास पर ध्यान देते तो शायद पारित करने की अवस्था में इसका विरोध नहीं करते।

एक टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन सेन्टर से बैठा, जिसने तमाम टैक्सेशन पर अच्छी तरह से विचार किया। जब कोई कमीशन बैठता है तो यह मानकर चलना चाहिये कि सब बातों पर संगोपांग विचार होता है। हरेक डिटेल में हर जगह पर देख कर इसने सिफारिश की कि अब यह एन्टर्टेनमेंट टैक्स स्टेट टैक्स हो। एक बड़ी बात जिसको हम दरगुजर नहीं कर सकते थे, निगाहों से जिसको ओझल नहीं कर सकते थे उस पर विचार करने के लिये हमारी सरकार ने एक कमेटी और बनाई जिसमें गैर सरकारी सदस्य भी थे; उन्होंने विचार किया, राज्य की दृष्टि से भी विचार किया उसने भी सिफारिश की; ये दो बातें सामने आती है। ये दो इतिहास ऐसे हैं जिनको पारित करते समय हम भूल नहीं सकते। उसने यह कहा कि इसे स्टेट टैक्स बनाया जाय और जो दरें इधर-उधर हैं उनको समान रूप से लाया जाय।

दरें समान रूप से लाई जायं और टैक्स स्टेट टैक्स हो इसके पक्ष और विपक्ष में कुछ कहा गया। इसे म्युनिसिपैलिटीज़ के अधिकार की बात कही गई और यह कहा गया कि म्युनिसिपेलिटीज़ से अधिकार छीना जाता है। मैं समझता हूं अधिकार का सवाल खड़ा नहीं होता है। म्युनिसिपेलिटीज़ के पास और भी कई अधिकार हैं। यहां तो आपको और हमारा एक साथ बैठ कर सोचना है कि कौन सा टैक्स कौन लगावे, म्युनसिपेलिटीज को और पंचायतों को क्या क्या अधिकार देने हैं, आपके अधिकार क्या रखने है, स्टेट को क्या देने हैं? इन सबका फैसला करने का यही स्थान है। आप और हम बैठ कर तय करते हैं। इसके अलावा फलां संस्था की दृष्टि से जब हम सोचते हैं तो मैं समझता हूँ वस्तु स्थिति से और वास्तविकता से हम दूर जाते हैं।

केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण का दूसरा प्रश्न है। इसलिए मैं समझता हूँ माननीय सदस्य, उस ओर के भी, यही महसूस करेंगे। आप यह मान लीजिये कि जो सुझाव इधर उधर के आये हैं उन पर अवश्य विचार किया जायगा, लेकिन अभी इस अवस्था में इस बिल का जो विरोध किया है वह ऐसा लगता है कि इस अवस्था में उचित नहीं है।

दूसरी बात यह है कि म्युनिसिपेलिटीज को नुक्सान होगा, इसके लिये मैंने उस दिन भी कहा था और अब भी कहता हूं कि इसमें प्रावधान है कि ३ साल का एवरेज दिया ही जायगा। यह ठीक है कि बंधी हुई रकम होगी। बंधी आमदनी हुई तो मुमकिन है अधिक नहीं मिले। लेकिन यदि कम हुई तो सरकार को घाटा होगा क्योंकि बंधी हुई रकम देनी पड़ेगी। जब दोनों ही तरह से बंधी हुई चीज है तो घाटा भी हो सकता है और ज्यादा भी मिल सकती है और मान लीजिये बचत भी हुई, बचत हो भी गई तो बचत गई कहां? सरकार के पास रही, आपके काम आई, आप म्युनिसिपेलिटीज वर्सेज सरकार का प्रश्न खड़ा करें, एक दूसरे के इन्ट्रेस्ट क्लेश करने का प्रश्न करें, यह उचित नहीं। फिर सरकार को कम्पेन्सेशन देगी, सो तो देगी, सरकार

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

सब्सिडी देती रही है, लोन भी देती रही है, सरकार म्युनिसिपेलिटीज को सहायता देती है। यह क्यों मान कर चलना चाहिए कि सरकार म्युनिसिपेलिटी की उपेक्षा करेगी, म्युनिसिपेलिटीज की हालत बदतर होती रहेगी। म्युनिसिपेलिटीज का कर्तव्य है कि अव्यवस्थित हालत को ठीक करे, हालत को सुधारे। क्या मनोरंजन कर एक ही टैक्स है जो चला जायगा तो म्युनिसिपेलिटीज तबाह हो जायेंगी? इस तरह से एक छोटी बात को बड़ा रूप देना, मैं समझता हूं, कोई खास उनको लाभ नहीं होगा। यह स्लेब सिस्टम और पर्सेन्टेज की बात कही गई, ठीक है। मैंने कहा था उस रोज गवर्नमेंट पर्सेन्टेज सिस्टम चाहती है। दूसरी सिफारिश कमीशन ने भी की है। हम स्लेब सिस्टम को न अपना कर पर्सेन्टेज को अपनायेंगे। जो दरें तय होंगी, मैं आपको आश्वासन देता हूं, पर्सेन्टेज के हिसाब से तय की जायेंगी। मैं कहता हूँ कि दर तय करने का अख्तियार सरकार लेती है, अक्सर लेती है, वह एक टैक्सेशन प्रिन्सिपल से ही तो तय करती है। यदि दर का राइट सरकार पर छोड़ देते हैं तो उससे परेशान क्यों होते है, सरकार आपसे अलग नहीं हैं और फिर एक्ट के प्रावधान में जैसा हैं, दरें तय होने के बाद आपके सामने आयेंगी। आप जानते है उसमें प्रावधान रखा है कि टैक्सेशन करने के बाद ज्यों ही विधान सभा का अधिवेशन हुआ, वे आपके सामने आ जायेंगी। हम छिप कर आपसे जायं कहाँ, आपकी चीज आपसे छिपेगी कैसे? आपका अधिकार है। आज विधान सभा में मान लो हम न आये होते तो भी आपका अधिकार था इस बिल को पास करने का। अगली दफा आप आकर पास कर सकते हैं और आज मान लीजिये नियम की दृष्टि से, या और प्रावधान हैं उनकी दृष्टि से कोई कोर कसर रह भी गई है, तो अगली दफा अमेन्डमेंट लाकर तय कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या आज तय नहीं करते हैं तो बड़ा भारी अनर्थ हो जायगा? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। पर्सेन्टेज की बात ऐसी है, एक वाजिब बात है, सरकार उस वाजिब बात को आज नहीं तो कल भी ध्यान में नहीं रखेगी, ऐसा क्यों मानें? मैं मानता हूँ हर सरकार जिसको सरकार रहना है, जारी रहना है, वह वाजिब बात पर ध्यान देगी और जनता के कष्ट के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। कोई कारण नहीं कि यह कहा जाय कि सरकार अब गैर जिम्मेदार है। मैं नहीं समझता ऐसा मानने का कोई प्रयोजन है।

दूसरी बात यह है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस तरह उस सवाल को रखा जैसे आज एक नया बिल लिया जा रहा हो, एक नये सिरे से म्युनिसिपेलिटीज के अधिकार छीने जा रहे हों। यह मान लो घड़ी भर के लिए अधिकार छिने भी, तो भाई साहब, अधिकार छीने गये दो-तीन साल पहले, आज तो इतना रहा है कि कई म्युनिसिपेलिटीज में एन्टर्टेनमेंट टैक्स नहीं लागू था, थोड़ा भाग रह गया है, जहां आज लगा है, यह छीनने की प्रक्रिया तो इस वित्त मन्त्री ने, इस सरकार ने नहीं की है, पहले से परम्परा है; जो थोड़ी सी और जगह लागू नहीं था वहां लागू की जा रही है; इतनी सी बात है। इससे यह मान लेना कि कोई अधिकार छीने जा रहे हैं, अलबत्ता अधिकार का प्रश्न नहीं होता है, कोई नये अधिकार छीने जा रहे हों, ऐसी बात नहीं। इस सिलसिले में, इस स्टेज पर शंकायें, उठीं और जो सुझाव

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

पेश किये गये, उनके सम्बन्ध में, मैं समझता हूँ, काफी प्रकाश मैं डाल चुका हूँ। इतना जरूर मैं कह देना चाहता हूं कि जो सुझाव रखे गये उनमें कई उपयोगी हैं। मैं मानता हूं कि नियम बनाने की स्टेज जब आयेगी तब उन उपयोगी सुझावों पर विचार किया जायगा, माननीय सदस्यों को इतना आश्वासन दिलाना चाहता हूँ।

श्री भैरोंसिंह (श्री-माधोपुर) : एक शंका है। जो नये सिनेमा घर बनेंगे उनकी आमदनी का केलकुलेशन किस आधार पर होगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अभी ऑफ हैंड कहना मुश्किल है, आपने जो सुझाव उपस्थित किया वह मेरे सामने है।

श्री भैरोंसिंह : वह कैसे होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास :-कानूनी इन्टरप्रिटेशन का सवाल है।

श्री भैरोंसिंह ; आपके आगे बैठे हैं, उनको समझाइये कानूनी इन्टरप्रिटेशन।

(हंसी)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान एन्टर्टेनमेंट टैक्स बिल, १९५७ पारित किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : 'ना' पक्ष जीता।

श्री सभापति : बिल को पारित किया जाता है।

(करतल-ध्वनि)

श्री भैरोंसिंह : 'ना' पक्ष जीता।

श्री सभापति : 'हां' पक्ष जीता। क्या आप डिवीजन चाहते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वी मंत्री) : (श्री भैरोंसिंह की ओर संकेत कर) कभी तो सिरियश रहा करो।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : आप इस तरह मजा किरकरा कर देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप लीडर ऑफ दी हाउस की कुर्सी पर बैठे हैं।

(विभाजन घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान एन्टर्टेनमेंट टैक्स बिल, १९५७ पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

'हां' पक्ष जीता। बिल पारित किया जाता है।

सदन के नेता की बैठक पर बैठने सम्बन्धी आपत्ति

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, हमारे इस सदन में सदन के नेता की कुर्सी सबसे ज्यादा सम्मानित होती है और सदन के डिकोरम की चीज है कि इस कुर्सी के ऊपर सदन के नेता के सिवाय दूसरा कोई सदस्य, चाहे वह मन्त्री हो, नहीं बैठ सकता। मैं इस सम्बन्ध में व्यवस्था चाहूँगा कि सदन की शोभा के

(श्री भैरोंसिंह)

लिए आदरणीय नेता की कुर्सी पर कोई दूसरा मेम्बर बैठने का हकदार नहीं, आज के दिन नहीं वे माननीय सदस्य उस कुर्सी पर आगे बैठ सकते हैं, पर आज नहीं बैठ सकते।

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय सभापति, नेता महोदय हाजिर नहीं हैं, मुझे कह कर गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : सदन के उप-नेता मौजूद हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : पांच बजे बाद कोई बैठ सकता है, आप भी बैठ सकते हैं।

श्री सभापति : ट्रेज़री बैंचेज़ के आपस के निर्णय करने की बात है। मैं समझता हूँ आपको विशेष चिन्ता नहीं करनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी स्थिति में कोई भी बैठ सकेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई आये तो।

श्री सभापति : समय हो चुका है। कल ११ बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही सायं ५ बजे, मंगलवार दिनांक २८ मई १६५७ के ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

Page No.108

संक्षिप्त-विवरण

(कार्य-विवरण दिनांक २७ मई १९५७)

तारांकित प्रश्नोत्तर ३९९७

भीलवाड़ा की गृह निर्माण समिति के हिसाब-किताब की जांच ।

व्यापारिक प्रतिष्ठानों को शेयर्स अथवा ऋण के रूप में दी गई धन-राशि ।

इटावा (त० कोटा) में आग से हुई अप्रेल, १९५६ में क्षति ।

लालसोट व चाकसू में अगले वर्ष खुलने वाले विद्यालय ।

महिला सदन खोलने हेतु दिल्ली तथा मद्रास भेजे गये व्यक्ति ।

सचिवालय में इस वर्ष खस के टट्टों की व्यवस्था पर व्यय ।

त० कोटपुतली में गोचर भूमि कुछ व्यक्तियों को एलॉट ।

चाकसू में सुनवाई हेतु विचाराधीन फौजदारी मुकद्दमे ।

राजस्थान में कृषकों को प्रदान किये गये खातेदारी अधिकार ।

भूतपूर्व भरतपुर व अजमेर राज्य के जयपुर राज्य के कारखाने जात के कर्मचारियों के पेन्शन के मामले ।

सन् १९५५ से ५७ तक दिया गया इन्डस्ट्रियल लोन ।

बाड़मेर जिले में रबी की फसल को हानि ।

सार्वजनिक स्थानों में विदेशी शासनाधिकारियों की स्टेच्यूज् की स्थापना ।

आर० ए० एस० के पदों पर शिड्यूल्ड कास्ट् के व्यक्तियों की नियुक्तियां ।

खूड़, भगतपुरा, रामी व राजपुरा (सीकर) में वर्षा से हरिजन मकानों को क्षति ।

जि० गंगानगर में भूमि की रकम की शरणार्थियों द्वारा किश्तों में अदायगी ।

गत वर्ष नियुक्त सबस्टीट्यूट अध्यापक ।

बाड़मेर नगर में मवेशियों हेतु गोचर-भूमि ।

राज्य बीमा विभाग में १९५४ से ५७ तक प्रत्येक वर्ष में रहा सस्पेन्स-मनी ।

जोधपुर में जुलाई, १९५७ में पोलिटेक्निक संस्था चालू करने की योजना ।

बालोत्तरा शासकीय उच्च विद्यालय में विज्ञान की कक्षाएं ।

पटवारियों हेतु पटवार घरों की व्यवस्था ।

जोधपुर में फिदुसर व सूरसागर की पत्थर की खानें ।

स्कम्भ

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कल्याण कॉलिज (सीकर के अध्यापकों को गत-वर्ष वितरित वेतन ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में विभिन्न मदों में व्यय हुई धन-राशि ।

दरबार मिडिल स्कूल (जयपुर) में विभिन्न कक्षाओं में छात्र एवं उस स्कूल का स्टाफ ।

गत वर्ष समाज कल्याण विभाग की ओर से सहायतार्थ दिये गये साढ़े तीन सौ रुपये ।

दलित वर्ग संघ को हरिजनों में प्रचारार्थ प्रति वर्ष दी जाने वाली धन-राशि ।

बीकानेर जिले में किसानों से मूंगा .सूली ।

बीकानेर जिले में चारागाह कायम करने की सरकार से मांग ।

गत तीन वर्षों में आठ हजार से ऊपर के .काबी और लोन ।

राजस्थान इन्डियन मेडिसिन्स (अमेण्डमेन्ट) बिल, १९५७ ४०२०

सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान इन्डियन मेडिसिन्स (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५७ पुरः स्थापित किया गया ।

स्कम्भ

राजस्थान पुलिस बिल, १९५७ ४०२१

श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री, द्वारा उक्त विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर श्री भैरोंसिंह (१४) ने विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया । वाद-विवाद के पश्चात् श्री भैरोंसिंह (१४) का संशोधन प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया जिस पर विभाजन की मांग की गई । विभाजन के फलस्वरूप प्रस्ताव के पक्ष में २६ तथा विपक्ष में ५६ मत प्राप्त होने से संशोधन प्रस्ताव गिर गया तथा विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रवर समिति के सदस्य इस प्रकार हैं:–

१. सम्बन्धित मन्त्री
२. एडवोकेट जनरल
३. श्री रामप्रसाद लड्ढा
४. श्री आबिदअली
५. श्री गुलाबसिंह
६. श्री शंकरलाल
७. श्री रावतराम (चूरू)
८. श्री लल्लूराम
९. श्रीमती प्रभा मिश्रा
१०. श्री गोपाललाल पुरोहित
११. श्री जयेन्द्रसिंह
१२. श्री नाथूराम
१३. श्री बालमुकुन्द

स्तम्भ

१४. श्री नत्थीसिंह
१५. श्री मदनसिंह
१६. श्री शिवनाथसिंह
१७. श्री छोटूसिंह
१८. श्री नाथूलाल
१९. श्री लक्ष्मीचन्द
२०. श्री लादूराम
२१. श्री सोहनलाल

उक्त प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिवस तक प्रस्तुत करेगी।

राजस्थान एन्टरटेनमेन्ट्स टैक्स बिल, १९५७ ४२११

उक्त विधेयक पर आज अग्रेतर खण्डशः विचार किया गया। खण्ड १५ से २१ बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये। अनुसूची तथा खण्ड १ इत्यादि भी स्वीकार किये गये। विधेयक के तृतीय वाचन पर की गई बहस में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:—

१. श्री श्रीभानसिंह
२. श्री तनसिंह
३. श्री मुरलीधर व्यास
४. श्री दयाकृष्ण विजय
५. श्री अनूपसिंह
६. श्री पी. के. चौधरी

स्तम्भ

७. श्री नरेन्द्रसिंह
८. श्री मदनसिंह
९. श्री जनार्दनराय नागर
१०. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
११. श्री भैरोंसिंह (१४)

वित्त मन्त्री द्वारा बहस का उत्तर दिये जाने पर विधेयक सदन द्वारा पारित किया गया।

सदन के नेता की बैठक पर बैठने सम्बन्धी आपत्ति ४२७८

श्री कृषि मन्त्री के सदन के नेता की बैठक पर बैठने सम्बन्धी आपत्ति श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) ने प्रस्तुत की। उस पर सभापति महोदय का निर्णय था कि यह बात तो ट्रेज़रीबैंचेज़ के परस्पर निर्णय करने की बात है।

मंगलवार, २८ मई, १९५७ की कार्य-सूची

१. श्री हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा लिखे गये पत्र सम्बन्धी निर्णय।

२. राजस्थान सेकन्डरी एजुकेशन बिल, १९५७ (प्रवर समिति को)।

३. राजस्थान विहिकल्स टैक्सेशन (अमेण्डमेण्ट) बिल, १९५७ (विचारार्थ)।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ३७७ का उत्तर देखिये)

नामावली गृह निर्माण समिति के सदस्यों की

१. श्री जयसिंह रानावत
२. श्री शिवचरण माथुर
३. श्री गनपतलाल वर्मा
४. श्री तेजमल बापना
५. श्री नित्यानन्द सक्सेना
६. श्रीमती काशीदेवी सक्सेना
७. श्री स्नेहलता देवी सक्सेना
८. श्री हरिवल्लभ केला
९. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा
१०. श्री कृष्ण वल्लभ मेहता
११. श्री जमनालाल पोरवाल
१२. श्री सुवालाल नाहर
१३. श्री रामेश्वर लाल शर्मा
१४. श्री मदनसिंह श्रीमाल
१५. श्री भोपालसिंह चौधरी
१६. श्री रमणलाल वर्मा
१७. श्री मदनलाल वर्मा
१८. श्री श्री लाल टांक
१९. श्री सोहनलाल छीपा
२०. श्री सेडूरामसिंह खीची
२१. श्री लक्ष्मीनारायण सिंह
२२. श्री मनोहरलाल व्यास
२३. श्री मुल्तानचन्द्र शर्मा
२४. श्री कासम जी नीलगर
२५. श्री प्रकाशचन्द्र ओझा
२६. डाक्टर श्री जी० डी० सिंगल
२७. श्री रामनारायण वर्मा
२८. श्री रन्जन साहब
२९. श्री रामप्रसाद तोसनीवाल
३०. श्री रोशनलाल मुन्दडा
३१. श्री कन्हैयालाल वैद्य
३२. श्री हरिनाथसिंह मेहता
३३. श्री सज्जनसिंह खटोड
३४. श्री अब्दुल सुभान
३५. श्री तेजसिंह नेनावटी
३६. श्री हजारीलाल चतुर्वेदी
३७. श्री सवाईसिंह रानावत
३८. श्री सरदार प्रीतमसिंह
३९. श्री पीरूलाल नाई श्रमिक
४०. श्री लालूराम श्रमिक
४१. श्री फतहसिंह यादव श्रमिक
४२. श्री पन्नालाल वर्मा
४३. श्री सज्जनसिंह मेहता
४४. श्री मूलचन्द्र अग्रवाल
४५. श्री बन्शीलाल छीपा
४६. श्री रघुनन्दन चित्तोड़ा
४७ श्री दरबारीलाल डोगरा श्रमिक
४८. श्री सरदार हरासिंह
४९. श्री सरदार हरचरनसिंह
५०. श्री मोतीलाल शर्मा
५१. श्री रतनलाल अग्रवाल
५२. श्री बरदीशंकर शर्मा
५३. श्री प्रतापसिंह सुराना
५४. श्री भारनसिंह श्रमिक
५५. श्री गणेश श्रमिक
५६. श्री इन्दरसिंह श्रमिक
५७. श्री लादूलाल राठी
५८. श्री मनोहरसिंह नेनावटी
५९. श्री नन्दा धोबी
६०. श्री कन्हैयालाल झंवर
६१. श्री नाथूलाल शर्मा
६२. श्री रणजितसिंह ओरडिया
६३. श्री श्रीकिशन, सहकारी समिती भांडू
६४. श्री केसरसिंह
६५. श्री पारसराम वैद्य

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ३७८ का उत्तर देखिये)

क्रम सं०	नाम	रकम लगी हुई	रकम की स्थिति
१.	इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	१,६०,०००	विघटनाधीन। कोई रुपया आने की आशा नहीं है क्योंकि दायित्वों का मूल्य संपदा से अधिक है।
२.	उदयभान इंडस्ट्रीज लिमिटेड	१,३०,०००	विघटनाधीन। कोई रुपया आने की आशा नहीं है क्योंकि दायित्वों का मूल्य संपदा से अधिक है। सरकार का रु० १,५५,१८६-६-६ जो कि प्रतिष्ठान में बकाया है मिल जाने की आशा है।
३.	मित्र बंधु इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	२५,०००	विधि विभाग से प्रतिष्ठान के विरुद्ध रुपया उगाहने के लिये दावा करने को कहा गया है।
४.	ग्लासवेयर्स लिमिटेड, भरतपुर	७५,०००	विघटन के लिये प्रार्थना-पत्र न्यायालय के विचाराधीन है।
५.	हरिश्चन्द्र इन्डस्ट्रीयल पोटरी वर्क्स लिमिटेड	१०,०००	विघटन के लिये कार्यवाही की जा रही है।
६.	डूंगरपुर माईनिंग सिंडीकेट	१,००,०००	विचाराधीन। रुपया उगाहने के लिये संपदा का नीलाम किया जा रहा है।
७.	शिवाजी पब्लिकेशन्स लिमिटेड	५,०००	निष्क्रिय घोषित हो चुकी है।
८.	हिन्द फार्म्स एण्ड डेयरी वर्क्स लि०	५,०००	विघटनाधीन है।
९.	एयर इन्डिया इन्टरनेशनल	१,००,०००	विघटनाधीन। प्रतिष्ठान पर जो सरकारी निकल रहा है उसके मिल जाने की आशा है। अभी तक मिल चुका है।
१०.	अम्बिका एयर लाईन्स लिमिटेड	३,००,०००	राष्ट्रीयकरण रु. १,४३,०००
११.	मैसनसिंह मैरवबाजार रेल्वे कं० लि०	११,४००	विघटनाधीन रु० ११,९७० अभी तक मिल चुका है।
१२.	प्रेमनाथ ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड	१०,०००	विघटनाधीन।
१३.	डालमिया जैन एयरवेज लि०	२,०००	"
१४.	स्टोनवेयर पाइप एन्ड सैनिटरी फिटिंग्ज मैन्युफैकचरिंग कंपनी लिमि०, जयपुर	२,५००	स्थिति मालूम की जा रही है।
	योग	९,५८,४००	

राजस्थान बनने के बाद व्यापारिक प्रतिष्ठानों के शेयरस में लगाई पूंजी का विवरण

क्रम संख्या	नाम	पूंजी	वर्ष जिसमें की पूंजी लगाई गई	रिमार्क
१	दी इलैक्ट्रिक कारपोरेशनआफ	२५,०००	१९४९–५०	याचनाराशि का
	इन्डिया लिमिटेड बम्बई	१,००,०००	१९५०–५१	भुगतान।
२	जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर।	२५,००,०००	१९४९–५०	,,
३	जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग			,,
	मिल्स लिमिटेड।	७,४७,९००	१९४९–५०	
४	श्री उदयभान इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	६०,०००	१९५०–५१	,,
५	श्री सादूल टैक्सटाइल्स लिमिटेड	५,९०,०००	,,	,,
६	श्री भवानीमंडी इलेक्ट्रिक	२,५००	,,	,,
	सप्लाई कम्पनी लिमिटेड	[illegible]५००	१९५३–५४	
७	बूंदी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी	१६,४००	१९५१–५२	बोनस शेयर्स
८	बांसवाड़ा सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०	८,४००	१९५३–५४	शेयरों की संख्या बैंक के केन्द्रीय सहकारी बैंक में परिवर्तन की वजह से मूल्य में वृद्धि के कारण बढ़ गई।
९	राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड।	५,००,०००	१९५३–५४	नई पूंजी लगाई गई।
१०	बीकानेर जिप्सम्स लिमिटेड	७५,०००	१९५५–५६	,,
		१,२५,०००	१९५६–५७	,,
११	राजस्थान फाइनेंशियल कोरपोरेशन, जयपुर।	३६,००,०००	१९५५–५६	,,
१२	ऑल इण्डिया हैंड लूम फैब्रिक्स मारकेटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लि०	५,०००	१९५५–५६	,,
१३	प्रेमनाथ ट्रांसपोर्ट लिमिटेड	१०,०००	१९५६–५७	महाराज डूंगरपुर द्वारा ऋणों की भुगतान में क्र० सं० १३–१९ पर उल्लिखत कम्पनियों के शेयर्स सरकार को प्राप्त हुये।
१४	रामपुर इन्डस्ट्रीज़ लि०	३,०००	,,	
१५	हिन्दुस्तान डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड	१,०००	,,	

Page No.114

१६	डालमियां जैन एयरवेज़ लि०	२,०००	१६५६–५७	
१७	स्टील कारपोरेशन ऑफ बंगाल लि०	३,०००	,,	
१८	डूंगरपुर शुगर इन्डस्ट्रीज डूंगरपुर	४६,०००	,,	
१६	आदर्श बीमा कम्पनी लि०	५०,०००	,,	
२०	टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि०	४०,३०६–१५–०	,,	ये शेयर्स जो कि पहले खेतड़ी के राजा के नाम थे, जागीर के विलीनीकरण के फलस्वरूप राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिये गये हैं।
२१	स्टोनवेयर पाइप एन्ड सैनीटरी फिटिंग मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०	२५,०००	१६५६–५७	ये शेयर्स चीफशीप के विघटन के परिणामस्वरूप सरकार को लावा के चीफ से प्राप्त हुये हैं।
२२	नेशनल कन्सट्रक्शन कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड	२,००,०००	,,	नई पूंजी लगाई गई।
२३	बीकानेर इन्डस्ट्रियल कार० लि०	१४,२३,०००	,,	,,
२४	कोऑपरेटिव बैंक, कोटा लि०	२७,०००	,,	,,
२५	जयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक	१,००,०००	,,	,,
२६	अलवर सेंट्रल कोऑपरेटिव लि०	५०,०००	,,	,,
२७	भरतपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि०	५०,०००	,,	,,
२८	जयपुर सहकारी क्रय विक्रय समिति लि०	२५,०००	,,	,,
२६	कोटा स्टेट कोऑपरेटिव परचेज एण्ड सेल्स सोसाइटीज लिमिटेड	२५,०००	,,	,,
३०	बस्सी ग्रामीण बहु उद्देशीय सहकारी समिति लि०	१०,०००	,,	,,
३१	बांसको ग्रामीण बहु उद्देशीय सहकारी समिति लि०	५,०००	,,	,,
३२	देवगांव ग्रामीण बहु उद्देशीय सहकारी समिति लि०	५,०००	,,	,,
३३	कनोता ग्रामीण बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि०	५,०००	,,	,,

३४	सांगानेर ग्रामीण बहु उद्देशीय सहकारी समिति लि०	७,०००	,,	,,
३५	अग्रगामी ग्रामीण बहु उद्देशीय सहकारी समिति लि०	७,०००	,,	,,
३६	कर्णधार बहु उद्देशीय सहकारी समिति लि०, बारां।	८,०००	,,	,,
	योग	१,१४,८५,०५६-१५-०		

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ३८२ का उत्तर देखिये)

RAJASTHAN STATE SOCIAL WELFARE BOARD, JAIPUR.

Statement of the candidates selected for the Training in After-Care Programme and Social & Moral Hygiene.

S.N.	Name & Address	Age	Qualifications	Experience	Remarks
1.	Smt. Suman Tripathi, Social Welfare Officer, Rajasthan State Social Welfare Board, Jaipur	33½ Years	M. A, in Economics	6 months training experience at Indore School of Social Works. Worked as a Socio-Economic Investigator Government. Labour Office of the Holkar State. Worked in Child and Women's Welfare at Indore. Mahila Mandal, Ramgarh, Usl rajo Children's Rerceation Centre, Narain Bag, India Branch of all India Women's Conference; Saraswati Mahila Shikshan Sangh. Worked as a Principal of a Balwadi at Gandhi Vidhya Mandir, Sardarshahar. At the time of selection she was working as a Social Welfare Officer, Rajasthan State Social Welfare Board, Jaipur.	

१	२	३	४	५	६
2.	Shri Vishwanath Singh Sinsinwar, Municipal Commission Dholpur.	29½ Years	M. Co. m. Passed U. O. T. C. (New N. C. C.) Certificate 'A' Examination	Served as Lecturer in Commerce at Bharatpur. Rank Holder in II U. P. B. N. in U. D. T. C., Agra. Worked as Private Secretary and Controller of Proprities to H. H. the Maharaja of Bharatpur. Started a Co-operative transport and Multipurposes Union in Dholpur and Worked its Advisor and Secretary. Elected the first Secretary of the Imperial Board of Directors of Rajasthan State Co-operative Bank, Jaipur. Worked as Advisor in the Co-operative Union, Kursanda. President, Commerce Association and Hostel Union in College Career. At the time of selection working as a Municipal Commissonner, Dholpur.	
3.	Shri J. N. Kaul 155, Vidya Vihar Pilani	32 Years	M. A.	Worked for 3 years as Asstt. Director for Social Education Department, Delhi. Worked as incharge of literacy compaigns. Worked as Asstt. Director, Social Education. Conducted an Educational cum-Economic Survey, Pilani. At the time of selection working with Dr. R. G. Sarien. Office Experience of 8 years	

परिशिष्ट ४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING HOUSUNG SUBSIDY GRANTED Rs. 350/- PER FAMILY PER HOUSE TO VARIOUS COMMUNITIES DURING 1956-57.

S.No.	Name of the Division	District	Tehsil	Village	Caste	No. of families	Amount sanctioned	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jaipur	Jaipur	Bassi	Bhagirath pura and Lalawala.	Chamars	10	3,500/-	
2	,,	,,	Sanganer	Vimalpura	Raigar	13	4,550/-	
3	,,	,,	Phulera	Kishangargh Raniwal	,,	1	350/-	
4	,,	,,	Sanganer	Kundanpura	,,	46	16,100/-	
5	,,	Sikar	Srimadho-Pur-	Kanwat	Balai 35 Dhanks 1 Khatik 3	39	13,650/-	
							38,150/-	
6	Jaipur	Ajmer	—	Rajoshi	Mehtars 2 Bhamla 14 Raigars 3 Sargara 1	20	7,000/-	

१	२	३	४	५	६	७	८	९
7	Jaipur	Ajmer	Beawar	—	Dhobi 5 Sargara 3	8	2,800/-	
8	„	„	—	—	Bhils	60	21.000/-	
9	„	„	Beawar	Hanuta Kharwa Baral	Bhils	25	8,750/-	
10	„	„	—	Sawar	Sansies	5	1,750/-	
						Total	41,300/-	
11	Bharatpur	Sawai Modhopur	Hindaun	Barkhpura	Chamars	50	17,500/-	
12	„	Bharatpur	Bayana	Bayana	Mehtar	34	11,900/-	
13	„	„	Bharatpur	Helak Rundh	Bavarias	50	17,500/-	
14	„	Kotah	Chhabra	Chanchodi Ki Jhonpri	Kanjar	50	17,500/-	
15	„	„	Ladpura	Ranghari	Bhils	50	17,500/-	
						Total	81,900/-	
16	Udaipur	Udaipur	Salumber	Salumber	Harijans	17	5,950/-	
17	„	„	Udaipnr	Mulla Talai	Kalbelia	50	17,500/-	
18	„	Banswara	Garhi	Bhudanpura	Chamar	1	350/-	
19	„	Udaipur	Phalasia	Amba Vidya	Bhils	18	6,300/-	
20	„	„	Lasadia	Jawahar Nagar	„	164	57,400/-	
21	„	Dungarpur	Dungarpur	Ratapani	„	50	17,500/-	
22	„	Chittorgarh	Pratapgarh	Manoharгarh	„	50	17,500/-	
23	„	„	Chittorgarh	Chittorgarh	Gadia Lohar	31	10,850/-	
						Total	1,33,350/-	

Page No.120

१	२	३	४	५	६	७	८	९
24	Jodhpur	Pali	Pali	Falna	Bhambi	15	5,250/-	
25	"	"	"	Sawari	(a) Meghwal	23		
					(b) Bhambhi	24		
	"				(c) Jatiya	3	17,500/-	
						50		
26	"	"	"	Nayagaon	(a) Baveries	26		
					(b) Sansies	34	17,500/-	
						50		
27	"	"	"	Sojat City	Gadia Lohar	104	36,400/-	
28	"	Jalor	Sanchore	Sanchore	Mehtars	10	3,500/-	
29	"	"	Jaswant-pura	Janswantpura	Bhils	10	3,500/-	
30	"	Jaselmer	Pokaran	Ramdeora	(a) Meghawae	14		
					(b) Mehtars	4		
					(c) Naiks	1		
					(d) Gura	1		
						10	3,500/-	
31		Jodhpur	Bilara	Somania	Mehtars	2	700/-	
32		"	"	Harijans	Gadia Lohar	42	14,700/-	
33	"	Barmer	Barmer	Barmer	"	23	8,050/-	
34	"	Sirohi	Pindwara	Doongri	Bhils (Allied Tribes)	50	17,500/-	
						Total	1,28,100/-	
35	Bikaner	Bikaner	Bikaner	Palna	Chamar	50		
						Total	17,500/-	
							17,500/-	

४१६७

(सहायता का विवरण)

क्रम सं०	तहसील	गांव	रकम जो स्वीकृत की गई
१.	चाकसू	—	—
२.	बस्सी	१. भागीरथपुरा	—
		२. लालावास	३५००
३.	सवाई जयपुर	—	—
४.	सांगानेर	कुन्दनपुरा	१६,१००
५.	सांगानेर	विमलपुरा	४५५०
६.	फागी	—	—
७.	दूदू	—	—
८.	दौसा	—	—
९.	लालसोट	—	—
१०.	आमेर	—	—

विभिन्न डिवीजनों में मकान बनाने हेतु ३५० प्रति मकान की दर से दी गई सहायता का विवरण ।

क्रम सं०	डिवीजन	अनु० जाति	अ०जन जाति	अ० वि० जाति	वि० जा.	गा.लो.
१.	उदयपुर	२३८००	६८६००	—	—	१०८५०
२.	अजमेर	३५००	२६९५०	—	१७५०	—
३.	बीकानेर	१७५००	—	—	—	—
४.	जोधपुर	३०४५०	—	२१०००	१७५००	५९१५०
५.	कोटा	—	१७५०	—	१७५००	—

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण, सोमवार, दिनांक २७ मई, १९५७)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
३६७४	शीर्षक से प्रथम	श्री प्रभुलल पुरोहित	श्री प्रभुलाल पुरोहित
३६७७	२	(श्री तनसिंह)	(श्री अनूपसिंह)
३६८१	२४ से ६वीं	श्री हरिमाऊ उपाध्याय	श्री हरिभाऊ उपाध्याय
३६९०	२४	श्री बहादुर सह	श्री बहादुरसिंह।
३६९९	१३	श्री रामेश्वर दयाल।	श्री रामेश्वरदयाल।
४००५	अन्तिम से ४थी	इस सम्बन्ध में रहेगी	इस सम्बन्ध में जो रहेगी।
४००८	७	Noat Single	Not a Single
,,	अन्तिम से तीसरी	श्री आनन्दसिंह कछवाहा	श्री आनन्दसिंह कछवाहा
४००९	८	१९५६-५६ में जो	१९५६-१९५७ में जो
४०११	६	श्री जग्दीश प्रसाद माथुर	श्री जगदीश प्रसाद माथुर
४०१३-४०१४	१	-२४ मई, ५७-	-२७ मई, ५७-
४०१४	२५	उपयुक्ता को ध्यान में रखकर	उपयुक्तता को ध्यान में रखकर
४०१५	२	यति नहीं दी गई	यदि नहीं दी गई
४०१६	२	(राजस्व मंत्री)	(श्री राजस्व मंत्री)
४०२१-४१११	१	राजस्थान इन्डियन मेडिसिन्स (संशोधन) विधेयक	राजस्थान पुलिस विधेयक, १९५
४०२१	प्रथम पंक्ति से नीचे	—	राजस्थान पुलिस विधेयक, १९५७
४०३६	१६	प्रश्न आता है सीनीयोरिटी	प्रश्न आता है तो सीनियोरिटी
४०४७-४०४८	१	-२४ मई, ५७-	-२७ मई, ५७-
४०४९	२	(श्री मुरलीधर व्यास)	(श्री दयाकृष्ण विजय)
४०५१	१४	चाउते हैं	चाहते हैं
४०६४	२	यदि कमो है	यदि कमी है
४०६५-४०६७ ४०६९ व ४०७१	२	(श्री जनार्दनराय नागर)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
४०७३-४०७५ व ४०७७	२	(श्री जनार्दनराय नागर)	(श्री जुगुलकिशोर चतुर्वेदी)

१	२	३	४
४०७८	३	जनमत के लिच	जनमत के लिए
४०८२	१७	प्रवर समत के सुपुर्द	प्रवर समिति के सुपुर्द
४०८७	१३	whena Bill	when a Bill
,,	२४	be then speciifed	be then specified
४०८८	६	been made availadad ..	been made available
४०८८	१८	reffeered to a select	referred to a Select
४०६०	१०	(हुंटी)	(हंसी)
४०६१	३	विरोधी दलके सदल्य	विरोधी दल के सदस्य
४०६८	२१	आर. एस. एस. की एक्जीविटीज	आर. एस. एस. की एक्टीविटीज
४१०६	१७-१८	डिवीजन चाहते हैं।	डिवीजन चाहते हैं आप ?
४१११	१४-१५	प्रस्ताव स्वीकृति हुआ	प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
,,	१७	एन्टरटेनमेन्ट्स टैक्सविल	एन्टर्टेनमेन्ट्स टैक्स बिल
४११२	१	(संशोधन) विधेयक	एन्टर्टेनमेन्ट्स टैक्स विधेयक
,,	१२	प्रश्न यह है	प्रश्न यह है
४११२-४१७८	१	राजस्थान इन्डियन मेडिसिन्स (संशोधन) विधेयक	राजस्थान एन्टर्टेनमेण्ट्स टैक्स विधेयक, १६५७
४११३	३०	कॉस्पोपोलीटन शहर है	कॉस्मोपोलिटन शहर है
४११५	१६	इजको अगर-स्टेट लेती है	इसको अगर स्टेट लेती है
४११६	३२-३३	श्री नाथूराय मिर्धापुन:	(श्री नाथूराम मिर्धा पुन:)
४११६	४	टेक्स बार्डन बढ़ गया।	टैक्स बर्डन बढ़ गया।
,,	२१	एन्टेनमेंट टैक्स	एन्टर्टेनमेन्ट्स टैक्स
४१२१	८	this is a source-	this is a source
४१२८	२५-२६	कहां से से नहीं लिया जाय।	कहां से नहीं लिया जाय।
४१३१	१५	श्री दयाकृष्ण विजाय	श्री दयाकृष्ण विजय
४१३६	२८	विदा करें।	विदूड़ा करें।
४१४०	३	Casts an asersion	Casts an aspersion
४१४२	६-७	वाकई में जो डिश्रोनेस्टी की है	वाकई में जो डिसऑनेस्टी की है
४१४३	२४	या पव्लिक पर क्या	या पब्लिक पर क्या
४१४५	२२	should Conine his	Should Confine his
४१५३-४१५४	११	-२४ मई, १६५७-	-२७ मई, १६५७-
४१६१	१३-१४	बिल का का विरोध	बिल का विरोध
४१६६	३	ववस्था में प्रत्येक	व्यवस्था में प्रत्येक
,,	१४	इस प्रकार की केपिटलिस्टटक	इस प्रकार की केपिटलिस्टिक

१	२	३	४
४१७६–४१७४	१	–२४ मई, १६५७–	–२७ मई, १६५७–
४१८८	चतुर्थ कॉलम २६वीं पंक्ति	राष्ट्रीयकरण रु० १ ४३,०००	राष्ट्रीयकरण रु० १,४२०००
४१८८	चतुर्थ कॉलम क्रम संख्या ६	विचाराधीन	विघटनाधीन
४१८८	तृतीय कॉलम क्रम सं० १४	२५००	२५०००
४१६२	५वां कॉलम १३ वीं पंक्ति	Children's Rorceation Centre	Children's Recreation Centre
४१६४	३	Housung Subsidy	Housing Subsidy

टिप्पणी :—परिशिष्ट २ के क्रम संख्या ६ और १० को कृपया इस प्रकार पढ़ा जावे।

६. एयर इन्डिया इन्टर नेशनल लि० १,००,००० राष्ट्रीयकरण रु० १,४२००० अभी तक मिल चुका है।

१०. अम्बिका एयर लाइन्स लि० ३,००,००० विघटनाधीन प्रतिष्ठान पर जो सरकारी निकल रहा है उसके मिल जाने की आशा है।